• पानीदार बनेंगी नदियां

• फंड है, पर मंशा नहीं...!

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

www.akshnews.com

भारी पड़ी सरकार

वर्ष 18, अंक-7

1 से 15 जनवरी 2020

मूल्य 25 रूपये

हंगामा क्यों...?

R.N.I NO.HIN/2002/8718 M.P. BPL/642/ 2015-17

विश्वसनीय खबरों के लिए पढ़ते रहिए

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

www.akshnews.com

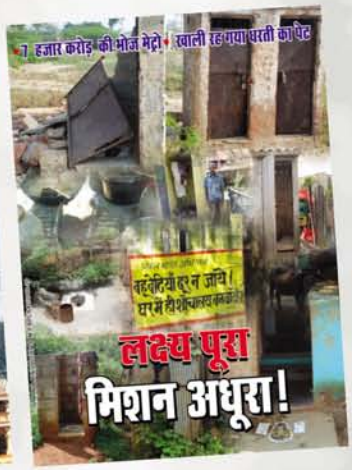

लॉगऑन करें

www.akshnews.com

वार्षिक सदस्यता के लिए संपर्क करें, 150, जोन-1, एम.पी.नगर भोपाल
फोन:0755-4017788,2575777

D-17008

इस अंक में

चौसर

9 | **राज्यसभा की दावेदारी**

मप्र की तीन राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो गई है। विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह को चुनाव के लिए रिटर्निंग अफसर नियुक्त कर दिया गया है। यही नहीं चुनाव की अधिसूचना जनवरी के पहले हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है।

राजपथ

10-11 | **भारी पड़ी सरकार**

मप्र विधानसभा का पांच बैठकों वाला शीतकालीन सत्र चार बैठकों में ही समाप्त हो गया। लेकिन इन चार दिनों में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जमकर शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। विपक्षी भाजपा ने सत्तारूढ़ कांग्रेस को घेरने...

इंदौर

14 | **बॉन्ड से बदलेगी तस्वीर**

इंदौर नगर निगम जल्द एक और बड़ी उपलब्धि अर्जित करने जा रहा है। वह देश का ऐसा पहला निगम होगा, जिसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मसाला बॉण्ड जारी होंगे। लगभग 500 करोड़ रुपए के ये बॉण्ड लंदन या सिंगापुर...

विवाद

15 | **कैंपस बना अखाड़ा**

देश के तमाम बड़े विश्वविद्यालय युद्ध के मैदान में तब्दील हो गए हैं। भले ही इनमें सबसे बड़ा नाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) का है। लेकिन भोपाल का माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भी कम नहीं है।

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

नागरिकता संसोधन कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर देशभर में बवाल मचा हुआ है। कई राज्यों में आगजनी और खून खराबे तक हो चुके हैं। ऐसे-ऐसे लोग शोर मचा रहे हैं, जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं है। हर कोई भीड़ का हिस्सा बनकर हंगामे पर उतरा हुआ है। वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा सीएए की गलत व्याख्या कर जनमानस को उद्वेलित किया जा रहा है।

सियासत

32-33 | **बदलाव और बवाल भरा साल!**

वर्ष 2019 बदलाव और बवाल के लिए चर्चा का विषय बना रहा। इस दौरान केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक ने अपने यहां कई तरह के बदलाव किए। इन बदलावों के कारण खूब बवाल भी मचे। खासकर केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलावों के कारण देशभर में बवाल...

छत्तीसगढ़

34 | **विकास की जीत**

नगरीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरताज बनकर उभरी है। वोटरों ने विधानसभा चुनाव की तर्ज पर कांग्रेस के पक्ष में जमकर मतदान की। प्रदेश के 151 निकायों के दो हजार 840 पार्षद पद के चुनाव में कांग्रेस ने एक हजार 283 वार्डों में जीत दर्ज की है।

महाराष्ट्र

36 | **सरकार में तीन फाड़!**

महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी के मुद्दे पर चले सियासी घमासान के बाद कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने वाली शिवसेना का यह फैसला राजनीतिक विश्लेषकों के साथ ही आम लोगों को काफी अखरा था।

6 -7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

गुलाबी डायरियों से निकले काली करतूत के 'राज'

खु शबीर सिंह शाद साहब का शेर है-

तीर उसका अभी कमान में था,
शोर सा फिर भी आसमान में था

मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। लेकिन अब स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि हमाम में अभी कई छेद हैं। भोपाल की जिला अदालत में पेश की गई चार्जशीट में इस स्कैंडल की कई परतें खुलकर सामने आई हैं, जिसमें कई खबरचियों के चेहरे भी बेनकाब हुए हैं। इन पर आरोप है कि ये महिलाओं के साथ मिलकर ब्लैकमेलिंग व मानव तस्करी जैसे कामों को अंजाम देते थे। इस हाईप्रोफाइल मामले की आरोपित एक नाबालिग युवती ने मानव तस्करी में प्रदेश के कई रसूखदारों के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अहम साक्ष्य न होने के चलते इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चार्जशीट की मानें तो एक आरोपित महिला की पांच गुलाबी डायरियां बरामद की गई हैं, जिनमें सरकारी अफसरों के ट्रांसफर संबंधी जानकारी के साथ-साथ अश्लील वीडियो के आधार पर वसूली गई मोटी रकम का ब्यौरा है। एक डायरी में उन लोगों के नाम कोडवर्ड में लिखे गए हैं, जिनसे यह रकम वसूली की गई है, जबकि अन्य चार डायरियों में सरकारी अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग संबंधी जानकारी और करोड़ों की प्रॉपर्टी के लेन-देन की जानकारी का ब्यौरा है। गुलाबी डायरी की जांच के बाद एसआईटी ने वह चेहरे बेनकाब कर दिए हैं, जो इस कांड के शिकारी से लेकर शिकार तक की श्रेणी वाले लोग हैं। जिस्म की मंडी में कई रसूखदार दलाल से लेकर ब्लैकमेलर के रूप में सामने आ चुके हैं। सीआईडी द्वारा तैयार चालान में जिन कारनामों एवं कारनामेबाजों का खुलासा किया गया है, वह हांडी के चावलों में से कुछ ही हैं। हनी ट्रैप की दोषी महिलाओं ने जिस तरह बड़ी मछलियों को फांसा, उससे साफ है कि इस मंजिल तक पहुंचने में कई ऊंचे लोगों का साथ उन्हें मिला ही होगा। जाहिर है कि बहुत से अन्य नाम भी ऐसे मामलों से जुड़कर शिकार तथा शिकारी के बीच मध्यस्थता में अहम भूमिका निभा चुके हैं। सीआईडी के चालान में साफ लिखा है कि इस तिकड़ी ने ब्लैकमेल कर तबादलों और पोस्टिंग का खेल भी खेला है। तो तय मानिए कि मामला महज तबादलों तक सीमित नहीं रहा होगा। ब्लैकमेलिंग के शिकार लोगों ने और भी गलत काम करके हनी ट्रैप के कर्ताधर्ताओं की गलत तरीके से सहायता की ही होगी। इसलिए अब यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। इसकी वजह यह भी कि सीआईडी ने उन कई नामों की तरफ देखने तक का जतन नहीं किया है, जिनकी इस कांड में संलिप्तता वाले कई ऑडियो तथा वीडियो हाल ही में वायरल हो चुके हैं। ऐसे लोगों पर भी यदि कार्रवाई नहीं की गई तो तय मानिए कि छोटी-छोटी मछलियां ही जाल में फंसेंगी और बड़े मगरमच्छ साफ बचकर निकल जाएंगे। जिस तरह सरकार ने प्रदेश में अंगद के पांव की तरह जमे भू-माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रखा है, उसी तरह उम्मीद की जा रही है कि हनी ट्रैप मामले की हर परत तक सरकार पहुंचेगी। हालांकि कोर्ट में जो चालान पेश किया गया है, उसमें कई तरह की विरोधाभाषी बातें भी हैं। उम्मीद की जा रही है कि जिन बातों पर सवाल खड़े किए गए हैं। उनका जवाब जल्द ही जांच एजेंसी द्वारा सार्वजनिक कर दिया जाएगा। साथ ही इस घटनाक्रम से शासन-प्रशासन में बैठे लोगों को सबक भी मिलेगा कि वे सजग और सतर्क रहें।

-राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 18, अंक 7, 1 से 15 जनवरी, 2020

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2015-17

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:-** इंद्रकुमार, **जयपुर:-** आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:-** संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :-** मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
094259 85070, (मंदसौर) धर्मवीर रत्नावत
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-
फोन : 011 25495021, 011 25494676
मुंबई : बी-1, 41 शिव पावर्ती चेम्बर प्लाट नंबर 106-110 सेक्टर-21
नेरूल, नवी मुंबई-400706 मो.-093211 54411
कोलकाता : 70/2 हजरा रोड कोलकाता
फोन-033 24763787, मोबाइल: 09331 033446
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
फोन- 0141 2295805, मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई,
मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिलंटर निपानिया, इंदौर
मोबाइल - 094251 25096

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

काम तो हुआ है...

प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने पिछले एक साल में काम तो किया है। जिस तरह से भाजपा की सरकार ने कर्जदार प्रदेश कांग्रेस को सौंपा है, और सीएम कमलनाथ ने जिस तरह से प्रदेश को संवारने के लिए कदम उठाए हैं, वह वाकई में काबिले तारीफ है।

● **ऋषभ साहू,** भोपाल (म.प्र.)

कैसे खरीदे प्याज?

देशभर में प्याज की कीमतों ने आम आदमी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज जितने रुपए किलो प्याज बिक रहा है उतने में तो 3 से 4 प्रकार की सब्जियां घर लेकर आ सकते हैं। ऐसे में प्याज कैसे खरीदें? इस साल प्याज ने विक्रेता और ग्राहक दोनों की कमर तोड़कर रख दी है।

● **रहिम शर्मा,** जबलपुर(म.प्र.)

विरोध होना ही चाहिए

नागरिकता संशोधन विधेयक को विरोध होना लाजमी है। आखिर जिस समय हमें देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए उस समय ऐसे कानून की आवश्यकता समझ से परे है। केंद्र सरकार को इस प्रकार के कानून न लाकर देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए।

● **विजय चव्हाण,** नई दिल्ली

अभी बड़ी उम्मीद है

वक्त है बदलाव के नारे के साथ मप्र में सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार से प्रदेश को अभी काफी उम्मीदें हैं। वैसे अपने एक साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनकी सरकार ने यह दिखा दिया है कि सरकार बहुत कुछ करना चाहती है। अल्प समय में ही जिस तरह सरकार ने योजाओं को अमली जामा पहनाया है, उससे इस बात के संकेत तो मिल गए हैं कि आने वाले समय में प्रदेश में विकास की नई बहार देखने को मिलेगी। सरकार को प्रदेश में विकास करने के लिए अभी बहुत कुछ करना शेष है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में विकास के जो वादे किए गए थे, वे आधे-अधूरे हैं। कमलनाथ सरकार को उन्हें पूरा करना है।

● **दिनेश प्रजापति,** ग्वालियर (म.प्र.)

अब और नहीं...

देश में लगातार जिस प्रकार महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं, उस पर अब सरकार को कठोर कदम उठाना ही होगा। जबसे हैदराबाद में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर कर ढेर किया है, तबसे सरकार का और अधिक ध्यान देना आवश्यक हो गया है। यदि अब भी देश में रेप के आरोपियों के लिए कठोर कानून नहीं लाया गया, तो दुष्कर्म के मामले इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे और एनकाउंटर के बाद अब जनता भी आक्रामक रूप ले सकती है।

● **रोहित नागर,** इंदौर (म.प्र.)

भूखे भी रहते हैं बच्चे

सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील जैसी योजना के बावजूद आज भी प्रदेश के क्षेत्रों में बच्चों को स्कूलों में भूखा रहना पड़ता है। और जिन बच्चों को खाना मिलता भी है तो तो ऐसा कि वह खा भी नहीं पाते। इस योजना से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी ही बच्चों का अनाज डकार रहे हैं। डाइट चाट के अनुसार भोजन तो मिलता नहीं है, उलटा बच्चों को स्कूल में भूखा रहना पड़ता है। कई बार तो सब्जी में छिपकली तक परोसी गई है।

● **सुरभि देशमुख,** इंदौर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

सुशासन बाबू की डोली नीयत

नीतीश कुमार को करीब से जानने वाले भी उनके मन को भांप लेने का दावा नहीं कर सकते हैं। नीतीश कब धर्मनिरपेक्ष हो जाएं और कब दक्षिणपंथी, इसका अनुमान लगा पाना असंभव है। हां, इतना अवश्य है कि अपना नया दांव चलने से पहले वे कुछ ऐसे संकेत देना अवश्य शुरू कर देते हैं जिससे कयास लगाए जा सकते हैं कि अब एक बार फिर से बिहारी बाबू पलटी मारने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक पर संसद में जद(यू) ने भाजपा का साथ दिया तो उनके ही दो अत्यंत करीबियों ने पार्टी के इस स्टैंड की सार्वजनिक आलोचना कर बिहार में राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। पार्टी के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और वरिष्ठ नेता पवन वर्मा ने नीतीश कुमार से आग्रह कर डाला है कि वे पार्टी के इस स्टैंड पर पुनर्विचार करें। जानकारों की इस बयानबाजी को लेकर दो राय सामने आ रही हैं। कुछ का मानना है कि पीके को चूंकि जद(यू) में कोई विशेष महत्व नहीं मिल रहा इसलिए उन्होंने नीतीश पर अपरोक्ष हमला बोल पार्टी छोड़ने की तैयारी कर ली है। लेकिन कुछ अन्य का दावा है कि ये बयानबाजियां नतीश बाबू के इशारे पर की गई हैं ताकि वक्त आने पर जद(यू) अपना स्टैंड बदलकर एक बार फिर से धर्म निरपेक्ष खेमे में शामिल हो सके।

सब्र का इम्तिहान

अशोक गहलोत अपनी पार्टी के नेताओं ही नहीं सरकार का समर्थन कर रहे निर्दलीय विधायकों के सब्र का भी जैसे इम्तिहान ले रहे हैं। सरकार बने एक साल से भी ज्यादा हो गया है। पर सत्ता सुख की रेवड़ियां बांटी न मंत्रिमंडल का विस्तार ही किया। जबकि उनकी सरकार बसपा से कांग्रेस में आए और निर्दलीय दोनों श्रेणी वाले विधायकों के बिना बहुमत न दिखा पाती। हर बार कोई न कोई अड़चन आ जाती है। या यूं कहें कि गहलोत को बहाना मिल जाता है बर्र के छत्ते में हाथ डालने से बचने का। अब पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव का ऐलान हो गया है तो आचार संहिता की बंदिश शुरू हो गई। यानी इस दौरान किसी को लाभ का पद न दे पाएंगे। हां, ढाढस बंधाने के लिए गहलोत ही नहीं उनके उपमुख्यमंत्री और सियासी रूप से विरोधी गुट के अगुवा सचिन पायलट ने भी अपनी-अपनी सूची बना रखी है। किसे कहां एडजस्ट करना है। यह बात अलग है कि इन दोनों सूचियों पर आखिरी मुहर आलाकमान ही लगाएगा। अगर सरकार में निर्दलियों को जगह नहीं मिली तो इसका असर भी देखने को मिलेगा।

सवालिया निशान

योगी सरकार ने साबित कर दिखाया कि विकास के एजंडे में भले उसकी रैंकिंग बाकी राज्यों के मुकाबले काफी नीचे हो पर एक खास वर्ग के विरोध और उग्र प्रदर्शन से निपटना उसे बखूबी आता है। सूबे के बीस से ज्यादा स्थानों पर केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई ही नहीं की बल्कि बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए की गई फायरिंग को भी नकार दिया। सूबे के डीजीपी लगातार बोलते रहे कि दंगों में मरे बीस से ज्यादा लोग उपद्रवी थे और उपद्रवियों की गोलियों का ही शिकार हुए। उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक नजरिए से देश का सबसे संवेदनशील सूबा रहा है। लेकिन इस बार कहीं भी नाराज मुसलमानों ने किसी भी गैरमुसलमान खासकर हिंदू से कहीं कोई झगड़ा नहीं किया। पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर उंगली खूब उठ रही है। बेकसूरों पर कार्रवाई में भेदभाव का सवाल हो या सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए वसूली के कानून पर अमल का सवाल। जब पहले से अशांति की आशंका में पूरे सूबे में धारा 144 यानी निषेधाज्ञा लागू थी तो पुलिस प्रशासन ने नमाज के वक्त चाकचौबंद बंदोबस्त क्यों नहीं किए थे? उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहीं भी शांति और सद्भाव के लिए सियासी प्रयास नहीं दिखे।

बगैर दफ्तर लोकपाल

अन्ना हजारे के जबरदस्त आंदोलन से पैदा हुई लोकपाल संस्था अपनी प्रासंगिकता खोती नजर आ रही है। मनमोहन सिंह सरकार लोकपाल सरीखी मजबूत एन्टी करप्शन संस्था बनाने के पक्ष में पहले से ही नहीं थी। अन्ना आंदोलन के दबाव में आकर भले ही लोकपाल बिल संसद ने पारित किया लेकिन केंद्र की सत्ता परिवर्तन बाद भी यह संस्था अपनी जड़ें नहीं जमा सकी है। मोदी सरकार देश के लोकपाल को अभी तक नियमित कार्यालय तक उपलब्ध नहीं करा सकी है। लोकपाल न्यायूमर्ति पीसी घोष वर्तमान में दिल्ली के सरकारी पंच सितारा होटल अशोका में 12 कमरे लेकर अपना दफ्तर चला रहे हैं। हैरानी की बात यह कि केंद्र सरकार ने लोकपाल के लिए मात्र 4.29 करोड़ का बजट अभी तक तय किया है जिसमें से 3 .85 करोड़ अशोका होटल के खाते में जा चुके हैं। खबर यह भी पुख्ता है कि अभी तक दर्ज 1160 शिकायतों में लगभग 1000 शिकायतों पर लोकपाल ने सुनवाई तो की है, लेकिन एक में भी जांच आगे नहीं बढ़ी है।

शह और मात

राजनीति भी शह और मात का खेल है आजकल। कौन किसे कब मात देगा, इसी पर चलती है सारी चकल्लस। उत्तराखंड कहने को छोटा सा सूबा ठहरा। लोकसभा की महज पांच सीटें हैं इस सूबे में। पर सियासी उठापटक यहां बारहों महीने बदस्तूर चलती है और इससे न भाजपा बची है और न कांग्रेस अछूती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद से हालांकि भाजपा की गुटबाजी और अंतरकलह पहले की तरह सतह पर नजर कम आती है। जबकि कांग्रेस के कुनबे का बिखराव और ज्यादा विस्तार ले रहा है। गुटबाजी शिखर पर है। राष्ट्रीय स्तर पर ही पार्टी का हाल बेहाल हो तो उत्तराखंड जैसे सूबे की चिंता कौन करे? हरीश रावत को आलाकमान ने पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव यह सोचकर बनाया था कि वे सूबे में पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी से ऊपर उठेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। रावत का दिल दिल्ली और गुवाहाटी से ज्यादा देहरादून में ही रमता है। आखिर जमीन से जुड़े नेता ठहरे।

अब किसकी बारी...?

प्रदेश की नौकरशाही के चाल, चेहरा और चरित्र को कलंकित करने वाले हनीट्रैप मामले में चालान पेश करने के बाद अब प्रशासनिक वीथिका में यह चर्चा जोरों पर चल पड़ी है कि जांच एजेंसी के निशाने पर अब कौन है? दरअसल, अदालत में पेश किए गए चालान में कोई ऐसा नाम सामने नहीं आया है, जिसके नाम पर प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में नौकरशाही चटखारे लेकर चर्चा कर सके। आलम यह है कि जिस दिन से चालान पेश किया गया है, उस दिन से मंत्रालय के कई कक्षों में नामों को लेकर अनुमान लगाने का दौरान चल पड़ा है। खबर तो यह भी है कि कुछ अफसरों ने अपने खास मित्रों पर निगरानी बिठा दी है। वे इस बात की पड़ताल करवा रहे हैं कि साहब से मिलने कौन-कौन आता है और कब-कब? वहीं सूत्र बताते हैं कि कुछ अफसरों ने तो अपने मतहतों को हिदायत दे रखी है कि उनसे मिलने आने वाले मीडिया कर्मियों से पहले वे अपने स्तर पर ही बातचीत करके उन्हें चलता कर दें। दरअसल, हनीट्रैप मामले के बाद से ही प्रदेश के कई अफसरों ने अंजान लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी है। यही नहीं कई अफसर तो ऐसे हैं जो मोबाइल फोन पर बात करने से साफ-साफ मना कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जिस भी संदर्भ में बात करना हो, वे उनके कार्यालय पहुंचकर संबंधित अधिकारियों से मौखिक बात करें।

पावर सेंटर की शरण में

नए साल में प्रदेश सरकार में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इन संकेतों के मिलते ही नेता और अफसर सत्ता के तथाकथित पावर सेंटर की शरण में देखे जा रहे हैं। दरअसल, प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में यह माना जा रहा है कि इस सरकार में एक अलग पावर सेंटर है। जिसका शासन-प्रशासन में सबसे अधिक हस्तक्षेप है। यह कई अवसरों पर सही भी साबित हुआ है। इसलिए इन दिनों प्रदेश के कई नेता जिनमें कुछ मंत्री भी शामिल हैं और वरिष्ठ अफसर भी उक्त पावर सेंटर के इर्द-गिर्द नजर आते हैं। हालांकि बताते हैं कि दिल्ली में अपनी नई जमावट के चलते पावर सेंटर बने नेताजी कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि वे चाहते हैं कि उन्हें फिर से संसद में बैठने की पात्रता मिल जाए। इसलिए वे अपनी गोटियां सेट करने में लगे हुए हैं। लेकिन बताते हैं कि इसके साथ ही वे अपने पास आने वाले हर एक नेता या अफसर को यह आश्वासन देने में देर नहीं करते हैं कि सबकुछ ठीक हो जाएगा। अब देखना यह है कि पावर सेंटर बने इन माननीय की मंशा पूरी होती है कि नहीं।

सवाल रसूख का

नए साल में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं। इसको देखते हुए कई पूर्व विधायक इस कोशिश में लगे हुए हैं कि उनकी पार्टी महापौर या अध्यक्ष के तौर पर उनका नाम आगे करके उन्हें पार्षदी का टिकट दे दें। गौरतलब है कि इस बार निकाय चुनाव में महापौर या अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होना है। ऐसे में कई बड़े नेताओं की मंशा पर पानी फिर गया है। पानीदार नेता तो अब इस कोशिश में लगे हैं कि उन्हें कहीं और एडजस्ट कर लिया जाए। लेकिन कई नेता ऐसे हैं जो इस कोशिश में लगे हैं कि उनका रसूख कायम रहे, भले ही उन्हें पार्षद का चुनाव ही क्यों न लड़ना पड़े। ऐसे नेताओं में कई नेता वे हैं जो या तो पूर्व में विधायक रहे हैं या विधायक का चुनाव लड़े हैं। भाजपा में ऐसे नेताओं की लंबी सूची है। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में सत्ता जाने के बाद जब प्रदेश में अल्पमत वाली कांग्रेस की सरकार बनी तो भाजपा के नेताओं को उम्मीद थी कि सरकार जल्द ही गिर जाएगी और फिर चुनाव हुआ तो भाजपा सत्ता में वापस आ जाएगी। लेकिन बिल्ली के भाग्य से छींका नहीं फूटा। यही नहीं अब कांग्रेस सरकार इतनी मजबूत हो गई है कि उसे गिराने का सपना देख रहे भाजपाई अब इस कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरह उन्हें कुर्सी मिल जाए। अब देखना यह है कि कुर्सी की दौड़ में कौन-कौन नेता पार्षद का टिकट पाने में सफल होते हैं।

पुनर्वास पर सवाल

पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पूर्व नौकरशाहों के पुनर्वास को लेकर बदनाम थी। पूर्ववर्ती सरकार के तेरह सालों के दौरान पूर्व मुख्य सचिवों के अलावा कई और आईएएस अफसरों का पुनर्वास किया गया है। उस दौरान पुनर्वास पाने वाले अधिकांश नौकरशाह अब भी सरकारी पैसों पर मौज कर रहे हैं। इन अफसरों को वह सब सुविधाएं मिली हुई हैं, जो उन्हें अपनी सेवा के दौरान मिलती थी। जबकि उस समय विपक्ष में रही वर्तमान सरकार के नेता इस पर सवाल खड़े करते रहे। यही नहीं अब तो इस सरकार ने भी पूर्व नौकरशाहों को पुनर्वास देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस सरकार ने अपने कार्यकाल का पहला आयोग गठित किया है। इसका अध्यक्ष भी एक पूर्व नौकरशाह को बनाया गया है। खास बात यह है कि राज्य प्रशासनिक सेवा से लेकर निचले स्तर तक के कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर नौकरशाहों को ही दोषी मानते हैं ऐसे में उन्हें ही कमान सौंपे जाने से उनमें गहरी नाराजगी है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों का मानना है कि आखिर सरकार पूर्व नौकरशाहों का पुनर्वास क्यों कर रही है।

मंत्रियों के कारण किरकिरी

पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में मंत्रियों के कारण सरकार की खूब किरकिरी होती थी। ऐसा ही कुछ वर्तमान में भी हो रहा है। सरकार के लिए प्रदेश के कई मंत्री परेशानी का कारण बने हुए हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी कुछ मंत्रियों ने सरकार की किरकिरी कराई। यही नहीं, सरकार बनने के बाद से ही सदन के बाहर सत्तापक्ष के विधायकों की नाराजगी मंत्रियों से कम नहीं हो रही। वे बार-बार शिकायत कर रहे है कि मंत्री उनकी सुनते नहीं है। फोन नहीं उठाते हैं। तबादला उद्योग को लेकर भी शिकायतें मंत्रियों के खिलाफ ही ज्यादा है। कुछ मंत्री तो ऐसी हरकतें करते हैं जैसे अब भी वे विपक्ष के ही विधायक है। अब तो सलाह आने लगी है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ को मंत्रियों का आचरण ठीक करने के लिए एक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन करना चाहिए। वैसे भी सदन में कई बार ऐसे हालात बने की आसंदी तक को मंत्रियों को नसीहत देनी पड़ी। इस तरह के आचरण के चलते कई बार तो सरकार को बैंकफुट पर भी आना पड़ा है।

अमित शाह ने 'सबका साथ-सबका विकास' का पालन नहीं किया, बल्कि 'सबके साथ सर्वनाश' किया है। नागरिकता विधेयक को विपक्षी पार्टियों से बिना चर्चा किए ही पारित कराया गया। इसके कारण देश जल रहा है।

● **ममता बनर्जी**

जब संसद में हमारे पास जबर्दस्त बहुमत होता है, तो हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहां हम गलत होते हैं। लोगों ने पहले कई बार ऐसे नेताओं को सजा दी है। हो सकता है कि लोगों ने किसी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया हो, लेकिन भारतीय चुनावों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं रहा, जब वोटर्स ने सिर्फ एक ही पार्टी को समर्थन दिया हो।

● **प्रणब मुखर्जी**

मोदी सरकार रोजगार देने में फेल, अर्थव्यवस्था में फेल, किसान को सक्षम बनाने में फेल, छात्रों की आवाज सुनने में फेल, महिलाओं की सुरक्षा में फेल, महंगाई को रोकने में फेल और इन सबके लिए बहाना-कांग्रेस पार्टी। सच्चाई ये है कि पांच साल में भाजपा ने कुछ नहीं दिया। सच्चाई यह है कि सारी जिम्मेदारी भाजपा और पीएम मोदी की है।

● **प्रियंका गांधी**

भारतीय क्रिकेट टीम में कुछ युवा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यह आने वाले समय के लिए शुभ संकेत हैं। ऋषभ पंत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जिस तरह का प्रदर्शन किया है उससे लगता है कि टीम में खाली पड़ी एक बड़ी जगह को भरने के लिए वे उपयुक्त हैं।

● **रवि शास्त्री**

मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि इन दिनों देश में क्या चल रहा है। देश धीरे-धीरे जंगलीपन में तब्दील होता जा रहा है। लोग छोटी-छोटी बात पर उग्र हो रहे हैं। मैं देख रही हूं कि यह दुनिया धीरे-धीरे वहशीपन में बदलती जा रही है। मैं आने वाले तूफान को सुन सकती हूं, जो एक दिन हमें तबाह कर देगा। मैं लाखों लोगों के दुख को महसूस कर सकती हूं, लेकिन जब मैं आकाश की ओर देखती हूं तो लगता है कि यह सब बेहतर होने के लिए बदल जाएगा, यह क्रूरता भी समाप्त हो जाएगी और शांति फिर से वापस आ जाएगी।

● **सोनम कपूर**

वाक्युद्ध

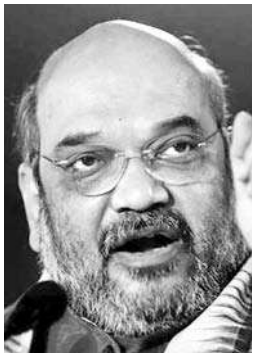

हमारी सरकार ने जो कुछ भी किया है, वह संसद में किए गए वादों के अनुसार ही है। पूर्ववर्ती सरकारों और राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने जो वादा किया था, उसे हमने निभाया है। फिर भी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को लेकर देशभर में आगजनी करवा रही हैं। देश की जनता उनकी नीयत को समझ रही है।

● **अमित शाह**

एनआरसी और सीएए की आड़ में केंद्र सरकार अपनी विफलता को छुपा रही है। देश में आपसी वैमनस्य फैलाया जा रहा है। देश में एनआरसी और सीएए की जरूरत ही नहीं थी। अगर सीएए लागू भी किया गया है तो उसमें सभी धर्मों को समान रूप से जगह देनी चाहिए थी। लेकिन केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है।

● **राहुल गांधी**

राज्यसभा की दावेदारी

मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो गई है। विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह को चुनाव के लिए रिटर्निंग अफसर नियुक्त कर दिया गया है। यही नहीं चुनाव की अधिसूचना जनवरी के पहले हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है। 9 अप्रैल 2020 में तीन राज्य सभा सांसद दिग्विजय सिंह, प्रभात झा और सत्यनारायण जटिया का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसलिए चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार दो सीटों पर कांग्रेस के सदस्य चुने जाना हैं। फिलहाल दो सीटों पर भाजपा के सांसद हैं। कांग्रेस से कई दिग्गजों के नाम रेस में चल रहे हैं। चुनाव आयोग अगले महीने के पहले सप्ताह में राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर कार्यक्रम घोषित कर सकता है। मौजूदा सियासी गणित के तहत विधानसभा की दलीय स्थिति में एक-एक सीट भाजपा कांग्रेस मिलेगी, जबकि तीसरी सीट को लेकर दोनों ही पार्टियों में उठक पठक जारी है। इस तीसरी सीट पर निर्दलियों की भूमिका अहम होगी। इसलिए कांग्रेस और भाजपा प्रदेश के निर्दलीय विधायकों पर नजरें जमाए हुए है।

राज्यसभा सदस्य के लिए भाजपा में दावेदारों की कमी नहीं है। मौजूदा सांसद प्रभात झा तीसरी बार राज्यसभा सदस्य बनना चाहते हैं, तो वहीं पार्टी के दूसरे नेताओं की दावेदारी भी प्रबल बताई जा रही है। इस बार राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी दौड़ में शामिल है। इसके अलावा महाकौशल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व महाधिवक्ता रविनंदन सिंह का नाम भी चर्चा में है। वहीं पिछली बार सदस्य बनने से चुके विनोद गोटिया भी रेस में हैं। गोटिया एक बार यह चुनाव लड़ चुके हैं। कुछ आदिवासी नेता भी दावेदारी कर रहे हैं। एक गुट आदिवासी नेता को सदस्य बनाना चाह रहा है। इसके अलावा चंबल से एससी कोटे से आने वाले लालसिंह आर्य का नाम भी चर्चा में है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का कहना है कि राज्यसभा सदस्य कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, इसका फैसला भाजपा का संसदीय बोर्ड लेगा। पार्टी में नेता चुनने की एक व्यवस्था है। दावेदारी और अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की दावेदारी प्रबल बताई जा रही है। हालांकि इस बार यह आसान नहीं है। क्योंकि कांग्रेस में कई धड़े अपने नेता को आगे करने में लगे हुए हैं। कई ऐसे खेमे हैं, जिनकी नजर राज्यसभा सीट पर है। प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों पर कांग्रेस चाहती है कि इस बार दो सीटें उसके कब्जे में आ जाएं। एक सीट तो उसे मिलनी ही है, लेकिन दूसरी के लिए निर्दलीय विधायकों पर सबकी नजर है। निर्दलीय सरकार के साथ हैं, लेकिन सियासी समीकरण के चलते कांग्रेस ने अभी से सभी को साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल का कहना है कि इस बार कांग्रेस के पास 2 राज्यसभा सीट आएंगी। हमारी पूरी कोशिश है कि तीसरी सीट भाजपा को नहीं मिले। संगठन और सरकार मिलकर तैयारी कर रही है।

अप्रैल में खाली होने वाली राज्यसभा की इन सीटों पर जीत के लिए भाजपा और कांग्रेस ने सियासी गणित बनाना शुरू कर दिए हैं। सियासी समीकरणों के अनुसार एक सदस्य के लिए 58 विधायकों का वोट जरूरी होता है। दो सीटों में एक भाजपा और दूसरी कांग्रेस को मिलेगी, लेकिन तीसरी सीट के लिए कांग्रेस के 56 और भाजपा के पास 50 विधायक रह जाएंगे। कांग्रेस को दो वोट जुटाने होंगे। दूसरी तरफ भाजपा को आठ वोट चाहिए। इतने वोट को अपने पक्ष में करने के लिए अभी से समीकरण बनाए जा रहे हैं और लामबंदी शुरू हो चुकी है।

प्रदेश में रिक्त होने वाली तीन सीटों में से भाजपा के पास दो और कांग्रेस के पास एक सीट है। लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद समीकरण बदल गए हैं। विधानसभा की मौजूदा सदस्यों की संख्या के मुताबिक कांग्रेस की राह आसान दिख रही है। राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में प्रत्याशी को जीत के लिए 58 विधायकों के वोटों की जरूरत होती है। कांग्रेस के पास अभी 114 विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के मंत्रिमंडल में एक निर्दलीय विधायक है। तीन निर्दलीय कांग्रेस विचारधारा के हैं और सरकार को समर्थन भी दे रहे हैं। इसी तरह बसपा के दो और सपा का एक विधायक भी कमलनाथ सरकार को समर्थन कर रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के पास 121 विधायकों का समर्थन है। वहीं, भाजपा के 108 विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस के दो प्रत्याशियों की राज्यसभा चुनाव में जीत आसान है।

● **सुनील सिंह**

सिंधिया राज्यसभा के लिए प्रबल दावेदार

कांग्रेस में दावेदारों की लंबी फेहरिस्त है। वर्तमान सांसद दिग्विजय सिंह के अलावा सबसे मजबूत दावेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बताई जा रही है। पार्टी उनको राज्य सभा भेजने का मन बना चुकी है। हालांकि, अंतिम निर्णय हाईकमान को ही लेना है। सीएम दिग्विजय के नाम पर सहमति जता सकते हैं। लेकिन इस रेस में पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा की सीट रिक्त करने वाले दीपक सक्सेना के नामों पर भी कांग्रेस विचार कर सकती है।

करीब एक साल पहले अल्पमत की सरकार रही कांग्रेस इस समय इतनी मजबूत हो गई है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वह भाजपा पर भारी पड़ी। विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा के दिग्गज नेता बिखरे-बिखरे नजर आए। आलम यह रहा कि किसी भी मुद्दे पर पार्टी के नेता एक मत नहीं रहे। इसका असर यह हुआ कि पूरी सत्र के दौरान सत्तापक्ष विपक्ष पर भारी पड़ा।

भारी पड़ी सरकार

मप्र विधानसभा का पांच बैठकों वाला शीतकालीन सत्र चार बैठकों में ही समाप्त हो गया। लेकिन इन चार दिनों में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जमकर शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। विपक्षी भाजपा ने सत्तारूढ़ कांग्रेस को घेरने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सरकार उस पर हर मामले में भारी पड़ी। स्थिति यह रही कि भाजपा का आंदोलन भी दिखावा साबित हुआ।

दरअसल, सदन में ही भाजपा बंटी-बंटी नजर आई। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आए। जबकि नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सदन में उपस्थित रहने के बाद भी अनुपस्थित दिखे। कभी-कभी स्थिति यह बनी कि भाजपा के नेता एक ही सवाल पूछते नजर आए। इस कारण उन्हें विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति से फटकार भी सुनने को मिली। भाजपा विधायक दल के तीन बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान, गोपाल भार्गव और नरोत्तम मिश्रा के बीच पहले बोलने की प्रतिद्वद्विता सदन में साफ नजर आती है। एक ने पूछा कि गेंहू पर बोनस कब दोगे, तो दूसरे भी यही सवाल दाग दिया। दो दिन से चल रहे इस क्रम को विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति भांप गए। आखिरकार उन्होंने बोल ही दिया कि कि आप तीनों तय कर लिया करों कि पहले कौन बोलेगा। उन्होंने सदन में बीच-बीच में टोकाटोकी करने वाले सदस्यों को भी जमकर फटकार लगाई। अध्यक्ष ने कहा, सदन का मखौल बनाकर रख दिया है। एक साथ दस-दस सदस्य मुद्दा उठाने लगते हैं। एक बोलता है उसके पीछे चार सदस्य खड़े होकर बालने लगते हैं। अध्यक्ष ने सदन में सबसे ज्यादा बीच में बालने वाले मंत्रियों जीतू पटवारी, प्रद्युम्न सिंह तोमर का नाम लेकर कहा कि आप भी तय कर लें कि अगर कोई मंत्री जवाब दे रहा है तो आपको बीच में खड़े होकर नहीं बोलना चाहिए।

हालांकि कई मामलों में सत्तापक्ष भी असमंजस में नजर आया। मंत्री विपक्ष के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पाए। अगर विधानसभा का सत्र लंबा चलता तो निश्चित रूप से इसमें जोरदार घमासान देखने को मिलता। लेकिन भाजपा ने रोजाना एक मुद्दा उठाकर पैदल मार्च करते हुए विधानसभा पहुंचकर यह संकेत दे दिया है कि वह सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं चूकेगी। वहीं सत्तापक्ष भी सरकार को करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

हर बार की अपेक्षा इस बार विधानसभा का नजारा बदला-बदला सा रहा। पक्ष-विपक्ष दोनों के सुरताल बिगड़े नजर आए। सत्र के दौरान एक ओर जहां सरकार के मंत्री विपक्ष के सवालों के जवाब के लिए अपडेट नजर नहीं आते तो दूसरी तरफ विपक्ष में भी एक बात पर बोलने और श्रेय लेने की होड़ अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए नेताओं के बीच नजर आई। ऐसे में विधानसभा की कार्रवाई से प्रदेश की तरक्की और आम आदमी की मुश्किलों के लिए जो हल निकलना चाहिए उसकी जगह वाद-विवाद, टोका-टाकी और एक ही बात की बार-बार पुनरावृत्ति ज्यादा नजर आई। सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच रोजाना होने वाली गर्माहट सत्र के बाद मैदान

मप्र के विधायक अब हर साल अपनी संपत्ति सार्वजनिक करेंगे

मध्य प्रदेश में अब विधायक हर साल अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने विधानसभा में इस आशय का संकल्प प्रस्तुत किया, जिसे चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। संकल्प के अनुसार अब विधानसभा सदस्य हर साल अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करेंगे। ये विवरण उन्हें हर साल 31 मार्च की स्थिति में, 30 जून तक विधानसभा के प्रमुख सचिव के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। विवरण विधानसभा की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। मप्र विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को खुद और अपने आश्रित प्रत्येक सदस्य की संपत्ति का विवरण, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित सालाना विवरण के रूप में अथवा चुनावी उम्मीदवारी के लिए भरे जाने वाले निर्वाचन आयोग के प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा।

में भी दिखेगी। इसके लिए दोनों पार्टियों के रणनीतिकार तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेस अपने एक साल के शासनकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी और पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के 15 साल के शासनकाल से उसकी तुलना करेगी। वहीं भाजपा कांग्रेस सरकार की विफलता को प्रचारित करेगी।

दरअसल, आने वाले समय में प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसलिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद दोनों पार्टियों का पूरा फोकस इन चुनावों पर है। खासकर निकाय चुनावों पर। इसलिए दोनों पार्टियां सत्र के बाद रणनीति बनाकर नए साल में मैदानी मोर्चा संभालेंगी। इसके लिए अंदरूनी तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों ने मिली जानकारी के अनुसार, नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में अपनी-अपनी पार्टी की साख बनाए रखने के लिए भाजपा और कांग्रेस में रणनीति बन रही है। नए साल में कांग्रेस नेता जनता के बीच जाकर अपनी सरकार के एक साल के काम का ब्यौरा देंगे। इसके लिए मंत्रियों, विधायकों के साथ ही संगठन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं भाजपा नेता कांग्रेस सरकार के एक साल के शासनकाल की खामियां गिनाएंगे।

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, सरकार के एक साल के शासनकाल की उपलब्धियों को जनता के बीच प्रचारित करने के लिए नए साल में सबको सक्रिय किया जाएगा। प्रदेश सरकार के मंत्रियों की उनके प्रभार वाले जिलों में प्रचार की जिम्मेदारी रहेगी। मंत्री प्रभार वाले जिले में जनता से रूबरू होंगे। वहीं विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहना पड़ेगा। कांग्रेस की रणनीति यह है कि वह जनता के बीच जाकर अपने एक साल के शासनकाल के तुलना भाजपा के 15 साल के शासनकाल से करेगी। पार्टी के रणनीतिकार इसके लिए भाजपा शासन में हुए घोटालों की सूची तैयार कर रहे हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणाएं और उनकी स्थिति के आंकड़ें भी तैयार करवाए जा रहें हैं। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार शिवराज ने अपने 13 साल के शासनकाल के दौरान 12 हजार लोक-लुभावन घोषणाएं कीं। इनमें 11 हजार 800 योजनाएं हवा-हवाई साबित हुईं। यह हकीकत जनता को बताई जाएगी।

भाजपा नए साल में जनता के बीच प्रदेश सरकार की विफलता गिनाने के साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान भी करेगी। विपक्ष जिन मुद्दों के जरिए सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश में है, उनमें किसान कर्जमाफी, आपदा से हुई बर्बादी में मुआवजा की जानकारी, यूरिया की किल्लत, कानून व्यवस्था, दुष्कर्म के बढ़ते मामले, ओला से हुए नुकसान जैसे मुद्दे शामिल हैं। सरकार को घेरने के लिए भाजपा इस बार पार्टी के दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने के मूड में है। वहीं प्रदेश कांग्रेस केंद्र सरकार द्वारा मप्र से किए जा रहे भेदभाव को जनता के सामने पेश करेगी। भाजपा ने निकाय चुनाव के साथ ही पंचायत चुनावों की तैयारियां भी शुरू कर दी है। भाजपा इन चुनावों में बेरोजगारी, कांग्रेस सरकार के एक साल के अब तक अधूरे कामों, बिगड़ती कानून व्यवस्था आदि को अपने एजेंडा में शामिल कर रही है। एक सबसे बड़ा मुददा कर्जमाफी का होगा और पार्टी इसे घर-घर जाकर बताएगी। इसके साथ केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को भी प्रचार में लाएगी। भाजपा में इसके लिए मंथन चल रहा है। पार्टी ने सभी नेताओं को निर्देश दिए है कि पार्टी के सम्पूर्ण घटक पूरे जोर-शोर से एकजुट होकर निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट जाए और केन्द्र की मोदी सरकार की ओर से किसानों, महिलाओं, युवाओं एवं गरीब लोगों के उत्थान को लेकर जो योजनाएं चलाई जा रही है, उन्हें आम ग्रामीण मतदाताओं तक पहुंचाए। भाजपा के कार्यकर्ता को मोदी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता को मिशन के रूप में बनाकर प्रत्येक घर में शौचालय, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मकान, महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना द्वारा धुएं से मुक्ति, प्रत्येक घर को उज्ज्वला योजना की बिजली, युवाओं को स्टार्टअप योजना आदि बताना है। भाजपा राज्य की कमलनाथ सरकार की ओर से किसानों को कर्जामाफी, युवाओं को रोजगार, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं की सुरक्षा को भी मुददा बनाकर मैदान में उतरेगी।

● **अरूण दीक्षित**

23 हजार करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्तमंत्री तरुण भनोत 2019-20 का पहला 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया। यह अभी तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है। प्राकृतिक आपदाओं और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में व्यय करने के लिए 13,385 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 2,130 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें बिजली कंपनियों का भार कम करने के लिए करीब 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान तथा इंदिरा गृह ज्योति योजना के लिए 630 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसके अतिरिक्त अध्यापक से शिक्षक बने लोगों के लिए 1,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना के मद में 427 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना के लिए 225 करोड़ रुपए का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए 226 करोड़ रुपए और स्कूली शिक्षा के लिए 1,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

चुनौतियों के पार

'पांच साल में 10 लाख नए रोजगार देंगे'

'विजन-टू-डिलेवरी रोडमैप 2020-2025' में अगले पांच साल में 10 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कही गई है। 3.50 लाख जॉब मैन्युफैक्चरिंग तो 1.50 लाख सर्विस सेक्टर से रोजगार सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा पांच लाख नौकरियां पर्यटन क्षेत्र से दी जाएंगी। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद इस रोडमैप की मॉनिटरिंग करेंगे। रोडमैप में समस्त नागरिक सेवाओं को 'कहीं भी' और 'किसी भी समय' के तर्ज पर किसी भी स्मार्ट फोन डिवाइस के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही प्रदेश के हर गांव को सड़क, बिजली और ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी की तर्ज पर प्रदेश में नई सिलिकॉन सिटी। सिंचित क्षेत्र का रकबा 40 से 65 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई 5.27 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर करेंगे। प्राथमिक शिक्षा में 100 प्रतिशत नामांकन और 0 प्रतिशत ड्रॉपआउट तय होगा। हर गांव-हर घर में 24 घंटे बिजली, पक्की सड़कें और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा मिलेगी। नवकरणीय ऊर्जा ग्रिड की क्षमता 4 हजार से 13 हजार मेगावाट करेंगे। 'राइट टू वाटर' और 'राइट-टू-हेल्थ' में हर घर में शुद्ध पेयजल देंगे।

शुरुआती हिचकोलों के बाद मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार एक साल में संख्या बल में मजबूत हुई। निर्दलियों और बसपा-सपा के भरोसे बनी कमलनाथ की सरकार झाबुआ उपचुनाव के बाद खतरे से बाहर निकल गई। अब सरकार पटरी पर दिखाई देने लगी है। शायद इसी भरोसे 17 दिसंबर को कांग्रेस सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 'विजन-टू-डिलेवरी रोडमैप 2020-2025' में अगले चार साल का सरकार का विजन पेश किया। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की मौजूदगी कांग्रेस नेतृत्व की नजर में उनकी अहमियत का एहसास दिला रही थी। कमलनाथ ने कहा, 'सरकार की स्थिरता को लेकर तमाम अटकलों का अंत हो गया है। हमारी विजन की सरकार है, टेलीविजन की नहीं। एक साल पहले हमें खाली खजाना मिला था। हमने 365 दिन में 365 वादे पूरे किए हैं। हम माफिया मुक्त प्रदेश बनाएंगे, जिससे विकास के हर बिंदु को छुआ जा सके। यह प्रदेश के हर व्यक्ति, किसान और महिला का सपना भी है।'

विजन में अगले पांच साल में 10 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कही गई है। 3.50 लाख जॉब मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तो 1.50 लाख रोजगार सर्विस सेक्टर से सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा पांच लाख नौकरियां पर्यटन क्षेत्र से दी जाएंगी। इसमें पब्लिक सर्विस को 'कहीं भी' और 'किसी भी समय' के तर्ज पर किसी भी स्मार्ट फोन डिवाइस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के हर गांव को सड़क, बिजली और ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। रोडमैप में बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी की तर्ज पर प्रदेश में नई सिलिकॉन सिटी बसाने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रोजगार के अवसर पैदा करने और निवेशकों को रिझाने के लिए इन्वेस्टर मीट आयोजित किया। केंद्र से बेहतर तालमेल बनाकर प्रदेश की समस्याओं को हल करने की कोशिश भी दिखाई दी, लेकिन कमलनाथ सरकार के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं। एक साल बाद भी कमलनाथ नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सहमति नहीं बना सके। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों की लाइन अलग बनी हुई है, तो दिग्विजय सिंह की छाया अब भी सरकार पर दिखाई पड़ती है।

कुर्सी संभालते ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पहली सरकारी फाइल किसानों की कर्जमाफी की साइन की थी। जय किसान फसल ऋणमाफी योजना में अब तक 20 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ किया गया है, लेकिन किसानों की कर्जमाफी का मसला अभी भी उलझा है। भाजपा किसान कर्जमाफी की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाती रही है। कन्यादान योजना की राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपए और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 300 से बढ़ाकर 600 रुपए की गई। राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने का फैसला तो किया, पर कोर्ट में मामला लटक गया। स्थानीय युवाओं के लिए उद्योगों में 70 प्रतिशत नौकरी अनिवार्य की गई। गरीब परिवारों को हर महीने चार किलो दाल देने समेत कई फैसले लिए गए। लेकिन कई घटनाओं और हनीट्रैप कांड में नौकरशाहों की लिप्तता से राज्य की साख पर आंच भी आई।

बिजली कटौती के मुद्दे पर सरकार चौतरफा घिरी दिखी। बार-बार अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग भी सरकार के लिए नकारात्मक पहलू रहा। सरकार के सामने आर्थिक संकट भी बड़ी चुनौती है। कमलनाथ स्वीकारते हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सब ठीक नहीं है। हमें अपनी जीडीपी का विस्तार कर इसे वास्तविक रूप में और ज्यादा सहभागी बनाना होगा। खराब आर्थिक स्थिति पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है, जनता सरकार को टैक्स दे रही है, फिर ऐसा क्यों? कांग्रेस ने राज्य में कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों का यशोगान उनके जन्मदिन से ही शुरू कर दिया है, लेकिन माफिया के खिलाफ सरकार के सख्त तेवर और एक्शन को जनता का साथ मिला। रेत, जमीन से लेकर कई तरह के माफिया राज से लोग परेशान भी हैं। कमलनाथ केंद्र की राजनीति करते रहे हैं और मध्य प्रदेश में उनका लगाव छिंदवाड़ा में ज्यादा रहा। पहली दफा राज्य की राजनीति करना और राज्य के नेताओं को साधना नया अनुभव भी रहा। सरकार को बाहर से समर्थन देने वाले कुछ विधायक उन्हें आंखें भी दिखाते रहे, लेकिन इस एक साल में कमलनाथ ने भाजपा को पटखनी दे दी। सरकार गिराने की धमकी देने वाले भाजपा नेता चित हो गए।

● **अरविंद नारद**

भरेगा खजाना

आर्थिक तंगी से जूझ रही प्रदेश की कमलनाथ सरकार के लिए बकस्वाहा की बंदर हीरा खदान और नई रेत नीति बड़ी फायदेमंद साबित हुई है। इन दोनों से होने वाली आमदनी सरकार का खजाना भरेगी। सरकार ने बकस्वाहा के बंदर हीरा खदान का आशय पत्र जारी करते हुए इस खदान को 50 साल के लिए बिरला ग्रुप हवाले कर दिया। इस ग्रुप ने खदान के आधार मूल्य की प्रीमियम राशि कुछ दिन पहले ही सरकारी खजाने में जमा कर दी थी। खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने मेसर्स ऐस्सल माईनिंग एंड इंडस्ट्रीस लिमिटेड (आदित्य बिरला ग्रुप) मुंबई के प्रबंध संचालक तुहीन कुमार मुखर्जी एवं अशोक कुमार बल को छतरपुर जिले के बंदर हीरा खदान का आशय पत्र दिया।

इसके साथ ही उन्होंने कंपनी से उम्मीद जताई कि वे वन एवं पर्यावरण सहित अन्य अनुमतियों और माइनिंग प्लान तैयार करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू करेंगे, जिससे तय समय पर हीरे का उत्खनन शुरू हो सके। उन्होंने कंपनी प्रबंध संचालक को विश्वास दिलाया कि उन्हें सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। इस अवसर पर प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई, सचिव नरेन्द्र सिंह परमार, और संचालक विनीत आस्टीन मौजूद थे।

स्मरण रहे कि बंदर डायमंड ब्लॉक की अधिकतम बोली बिरला ग्रुप द्वारा 30.05 प्रतिशत लगाई गई थी, जो उच्चतम रही। इस नीलामी प्रक्रिया में देश की बड़ी कंपनियों में शुमार अडानी ग्रुप 30 प्रतिशत अधिकतम बोली लगाकर दूसरे स्थान पर रही। इस डायमंड ब्लॉक में 34.20 मिलियन कैरेट हीरा भंडार होने की संभावना है जिसका अनुमानित मूल्य 55 हजार करोड़ रुपए आंका गया है। राज्य शासन को इस हीरा खदान से लीज अवधि में लगभग 16 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रीमियम के रूप में प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त 6000 करोड़ रुपए रॉयलटी के रूप में खनिज मद में प्राप्त होंगे। इस खदान की लीज की अवधि 50 वर्ष होगी।

सरकार अब बकस्वाहा खदान के दूसरे हिस्से में हीरा भंडार की खोज की जाएगी। यह काम भारत सरकार के उपक्रम नेशनल मिनिरल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएमडीसी) को देने की तैयारी की जा रही है। इसके अगले चरण में सरकार दो हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर हीरे की मात्रा तलाशने की तैयारी करेगी, यह काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। छतरपुर से पन्ना जिले तक की पूरी पट्टी पर हीरा होने की संभावना है। हालांकि ज्यादातर हीरे की खदानें वन क्षेत्र में हैं, इसके चलते सरकार को हीरे की खोज और उत्खनन में देरी लग रही है।

एक साल में पांच गुना राजस्व बढ़ाया

खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने बताया कि सरकार ने मात्र एक साल के भीतर पिछली सरकार की तुलना में पांच गुना राजस्व बढ़ाया है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में रेत से प्राप्त होने वाले वाला राजस्व मात्र 240 करोड़ रुपए था। मंत्री ने बताया कि सरकार ने रेत की उपलब्धता के आधार पर 43 जिलों के समूह बनाए थे और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए निविदाएं आमंत्रित की थीं, जिसमें 243 निविदाएं प्राप्त हुई थीं। फिलहाल 36 जिलों से प्रदेश सरकार को 1234 करोड़ रुपए की आमदनी होनी है। उन्होंने कहा कि इसका ऑफसेट प्राइस 448 करोड़ रखा गया था। ऑफसेट प्राइस से भी तीन गुना अधिक राजस्व सरकार को प्राप्त होने वाला है। पांच गुना राजस्व बढ़ाने का मध्य प्रदेश ने नया कीर्तिमान पहली बार बनाया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है।

छतरपुर बकस्वाहा हीरा खदान में कुल 954 हेक्टेयर हिस्से में हीरा है। पूरे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी रियोटेंटो ने हीरा उत्खनन के लिए आवेदन किया था। लेकिन पर्यावरण की अनुमति नहीं मिलने के चलते कंपनी इस प्रोजेक्ट को सरेंडर कर दिया था। अब सरकार 954 हेक्टेयर में से इसके 364 हेक्टेयर का बिड़ला को दे दिया है, दूसरे हिस्से में हीरे की खोज कराई जाएगी। हालांकि पूरे क्षेत्र में हीरा भंडार होने की रिपोर्ट रियोटिंटो ने सरकार को दी थी, लेकिन अब सरकार 590 हेक्टेयर में नए सिरे से हीरे की खोज कराएगी। बताया जाता है कि 364 हेक्टेयर में लगभग 3.50 करोड़ कैरेट के हीरे के भण्डार होना बताया जा रहा है।

रेत खदानों के लिए बुलाई गई ऑनलाइन निविदाओं के जरिए मध्य प्रदेश सरकार को 1234 करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी होगी। रेत के टेंडर से अप्रत्याशित राजस्व की प्राप्ति तय है, वहीं सभी संभागों में से सर्वाधिक ग्वालियर संभाग में आरक्षित मूल्य से 500 प्रतिशत से ज्यादा राजस्व मिलने की संभावना है।

सरकार की मंशा बांधों से प्राप्त होने वाली रेत की ज्यादा बिक्री से है। दावा यह है कि हर साल बांध ड्रेजिंग के समय प्राप्त रेत को बेचने की मंजूरी जल्द दी जा सकती है। हालांकि अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका है। बांधों से रेत का उत्पादन शुरू होने के बाद बाजार में रेत की उपलब्धता बढ़ेगी। हालांकि यह काम जलसंसाधन विभाग के अधीन होगा, इसलिए खनिज विभाग द्वारा जारी रेत नीति में इसका कोई जिक्र नहीं है। दावा है कि प्रतिस्पर्धा से कीमतें कम होंगी।

● **राजेश बोरकर**

बॉन्ड से बदलेगी तस्वीर

इंदौर नगर निगम जल्द एक और बड़ी उपलब्धि अर्जित करने जा रहा है। वह देश का ऐसा पहला निगम होगा, जिसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मसाला बॉण्ड जारी होंगे। लगभग 500 करोड़ रुपए के ये बॉण्ड लंदन या सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से जारी किए जाएंगे। इसके लिए क्रेडिट रेटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो गई और राज्य शासन के वित्त विभाग ने भी मंजूरी दे दी है। अब भारतीय रिजर्व बैंक से हरी झंडी का इंतजार है। उसके तुरंत बाद इंटरनेशनल रैंकिंग के साथ बॉण्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। संभवत: नए साल में ये बॉण्ड जारी हो सकेंगे। बॉण्ड से अर्जित राशि से नगर निगम यशवंत सागर और जलूद में फ्लोटिंग, यानी तैरने वाले सोलर एनर्जी प्लांट लगाएगा। इससे भविष्य में निगम को बिजली के बिलों में करोड़ों रुपए की अच्छी-खासी बचत होगी।

स्वच्छता के मामले में इंदौर नगर निगम ने पूरे देश में मिसाल कायम की है और तीन बार अव्वल आने के बाद चौथी बार भी दौड़ में फिलहाल तो अन्य शहरों से आगे है। कचरा निपटान के जितने नए प्रयोग इंदौर निगम ने किए हैं, उतने देश के किसी भी अन्य नगरीय निकाय ने नहीं किए। कचरे और प्लास्टिक से डीजल, सीएनजी, खाद से लेकर बिजली बनाने के सफल प्रयोग किए गए। अब इसी कड़ी में सोलर एनर्जी के मामले में भी निगम एक बड़ा प्रोजेक्ट अमल में लाने जा रहा है। निगमायुक्त आशीष सिंह के मुताबिक लगभग 100 मेगावाट के सोलर एनर्जी प्लांट लगाए जाएंगे। अभी तक सोलर एनर्जी प्लांट जमीनों पर लगते हैं, मगर निगम के पास चूंकि 400-500 एकड़ खुली जमीन उपलब्ध नहीं है, लिहाजा तालाब और नदी पर तैरने वाले, यानी फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट लगाने का प्रोजेक्ट बनाया गया है। यशवंत सागर के अलावा जलूद में ये दो फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट 50-50 मेगावाट की क्षमता वाले लगाए जाएंगे। फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट की थोड़ी लागत ज्यादा आती है, मगर उससे ऊर्जा भी अधिक प्राप्त होती है। 500 करोड़ के मसाला बॉण्ड इस प्रोजेक्ट के लिए ही लाए जा रहे हैं। ये प्लांट निजी कंपनियां ही लगाएंगी, जिसके ग्लोबल टेंडर बुलाए जाएंगे। अभी नगर निगम को सबसे अधिक खर्चा बिजली के बिलों पर करना पड़ता है। इसमें नर्मदा परियोजना का बिजली बिल सबसे अधिक आता है। लगभग 150 करोड़ रुपए से अधिक सालाना बिजली बिल जलूद से इंदौर पानी लाने और बंटवाने का आता है और इसके एवज में नगर निगम को जलकर के रूप में 50 करोड़ रुपए की राशि भी प्राप्त नहीं होती। यानी सालाना 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान सीधा बिजली बिल के कारण होता है। इसके अलावा नगर निगम स्ट्रीट लाइट से लेकर बगीचों और अन्य तमाम अपनी खुद की बिल्डिंगों पर भी बिजली का बिल भरता है। 100 मेगावाट के इन फ्लोटिंग सोलर प्लांटों की स्थापना के बाद निगम के बिजली बिल में काफी कमी आएगी। एक अनुमान है कि बिजली बिल से ही निगम को सालाना 100 करोड़ रुपए तक की बचत होगी, यानी कुछ ही वर्ष में इन सोलर एनर्जी प्लांटों की लागत निकल जाएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी होने वाले 500 करोड़ के इन मसाला बॉण्ड के लिए क्रेडिट रेटिंग की प्रक्रिया के बाद शासन ने भी मंजूरी दे दी। अब सिर्फ रिजर्व बैंक की हरी झंडी का ही निगम को इंतजार है। तत्पश्चात इंटरनेशनल रैंकिंग के बाद नए साल, यानी 2020 में ये बॉण्ड जारी किए जा सकेंगे। सिंगापुर की तुलना में लंदन स्टॉक एक्सचेंज के जरिए बॉण्ड को जारी करने की संभावना अधिक है।

● **विशाल गर्ग**

139 करोड़ के बॉण्ड नगर निगम ला चुका है

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार निगम जहां बॉण्ड लाने जा रहा है, वहीं वह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के माध्यम से 139 करोड़ के बॉण्ड जारी करवा चुका है। केन्द्र सरकार ने स्मार्ट सिटी, अमृत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे प्रोजेक्टों के लिए नगरीय निकायों को इस तरह के बॉण्ड लाने की अनुमति दी है, ताकि अपने हिस्से के खर्च की पूर्ति की जा सके। दरअसल इन तमाम प्रोजेक्टों में केन्द्र और राज्य शासन के अलावा नगरीय निकायों को भी अपने हिस्से की राशि खर्च करना पड़ती है। चूंकि अधिकांश निकायों की आर्थिक हालत खस्ता रहती है, लिहाजा वे प्रोजेक्ट में खर्च होने वाली अपने हिस्से की राशि की जुगाड़ भी नहीं कर पाते हैं। इंदौर निगम की भी आर्थिक हालत खस्ता ही है, क्योंकि स्वच्छता अभियान के चलते उसे एक बड़ी राशि सालाना खर्च करना पड़ रही है, जिसके चलते निगम ने गत वर्ष 139 करोड़ रुपए के बॉण्ड अपने प्रोजेक्टों की फंडिंग के लिए जारी करवाए थे।

भारतीय मुद्रा में जारी होता है मसाला बॉण्ड

इंदौर नगर निगम द्वारा जो 500 करोड़ का बॉण्ड लाया जा रहा है वह दरअसल मसाला बॉण्ड है, जिसे विश्व बैंक समूह के सदस्य इंटरनेशनल फाइनेंस कार्पोरेशन ने भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए जारी किया और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इसे सूचीबद्ध किया गया। पहले भारतीय कंपनियां विदेशी निवेश के लिए डॉलर में बॉण्ड जारी करती थी, लेकिन रुपए और डॉलर के मूल्य में लगातार उतार-चढ़ाव होता है, जिसके चलते भारतीय कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ता था। मगर मसाला बॉण्ड के मामले में ऐसा नहीं है। ये भारतीय रुपयों में जारी किए जाते हैं और इनकी परिपक्वता अवधि पूरी होने पर भुगतान डॉलर में नहीं, बल्कि भारतीय मुद्रा, यानी रुपए में करना होता है, जिससे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा में भी बचत होती है और डॉलर तथा रुपए के बीच विनिमय दर की उतार-चढ़ाव के घाटे का भी भार इस बॉण्ड को जारी करने से लेकर लेने वाले के ऊपर नहीं पड़ता। अभी तक इंडिया बुल्स हाउसिंग ने मसाला बॉण्ड के जरिए 1330 करोड़, भारतीय रेलवे वित्त निगम को भी बड़ी राशि की मंजूरी दी गई है। एचडीएफसी बैंक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और एनटीपीसी ने भी मसाला बॉण्ड के माध्यम से उधार पर राशि ली है।

कैंपस बना अखाड़ा

देश के तमाम बड़े विश्वविद्यालय युद्ध के मैदान में तब्दील हो गए हैं। भले ही इनमें सबसे बड़ा नाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) का है। लेकिन भोपाल का माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भी कम नहीं है। यह विश्वविद्यालय तो अपने विवादों और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात था ही अब जातिवाद के कारण अखाड़ा बन गया है। विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसर्स दिलीप मंडल और मुकेश कुमार पर जातिवाद को भड़काने का आरोप लगा है। दोनों अनुबंध प्राध्यापकों पर ऐसे आरोप लगाकर छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। हालांकि धरना-प्रदर्शन और 23 छात्रों के निष्कासन और बहाली के बाद मामला शांत है, लेकिन आग अभी भी सुलग रही है।

पत्रकारिता विश्वविद्यालय बीते कुछ वर्षों से सियासी अखाड़ा रहा है। इस पर एक खास विचारधारा को पोषित करने के आरोप लगते रहे हैं। राज्य में सत्ता बदलने के बाद विश्वविद्यालय की तमाम व्यवस्थाओं में सुधार और बदलाव लाने की कोशिशें शुरू की गईं, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तमाम संस्थाओं में सुधार लाने का वादा और दावा करते हुए कहा कि हमने हर संस्थान और विभाग की जिम्मेदारी योग्य लोगों को सौंपी है। एक तरफ जहां संस्थानों में सुधार लाने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर एमसीयू के दो अनुबंधक प्राध्यापक दिलीप मंडल और मुकेश कुमार विवाद का कारण बन रहे हैं। दिलीप मंडल पर आरोप है कि वे अपने ट्विटर हैंडल से जातिवाद को भड़काने की कोशिश करते हैं और जाति विशेष पर टिप्पणी करते हैं। वहीं मुकेश कुमार पर भी जातिवाद का सहारा लेने का आरोप है जिसके बाद इन दोनों प्राध्यापकों के खिलाफ छात्र आंदोलनरत हुए थे।

छात्रों ने विश्वविद्यालय के भीतर पिछले दिनों प्रदर्शन और हंगामा किया। छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस बुलाई गई और इनके खिलाफ थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। छात्रों के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और करणी सेना के कार्यकर्ता भी आए, वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि पुरानी विचारधारा से जुड़े कुछ लोग बेवजह हंगामा और आंदोलन करा रहे हैं। विश्वविद्यालय की एक साल की गतिविधियों पर नजर दौड़ाई जाए, तो यहां गांधी के दर्शन को स्थापित करने की कोशिश हुई है। उच्च दर्जे के सेमीनार आयोजित किए गए और छात्रों को पत्रकारिता जगत में आ रहे बदलाव से रू-ब-रू कराने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन इसी दौरान दो अनुबंधक प्राध्यापकों पर जातिवाद फैलाने का आरोप लगा और विवाद बढ़ गया। वहीं इस मामले को लेकर पत्रकारिता से जुड़े लोगों का कहना है कि विश्वविद्यालय में अपनी गरिमा के अनुरूप कई वर्ष बाद पठन-पाठन का कार्य शुरू हो पाया है। छात्रों में पत्रकार और पत्रकारिता की समझ विकसित करने के लिए नवाचारों का सहारा लिया जा रहा है, उन्हें नई तकनीकों से अवगत कराया जा रहा है। इसी बीच दो प्रोफेसरों की कार्यशैली ने विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है।

भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय पर लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रभाव में होने के आरोप लगते रहे हैं। 1990 में स्थापित इस विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता रहा है कि भाजपा की शिवराज सिंह चौहान की सरकार के तहत विश्वविद्यालय का 'भगवाकरण' किया गया। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने विश्वविद्यालय प्रशासन की निष्कासन की कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि 'माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों पर कार्रवाई निंदनीय और दमनकारी है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की पढ़ाई करने वाले इन बच्चों पर की गई कार्रवाई तानाशाही पूर्ण है। क्या कमलनाथ सरकार के एक साल का यही तोहफा है? विश्वविद्यालय प्रशासन तत्काल इन बच्चों का निष्कासन समाप्त करें।' वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि 'माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्रों का निष्कासन और उन पर हुई एफआईआर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चों का निष्कासन तुरंत रद्द कर उन पर लादे गए झूठे मुकदमे वापस किए जाएं और उनकी जायज बातों को सुना जाए। मैं बच्चों के साथ हूं और हम उनके साथ उनकी लड़ाई लड़ेंगे।'

● **बृजेश साहू**

कुठियाला का कार्यकाल सबसे विवादास्पद

माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुलपति रहे प्रो. बीके कुठियाला पर अपने कार्यकाल के दौरान मनमर्जी से बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करने और आर्थिक अनियमितताओं के आरोप हैं। गत दिनों इस मामले की जांच कर रही एजेंसी ईओडब्ल्यू के समक्ष कुठियाला को पेश होना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ईओडब्ल्यू ने कुठियाला को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने के लिए 8 जून को तलब किया था, लेकिन कुठियाला ने 15 दिन का समय मांगा, जिसे डीजी के एन तिवारी ने खारिज कर दिया था। प्रो. कुठियाला 11 जून को पेश होने के लिए राजी हुए थे, लेकिन फिर भी वे पेशी के दिन नदारद रहे। आपको बता दें कि भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, देश में पत्रकारिता के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। देशभर के छात्र यहां पत्रकारिता की पढ़ाई करने आते हैं। प्रो. बीके कुठियाला के कार्यकाल के दौरान यहां कई शैक्षणिक पदों पर मनमर्जी से अयोग्य लोगों की नियुक्ति का मामला सामने आया। कई बड़े पदों पर सिफारिश के माध्यम से लोगों की भर्ती कर दी गई। इस दौरान संस्थान में कई वित्तीय अनियमितताएं भी सामने आई जिसकी जांच जारी है। इस मामले की जांच कर रही ईओडब्ल्यू ने इस मामले में 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है।

हर वार्ड में बनाएं महिला स्व-सहायता समूह

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में 18 हजार युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। जिन 110 शहरों में मिशन संचालित है, वहां आश्रय-स्थल, हॉकर्स कॉर्नर्स और हाट बाजार बनाए जाएंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत भोपाल में आयोजित आजीविका मेला में यह बात कही। उन्होंने कहा कि हर वार्ड में महिला स्व-सहायता समूह बनाएं। सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शुरूआत मुख्यमंत्री कमल नाथ जब केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री थे, तब हुई थी। भोपाल के साथ ही प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आजीविका मेला लगाया गया है।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने बताया कि आजीविका मेला में 704 स्व-सहायता समूहों को बैंक लिंकेज किया गया है। स्व-सहायता समूहों को एक करोड़ 4 लाख 90 हजार रुपए का रिवाल्विंग फण्ड उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने बताया कि 1926 हितग्राहियों को स्व-रोजगार के लिए 22 करोड़ 83 लाख 74 हजार रुपए का ऋण वितरण विभिन्न बैंकों द्वारा किया गया है। सिंह ने बताया कि 3,198 शहरी पथ-विक्रेताओं को पहचान-कार्ड भी वितरित किए गए।

मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने कहा कि भोपाल में 6 नम्बर स्टॉप के पास 2 मंजिला हॉकर्स कॉर्नर बनाया जाएगा। हॉकर्स कॉर्नर बनाने की मांग जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने की थी। सिंह ने बताया कि शहरी महिलाओं को ई-रिक्शा दिए जा रहे हैं। इंदौर में ई-रिक्शा वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अन्य नगर निगमों में भी महिलाओं को ई-रिक्शा वितरित किए जाएंगे। सिंह ने कहा कि शहर की निराश्रित और गरीब महिलाओं को स्व-सहायता समूह से जोड़ें।

दूध में मिलावट करने वालों पर रासुका में कार्रवाई

पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने सांची दूध में मिलावट की घटना की विभागीय समीक्षा करते हुए कहा कि दूध में मिलावट करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो विभागीय अधिकारी हों अथवा अन्य कोई व्यक्ति। यादव ने अधिकारियों से सांची दूध टैंकर में मिलावट की घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मंत्री ने कहा कि संबंधित दुग्ध टैंकर मालिक योगेन्द्र पाण्डे को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। घटना की एफआईआर थाने में दर्ज करा दी गई थी। टैंकर के मालिक पर रासुका में प्रकरण दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि घटना की विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने अपर मुख्य सचिव से कहा कि एक ही स्थान पर लंबे समय से पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अन्यत्र ट्रांसफर करें। पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने दूध टैंकर्स के संदिग्ध मार्गों को चिन्हित कर उनकी विशेष मॉनिटरिंग करने के लिए कहा। प्रबंध संचालक शम्सुद्दीन ने क्वालिटी कंट्रोल के लिए और अधिक सेंसेटिव इक्यूपमेंट की आवश्यकता पर जोर दिया।

ऑनलाइन व्यापार से किसानों को मिलेगा बेहतर मूल्य

सहकारिता मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने कहा है कि प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलवाने के लिए एग्री व्यापार एप तैयार किया गया है। इसके माध्यम से किसान अपनी उपज व्यापारी को सीधे ऑनलाइन बेच सकेंगे। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग द्वारा बनाए गए इस एप पर अभी तक 15 हजार 27 किसान, 221 विपणन समितियां, 4 कमोडिटी एक्सचेंज तथा 40 डायरेक्ट बायर्स एग्री व्यापार एप पर अपना पंजीयन करवा चुके हैं।

मंत्री डॉ. सिंह ने बताया कि सहकारिता विभाग किसानों को सस्ती दरों पर उच्च गुणवत्ता की खाद-बीज उपलब्ध कराने के साथ उन्हें फसल का अधिकतम मूल्य दिलाने के लिए कृतसंकल्पित है। इसके लिए एग्री व्यापार एप के माध्यम से एक डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल प्लेटफार्म पर किसानों के साथ ही देश-विदेश के व्यापारी एवं उपभोक्ता भी जुड़ रहे हैं। इस एप पर किसानों की उपज के व्यापक प्रदर्शन के साथ ही ग्राहक की पसंद एवं कस्टमर फीडबैक की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

गूगल प्ले स्टोर से इस एप को मोबाइल पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके बाद एप पर पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के बाद किसान को अपनी फसल की मात्रा एवं विवरण का इसमें उल्लेख करना होगा। इसी प्रकार व्यापारी/क्रेता को अपनी आवश्यकता इस एप पर दर्ज करनी होगी। इसके बाद किसान क्रेता के साथ अपनी फसल के मूल्य का सीधे सौदा कर सकेंगे। किसान अपनी फसल की ऑनलाइन बोली भी लगा सकेंगे। इसमें बिचौलियों के लिए कोई स्थान नहीं है। किसान सीधे क्रेता से व्यापार करेंगे। सहकारी विपणन समितियां इस कार्य में किसानों की मदद करेंगी।

शुद्ध के लिये युद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि प्रदेश में विगत जुलाई माह से शुरू किया गया शुद्ध के लिये युद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने पिछले 5 माह में की गई कार्यवाहियों की जानकारी देते हुए बताया कि मिलावटी सामान बेचने वाले 40 मिलावटखोरों के विरुद्ध रासुका की कार्यवाही की गई है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने के मामले में 100 से अधिक प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। इस दौरान मिलावटखोरों पर 4 करोड़ 56 लाख रुपए जुर्माना अधिरोपित किया गया और 24 करोड़ रुपए मूल्य के दूषित मिलावटी सामान की जप्ती की गई। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि खाद्य सुरक्षा की कार्यवाही को प्रभावी बनाने के लिए आगामी एक साल के भीतर इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन और ग्वालियर में प्रयोगशालाएं शुरू की जाएंगी। ये प्रयोगशालाएं शुरू होने पर खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट 3 दिन में प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इन 5 प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त 12 नवीन चलित खाद्य प्रयोगशालाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। अभी प्रदेश में 2 चलित प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही हैं।

स्कूलों में खेलों को प्रोत्साहित करने दिए गए 70 करोड़

स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने विदिशा में 65वीं राष्ट्रीय शालेय ताईक्वांडो प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश पचोरी भी उपस्थित थे। मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने इस मौके पर बताया कि स्कूलों में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए 70 करोड़ की राशि खेल सामग्री खरीदने के लिए प्रदाय की गई है। प्रत्येक प्राथमिक स्कूल को पांच हजार, मिडिल स्कूल को दस हजार तथा हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल को 25-25 हजार रुपए की राशि जारी की गई है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री सिंह ने भी समारोह को संबोधित किया। 65वीं राष्ट्रीय शालेय ताईक्वांडो प्रतियोगिता में महाराष्ट्र राज्य ने 60 पाइंट से ओवरऑल चैम्पियनशिप हासिल की। सिक्किम राज्य को बेस्ट डिसिप्लिन प्रदर्शन सम्मान दिया गया। बॉयज वर्ग में उत्तर प्रदेश कुल 29 पाइंट लेकर प्रथम तथा 14 पाइंट लेकर द्वितीय स्थान पर रहा।

सभी ग्राम पंचायतों का विकास प्लान तैयार

पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी 22 हजार 812 ग्राम पंचायतों के 50 हजार से अधिक ग्रामों को विकास की मुख्य-धारा से जोड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि बीते एक वर्ष में सभी ग्राम पंचायतों का ग्राम पंचायत विकास प्लान तैयार किया गया है। युवा शक्ति की ग्राम विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए युवा ग्राम शक्ति समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंत्री पटेल ने कहा कि ग्राम विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में 19 नवम्बर को प्रियदर्शिनी सभा और 3 मार्च को सबला सभा का आयोजन करने और प्रतिवर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायतों की भुगतान प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। मंत्री पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत प्रदेश में 12 हजार 362 किमी सड़कों का उन्नयन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिसम्बर, 2018 से अब तक 554 मार्ग पूर्ण कर 3,319 किमी लंबाई की सड़कें पूर्ण की गईं। इससे 366 बसाहटों को संपर्कता प्रदान की गई। मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता परियोजना (एमपीआरसीपी) द्वारा 855 करोड़ व्यय कर 3,166 किमी लम्बाई की बीटी/सीसी मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया।

मंत्री पटेल ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में प्रदेश में राज्य प्रारंभिक ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम पायलट स्वरूप में प्रारंभ किया गया है। पिछले एक साल में 5.32 लाख परिवारों को संगठित कर 49,815 स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया।

● अक्स टीम

बिगड़ रही मिट्टी की सेहत

कौन तत्व कम या ज्यादा इससे अनभिज्ञ

दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो मिट्टी में बोरोन तत्व की मात्रा कम है। इसी तरह नाइट्रोजन व सल्फर की मात्रा भी कम है, लेकिन किसान इन कमियों से वाकिफ नहीं हैं। इन तत्वों की मात्रा कम होने के कारण मिट्टी की सेहत खराब होती जा रही है। इसका सीधा असर पैदावार पर पड़ रहा है। किसानों की जी तोड़ मेहनत के बावजूद उन्हें पैदावार सही मात्रा में नहीं मिल रहा है। बहादुरगढ़ और इससे सटे दिल्ली की मिट्टी क्षारीय हो चुकी है। इसका कारण इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाली पानी की गुणवत्ता का सही नहीं होना है। वैज्ञानिक इस स्थिति के लिए भूजल के अत्यधिक दोहन को जिम्मेदार ठहराते हैं। मिट्टी के क्षारीय होने से क्षेत्र के किसान कई फसलों से वंचित हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि सबसे पहले मिट्टी के सेहत का पता लगाना जरूरी है। इस जांच से मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों का पता चलेगा। इससे यह भी पता चलेगा कि कौन सा तत्व कम है और कौन सा तत्व अधिक मात्रा में है। नतीजे के आधार पर संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग विशेषज्ञ की सलाह पर करें।

देश की मिट्टी अपने हाथ, आओ कराएं इसकी जांच। बीमार मिट्टी की सेहत सुधारने का महत्वाकांक्षी अभियान भी खामियों की भेंट चढ़ गया है। अभियान चलाकर कृषि विभाग लक्ष्य के सापेक्ष नमूना एकत्र कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड तो बांट दिया है लेकिन किसान मृदा की स्थिति, बीमार मिट्टी की सेहत सुधारने के उपाय आदि से अनभिज्ञ हैं। ऐसे में उत्पादन बढ़ाकर अन्नदाताओं की आय कैसे दोगुनी होगी। रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग व जैविक खादों के न डालने से खेतों की मिट्टी बीमार हो चली है। इसके चलते कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है। बढ़ती जनसंख्या और घटते उत्पादन से खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने का खतरा बढ़ गया है। मिट्टी की दशा सुधारने के लिए सरकार वृहद अभियान चला रही है। किसानों को मिट्टी की जांच कराकर संस्तुति के अनुसार संतुलित उर्वरकों का उपयोग करने के लिए भी गोष्ठियों में बताया जा रहा है लेकिन जागरूकता की कमी के कारण अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है। सामान्य नमूनों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैशियम की जांच की जाती है तो द्वितीय एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों में सल्फर, जिक, बोरान, आयरन, मैग्नीज और कापर की जांच होती है। अब तक हुए परीक्षण पर गौर करें तो मप्र में मृदा की स्थिति काफी दयनीय है।

दिनों-दिन फसलों में कीटनाशक दवाओं और खाद का प्रयोग बढ़ रहा है, इससे मिट्टी तो खराब हो ही रही है साथ ही लोगों के सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद भी किसान जागरूक न होकर उत्पादन बढ़ाने और फसलों को सुरक्षित रखने कीटनाश दवाओं का बड़ी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। मप्र में औसतन एक हेक्टेयर में 1 लीटर कीटनाशक दवा, एक लीटर फूल की दवा का छिड़काव किया जाता है और कीटनाशक दवा का छिड़काव फसल में दो बार तक किसान करते हैं। रबी सीजन में गेहूं को छोड़कर बाकी सभी फसलों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव होता है। इसी प्रकार खरीफ सीजन में भी दवा का छिड़काव कर दिया जाता है। किसान दोनों सीजन में करोड़ों की दवाओं का छिड़काव कर देते हैं, जिससे किसान को आर्थिक क्षति तो पहुंच ही रही है साथ ही मिट्टी भी खराब हो रही है। इसका फायदा बाजार में खुली कीटनाशक दुकानों के संचालक भी उठा रहे हैं और अच्छी दवाओं के नाम पर महंगी दवाएं किसानों को बेच देते हैं। जरूरत न होने पर भी कई किसान दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं।

खादों का उपयोग भी फसलों का हानिकारक हो रहा है। गेहूं की फसल में यूरिया का उपयोग किसान कर रहे हैं, लेकिन अधिक यूरिया जमीन और फसलों के लिए हानिकारक हो रहा है। खाद के कारण फसलों की इल्ली का प्रकोप बढ़ रहा है। यूरिया से फसल हरी दिखने लगती है, जिससे किसान इसका उपयोग एक से ज्यादा बार कर रहे हैं। जबकि एक एकड़ में पूरी फसल तैयार होने तक एक बोरी यूरिया पर्याप्त होता है। जानकारों के अनुसार कीटनाशक दवाओं, खाद के छिड़काव के कारण फसल मित्र जीव-जंतुओं की संख्या साल दर साल घट रही है। खाद की प्रयोग के जमीन हार्ड हो रही है। यदि इसी मात्रा में खाद, कीटनाशक डलता रहा तो भविष्य में जमीन बंजर होने की कगार पर पहुंच जाएगी। साथ ही दवाओं के ज्यादा छिड़काव के कारण अब इल्ली पर दवाओं का असर भी नहीं होता है।

कृषि विभाग के आरएइओ राकेश परिहार ने बताया कि कीटनाशक के बढ़ते उपयोग से जमीन, स्वास्थ्य, पर्यावरण को हानि पहुंच रही है। किसानों को अब जैविक खेती शुरू करनी होगी, जिसमें फसलों में मट्ठा, गौमूत्र, नीम के पानी का छिड़काव करने से उत्पादन भी अच्छा होगा और किसी प्रकार की हानि भी नहीं होगी। इल्ली को मारने के लिए खेत में जगह-जगह लकड़ी की खूंटी लगा दें, जिससे पक्षी बैठेंगे और इल्ली को खाते हैं। कृषि वैज्ञानिक फूल की दवा डालने के लिए पूरी तरह से मना करते हैं। इस दवा से उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ती है। डॉ. आरके जैन ने बताया कि खाद, कीटनाशक दवाओं के छिड़काव वाली फसलों का सेवन करने से पेट में छाले, एलर्जी, ब्रेन संबंधी समस्या सहित लीवर, किडनी पर अर पड़ सकता है। कुछ दिनों से लीवर और किडनी की बीमारियों में इजाफा भी हुआ है। साथ ही कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। बिना किसी जांच या सलाह के लिए खेत में उर्वरकों के हो रहे अंधाधुंध इस्तेमाल से चिंतित वैज्ञानिकों का कहना है कि मिट्ठी की सेहत काफी बिगड़ चुकी है, यदि इस ओर शीघ्रता से ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति बिगड़ सकती है। अच्छी बात यह है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों में लोकप्रिय हो रही है। इस संबंध में किसान अब पहले की तुलना में काफी जागरूक हैं, लेकिन अभी काफी जागरूकता आनी शेष है।

● **नवीन रघुवंशी**

करे कोई भरे कोई

नियामक आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और वर्ष 2017-18 में करीब 25000 करोड़ के घाटे को लेकर यह ट्रू-अप याचिकाएं दायर की गईं। ये याचिकाएं उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर नहीं बल्कि अब जाकर साल 2019 में दायर की गई हैं, जबकि एपलेट ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2011 में दिए गए न्याय दृष्टांत में स्पष्ट है कि प्रत्येक बिजली कंपनी को ट्रू-अप याचिकाएं उसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अंतराल के दौरान ही दायर करनी होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश में इस आदेश का पालन नहीं किया गया। जैसे ही बिजली कंपनियों ने ट्रू-अप याचिकाओं को नियामक आयोग के समक्ष दायर किया तो उन्हें डिले कॉन्डोलेंस यानी माफी के साथ आयोग ने स्वीकार कर लिया। प्रदेश की बिजली कंपनियों के रवैये पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि जिस भाजपा सरकार में बिजली कंपनियों को इतना बड़ा घाटा हुआ, आखिर उसकी भरपाई के लिए कमलनाथ सरकार में यह बिजली कंपनियां क्यों जाग उठी।

पहले ही कर्ज का अंबार और वित्तीय संसाधनों की कमी से जूझ रही कमलनाथ सरकार आखिर इतना बड़ा घाटा कहां से भर पाएगी। हाल फिलहाल ट्रू अप याचिकाएं नियामक आयोग ने स्वीकार कर ली है और दावे आपत्तियां भी बीते 11 दिसंबर तक प्राप्त की गई हैं, ऐसे में ट्रू अप याचिकाओं पर अब नियामक आयोग फैसला लेने वाला है। लाजमी हैं नियामक आयोग इन याचिकाओं पर बिजली कंपनियों को हुए घाटे की भरपाई के लिए कोई ना कोई फैसला जरूर लेगा और अगर घाटे की भरपाई का सवाल उठा तो सरकार आखिर किस तरीके से इससे निपटेगी यह बड़ा सवाल है।

मध्य प्रदेश में बिजली सियासी मुद्दा बना हुआ है। सत्ता बदलाव के बाद से बिजली व्यवस्था में गड़बड़ी के आरोप लगते रहे हैं, कई बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की भी चर्चा हुई, मगर राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार के पास बिजली दरों में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं है। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद बिजली व्यवस्था में सुधार के दावे किए, वहीं भाजपा ने किसानों को जरूरत के मुताबिक बिजली न मिलने के आरोप लगाए, साथ ही उपभोक्ताओं को हजारों रुपए के मनमाने बिल जारी किए जाने के भी आरोप लगे। सरकार की ओर से किसानों को 10 घंटे बिजली आपूर्ति किए जाने के दावे किए गए, मगर भाजपा इन आरोपों को नकारती रही। बिजली राज्य में बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है।

राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई इंदिरा गृह ज्योति योजना को राहत देने वाली योजना बता रही है, साथ ही दावा किया जा रहा है कि जिन उपभोक्ताओं की 30 दिन की मासिक बिजली खपत 150 यूनिट से कम है, उसे 100 यूनिट की खपत का 100 रुपए बिल दिया जा रहा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के घरेलू उपभोक्ताओं को 30 यूनिट तक की मासिक खपत के लिए मात्र 25 रुपए की राशि देय होगी। सूत्रों का कहना है कि इंदिरा गृह ज्योति योजना से अभी तक एक करोड़ 86 हजार (92 प्रतिशत) से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। योजना में प्रतिवर्ष लगभग 3400 करोड़ रुपए की सब्सिडी शासन द्वारा दी जाएगी।

राज्य सरकार की इंदिरा गृह ज्योति योजना पर भाजपा लगातार सवाल उठाती रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पिछले दिनों सागर में प्रदर्शन कर बढ़े हुए बिजली बिलों की होली जलाई गई गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने किसानों का बिजली बिल हाफ करने की बात कही थी, मगर किसानों को हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा है कि किसानों को खेती के लिए लगातार 12 घंटे बिजली देने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। वहीं प्रदेश में विरासत में मिली खस्ताहाल विद्युत कंपनियों की स्थिति में सुधार लाने के प्रयास जारी हैं।

बिजली उपभोक्ताओं के गड़बड़ बिजली बिल आने की शिकायतों पर मंत्री ने कहा, विद्युत उपभोक्ताओं के गलत देयकों से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए हर जिले में विद्युत वितरण केंद्रवार समिति का गठन किया गया है। प्रदेश में कुल 1210 समितियां गठित की गई हैं। वहीं विद्युत प्रदाय की शिकायतों के निराकरण के लिए डायल 100 सेवा की तर्ज पर जबलपुर, भोपाल और इंदौर में स्थापित केन्द्रीकृत कॉल सेंटर सेवा में कार्यरत डेस्क की संख्या बढ़ाकर सेवा को सुदृढ़ बनाया गया है।

● **विकास दुबे**

एपलेट ट्रिब्यूनल के आदेश का नहीं हुआ पालन

आम अवधारणा में यह बात खुलकर सामने आ रही है कि इसकी वसूली भी आम जनता से ही की जाएगी और प्रदेश में बिजली महंगी होगी। पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच इस मामले को अब दिल्ली तक ले जाने वाला है, क्योंकि नियामक आयोग ने एपलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी के आदेश की अवहेलना की है। मंच के सदस्यों का सवाल है कि आखिर सरकार इस भारी-भरकम घाटे की भरपाई कैसे करेगी। मंच ने बिजली कंपनियों के रवैये पर बड़ा सवाल खड़ा किया है और एक साथ ट्रू अप याचिकाएं दायर करने के कदम को साजिश बताया है। गौरतलब है कि मामले मे पूर्व में ही ऊर्जा मंत्री प्रियवत सिंह ने बयान देकर स्पष्ट किया था कि अगर बिजली महंगी होगी तो सरकार इसमे हस्तक्षेप करेगी, लेकिन यहां तो घाटा दर्शाने वाली ट्रू अप याचिकाओं पर सुनवाई लगभग आखिरी दौर में है, ऐसे में सरकार 25 हजार करोड़ की भरपाई के लिए क्या फॉर्मूला अपनाती है, ये देखना होगा।

ताकि बेहतर हो रैंकिंग

जनता भी जागे तो स्वच्छता में पहली रैंकिंग पर आए शहर

स्वच्छता सर्वेक्षण का पांचवा साल है, लेकिन अब भी शहरवासी पूरी तरह से इस अभियान से नहीं जुड़ पाए। यही वजह है कि शहर में 40 से अधिक क्षेत्रों की गलियों के साथ 25 हजार से अधिक खाली प्लॉट्स में गंदगी की स्थिति है। पूर्व सिटी प्लानर दिनेश शर्मा का कहना है कि लोगों को सफाई के प्रति खुद सजग और जागरूक रहने की जरूरत है। वे घर पर दो डस्टबिन रखें। गीला और सूखा कचरा अलग-अलग करके रखें। कचरा गाड़ी वाले को ये अलग-अलग ही दें ताकि कचरे का सेग्रिकेशन घर पर ही हो जाए। इसके अलावा यदि बल्क में कचरा निकले तो भी इसे खुले में फेंकने की बजाय निगम के माध्यम से ही डंपिंग साइट पर भिजवाएं। शहर में करीब साढ़े तीन सौ स्लम एरिया हैं और यहां सबसे अधिक दिक्कत है। बाजारों में दुकानदारों को भी जागरूक होने की जरूरत है। अब भी 20 से 30 फीसदी दुकानदारों के पास सही डस्टबिन नहीं हैं और वे कचरा यहां-वहां फेंकते हैं। दुकानों पर से सामान लेने के बाद उसके रैपर को सड़क पर फेंकने की आदत भी बरकरार है।

स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के मद्देनजर तीन चरणों में होने वाले सर्वे में भोपाल दूसरी तिमाही की परीक्षा में पिछड़ गया है। देश में एक बार फिर इंदौर पहले नंबर पर है। भोपाल दूसरे नंबर से खिसककर पांच पर आ गया है। इसके साथ ही भोपाल नगर निगम के सामने चुनौती खड़ी हो गई है कि वह अपनी स्थिति मजबूत करे। इसके लिए निगम को कुछ स्तर पर सुधार की जरूरत है। यदि डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, गीला-सूखा कचरा को अलग-अलग करना, लोगों में सफाई को लेकर जागरूकता, बाजारों की सफाई व्यवस्था में कसावट की गई तो शहर फिर देश के दूसरे स्थान पर होगा।

हालांकि अब स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के लिए शहर की सड़कों, गलियों से गुजरते हुए ये तैयारियां नजर भी आ रही है। शहर की दीवारों पर हो रहे रंगरोगन-पेंटिंग के साथ ही सड़क किनारे स्थापित किए जा रहे शौचालय बता रहे हैं कि शहर गंदगी और कचरे से निपटने का काम कर रहा है।

देश की सबसे साफ राजधानी भोपाल में हर सुबह 7 बजे से ही गंदगी के खिलाफ जंग शुरू हो जाती है। लगभग 6100 सफाईकर्मी दोपहर 2 बजे तक 505 छोटी गाड़ियां और 940 साइकल रिक्शा की मदद से तकरीबन 800 टन कचरा जमा कर लेते हैं। सुबह से शाम तक कई कोशिशों के बाद शहर न सिर्फ साफ सुथरा दिखता है बल्कि कचरे को दोबारा उपयोग लाने लायक भी बनाया जाता है।

रैंकिंग सुधारने के लिए नगर निगम हर घर से कचरा कलेक्शन, शहर में सौंदर्यीकरण सहित कई क्षेत्रों में फोकस किया है। 543 मैजिक वाहनों के साथ डेढ़ सौ रिक्शा हर घर से कचरा कलेक्शन करने के लिए लगाए गए हैं। इनकी मॉनीटरिंग में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, इससे इनके रूट लोकेशन और कचरे का वजन तक रिकॉर्ड होता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अब भी रोजाना कचरा नहीं उठ पाने की शिकायत है। अंदरूनी गलियों, क्षेत्रों में करीब दस फीसदी कचरा अब भी समस्या बना हुआ है। वहीं नगर निगम ओडीएफ डबल प्लस और इसके बाद स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए शहर को सजाने में लगा हुआ है। शहर में करीब पौने दो लाख वर्गफीट की दीवारों के साथ शौचालयों के सौंदर्यीकरण पर दो करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की जा रही है। इतना नहीं, अब सड़क किनारे की घास और जंगली पौधों को हटाने जेसीबी का उपयोग किया जा रहा है।

शहर में छह वेस्ट ट्रांसफर सेंटर काम करना शुरू कर चुके हैं। औसतन रोजाना 600 मैट्रिक टन से अधिक कचरा यहां कंप्रेस्ड हो रहा है। कंप्रेस्ड होकर कैप्सुल से इसे आदमपुर खंती भेजा जा रहा है। हालांकि आदमपुर में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट तो नहीं बना, लेकिन यहां कंपोस्ट यूनिट और डिस्पोजल यूनिट इसका निष्पादन कर रही है। वेस्ट सेंटर बनने का असर ये है कि आदमपुर जाने वाले वाहनों में 40 फीसदी तक की कमी आई। गंदगी फैलाने और पॉलीथिन उपयोग पर फाइन लगाया जा रहा है। नगर निगम ने मॉड्यूलर के साथ सार्वजनिक शौचालयों के उपयोग को बढ़ाने पर फोकस किया हुआ है। हाल में सभी शौचालयों की लोकेशन गूगल लोकेटर पर डाली है। इन पर सौंदर्यीकरण कार्य किए हैं ताकि लोगों को ये आकर्षित करें। यहां नियमित तौर पर पानी और सफाई की दिक्कत अब भी है।

नगर निगम प्रतिदिन शत-प्रतिशत कचरा उठाने का दावा करता है, लेकिन पूरी सफाई अब भी बाकी है। दस फीसदी कचरा सड़क व गलियों में बिखरा हुआ अब भी सिरदर्द बना हुआ है। शहर में निगम ने डस्टबिन की सुविधा पहले ही खत्म कर दी है। अब कर्मचारी सफाई कर सीधे कचरा वाहनों में डंप करते हैं। अंडरग्राउंड डस्टबिन कई जगह से निकले हुए हैं और लोग खुले में कचरा फेंकते हैं। सीवेज बड़ी समस्या बनी हुई है। रोजाना सीवेज चैंबर से निकलने की 150 से अधिक शिकायतें आती हैं। गीले-सूखे कचरे को घर से सेग्रिकेशन 100 फीसदी का दावा किया जा रहा है, हालांकि 40 से अधिक क्षेत्रों में अब भी दिक्कत है। अवधपुरी, साकेत नगर, हबीबगंज अंडरब्रिज के पास, जंबूरी मैदान, आनंद नगर, भानपुर जैसे क्षेत्रों में खाली पड़े प्लॉट्स व मैदानों में कचरा अब भी खुले में फेंकने की शिकायतें हैं। अब देखना यह है कि नगर निगम तमाम चुनौतियों से निपटते हुए शहर को किस काबिल बनाता है।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

मछुआरों के हक पर तलवार

जहां जमीन डूबी हमारी, पानी मछली कैसे तुम्हारी?

नर्मदा घाटी के सरदार सरोवर बांध प्रभावितों और विस्थापितों का कहना है कि जहां डूबी जमीन हमारी है, वहां पानी और मछली दूसरे की कैसे हो सकती है। बरगी बांध के जलाशय में सालों तक 54 मछुआ सहकारिता समितियों से गठित महासंघ के अध्यक्ष रह चुके मुन्ना बर्मन ने बताया कि बरगी में भी हजारों की संख्या में मछुआरों के साथ किसान-मजदूरों ने भी एकजुट होकर संघर्ष किया जिसके कारण विस्थापितों का हक स्वीकार करके मछली पर उन्हें अपना अधिकार शासन को मंजूर करना पड़ा। सरदार सरोवर में भी लड़ाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि मछुआरों के नाम से बने मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल में पिछले 15 सालों से चुनाव भी नहीं हुए और एक भी मछुआरा संघ का सदस्य नहीं है।

मध्य प्रदेश सरकार अब बरगी जलाशय की ही तर्ज पर ही सरदार सरोवर जलाशय में भी मछली मारने का ठेका बाहरी ठेकेदारों को देने का मन बना चुकी है। इसकी एक बानगी गत दिनों राज्य सरकार द्वारा जारी की गई निविदा से जाहिर हुई, जिसमें सभी बाहरी व्यक्तियों व संस्थाओं के नाम हैं और इनसे कहा गया है कि वे आगामी 13 जनवरी, 2020 तक निविदा भरकर व 10 लाख की निविदा शुल्क भुगतान करते हुए इस प्रक्रिया में शामिल हों। सरदार सरोवर बांध से विस्थापित मछुआरों का कहना है कि वह मछली पर रॉयल्टी तो वह सरकार को दे सकते हैं, लेकिन निविदा भरना और शुल्क देना उनसे कभी नहीं होगा और न ही यह उनके लिए जरूरी लगता है। यह निविदा राज्य सरकार की सूचना नीति और नियमों के खिलाफ है और वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार ने चुनाव के दौरान तथा चुने जाने के बाद जो आश्वासन दिया था, उसका भी उल्लंघन है।

असलियत ये है कि हर हाल में राज्य सरकार पूरी तरह से सरदार सरोवर बांध के विस्थापित मछुआरों को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहती है। पहले वे सरोवर बांध से विस्थापित हुए और अब सरकार उनके अधिकारों से भी वंचित करने पर तुली हुई है। क्योंकि सरकार ने नई निविदा जारी की है इसमें बाहरी ठेकेदारों को सरदार सरोवर जलाशय में मछली पालन का अधिकार होगा। यह बात बरगी मत्स्य संघ के अध्यक्ष मुन्ना बर्मन कही। वह कहते हैं कि बरगी में भी राज्य सरकार ने ठेका अब बाहरी ठेकेदारों को देना शुरू कर दिया है और इसका नतीजा है कि बरगी जलाशय में भी अच्छी मछली का उत्पादन खत्म हो गया है। अब राज्य सरकार सरदार सरोवर जलाशय को भी विस्थापित हुए मछुआरों की सहकारी समितियों को न देकर बाहरी लोगों को देकर अपने पुरानी कारगुजारी दुहरा रही है।

सरदार सरोवर जलाशय में मछली पालन के अधिकार पाने के लिए बांध से विस्थापित मछुआरों की 31 सहकारी समितयों ने पिछले एक दशक की लड़ाई के बाद इसका हक पाया है और अब राज्य सरकार है कि इसके लिए बाहरी लोगों को ठेका देने पर तुली हुई है। यही नहीं, यह बात 2008 में लाई गई मध्य प्रदेश शासन की मत्स्य व्यवसाय नीति भी यही कहती है कि स्थानीय मछुआरों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए ना की बाहरी ठेकेदार या बाहरी मछुआरों को।

सरदार सरोवर से विस्थापित मछुआरे आज भी पुनर्वास के नाम पर बस टिन शेड में पड़े हुए हैं, जहां उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। ऐसी स्थिति में अब पानी भरने के बाद जलाशय में मत्स्याखेट का अधिकार उनको मिलना बेहद जरूरी है। धरमपुरी गांव के विक्रम, चिखल्दा के मंशाराम और नानी काकी व पिपलूद, सेमल्दा, बिजासन, दतवाडा, गांगली, राजघाट आदि सभी गाव के मछुआरों के प्रतिनिधियों ने बड़वानी के मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के सामने अपना आक्रोश जताया और कहा कि तत्काल भोपाल के संबंधित अधिकारी और मंत्री को खबर करते हुए निविदा सूचना रद्द करवाई जाए।

इस अवसर पर नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर ने कहा कि नर्मदा ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार अंतरराज्य परियोजना होते हुए भी मध्य प्रदेश सरकार को हक दिया गया है कि जलाशय में मत्स्य व्यवसाय के बारे में वही निर्णय करे। जबकि मध्य प्रदेश की नीति कहती है कि विस्थापित मछुआरों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए तब अन्य जलाशयों में जैसा की हो रहा है वैसा ठेकेदारों के द्वारा शोषण नामंजूर है। उन्होंने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जो चर्चा भोपाल में हो चुकी है, उसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के गोपाल रेड्डी ने भी आश्वासित किया था कि मछुआरों को ही हक दिया जाएगा।

यही बात आयुक्त, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने भी कही थी और साथ ही नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने भी यही बात क्षेत्र में कई बार दोहराई। इसके बावजूद विस्थिपित मछुआरों के खिलाफ राज्य सरकार निविदा जारी की है। इसका हम लगातार विरोध करेंग और इसे हर हाल में रद्द किया जाना चाहिए।

● **कुमार विनोद**

बाघों की सुरक्षा घेरे में...

शिकारियों की हलचल ने किया परेशान

प्रदेश के जंगलों में वन्यजीवों की संख्या बढ़ी तो शिकार भी शुरू हो गया। जंगल में आवश्यक संसाधन नहीं होने से वन्यजीव गांव की ओर भागने लगे। सालभर में कई ऐसी घटनाएं हुईं जो वन्यप्राणियों के संरक्षण पर बड़ा सवाल छोड़ गईं। बाघ, तेंदुआ सहित अन्य जानवर गांव की ओर रुख किए तो रेस्क्यू कर उन्हें जंगल में फिर पहुंचाया गया। शिकारियों ने भी सालभर जमकर धमाचौकड़ी मचाई। सीधी में तो जहर देकर शिकार किया गया। मुकुंदपुर सफारी शावकों के लिए कुछ खास नहीं रहा इस साल कई शावकों की मौत हो गई। इस सबके बीच पन्ना के बाघों ने पहचान दिलाई। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में हुई अप्रत्याशित वृद्धि का ही परिणाम रहा कि प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई टाइगर सेंसेस में प्रदेश को 13 साल बाद फिर टाइगर स्टेट का दर्जा मिला। 2019 के आखिरी माह तक रिजर्व के कोर जोन में शावक सहित 55 से 60 बाघ विचरण कर रहे हैं। पन्ना लैंड स्केप में बाघों की संख्या 65 से 70 के बीच होने का अनुमान है। इस साल पन्ना टाइगर रिजर्व की बाघिनों ने भी एक दर्जन से अधिक शावकों को जन्म दिया। यही कारण रहा कि सालभर टाइगर रिजर्व बाघों की आमद से गुलजार रहा। बाघ पुनर्स्थापना के 10 साल पूरे होने पर जैव विविधता बोर्ड की ओर से पन्ना टी-3 वॉक का आयोजन किया गया जो यादगार रहा। यह बाघों का अध्ययन केंद्र भी बनकर उभरा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (देहरादून) के 92 प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारियों का दल एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए यहां आया। साल के अंतिम दिनों में एक दशक से अधिक समय के इंतजार के बाद 25 घड़ियाल नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी धुबरी मुरैना से केन नदी में छोड़े गए।

टाइगर स्टेट का तमगा मिलने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार बाघों की सुरक्षा के प्रति सचेत नहीं हो पाई है। राज्य में इस वर्ष एक जनवरी से 25 दिसंबर तक 28 बाघों की मौत हुई है, जो देश में सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ सात बाघों की सामान्य मौत हुई। सात बाघों का शिकार हुआ, जबकि 14 बाघों की मौत से स्पष्ट नहीं हैं। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस (29 जुलाई) पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बाघों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए भरोसा दिया था कि अब अनदेखी या लापरवाही से बाघों की मौत नहीं होगी। इसके बाद राज्य में आठ बाघों की मौत हो चुकी है। टाइगर इस्टीमेशन-2018 के तहत गिनती में देश में सर्वाधिक 526 बाघ मध्य प्रदेश में पाए गए। इसके बाद इसे टाइगर स्टेट का तमगा तो मिल गया, लेकिन बाघों की मौत का सिलसिला नहीं थमा। लगातार चौथे साल देश में सबसे ज्यादा बाघों की मौत मप्र में हुई है।

अफसरों के तर्कों से सहमत नहीं विशेषज्ञ: बाघ विशेषज्ञ वन विभाग के अफसरों के तर्क से सहमत नहीं हैं। वह कहते हैं कि पिछले आठ साल कर्नाटक टाइगर स्टेट रहा, लेकिन हर साल वहां बाघों की मौत का आंकड़ा मप्र से कम रहा है। ऐसे में अफसरों का यह तर्क कि बाघ ज्यादा होंगे, तो मौत का आंकड़ा ज्यादा रहेगा, उचित नहीं है। वन्यप्राणियों के जानकार कहते हैं कि प्रदेश में बाघों की साइलेंट किलिंग हो रही है। शाकाहारी जानवरों के शिकार के लिए लोग करंट लगाते हैं और बाघ मारे जाते हैं। ऐसे मामलों में विभाग आरोपित पर दया दिखाता है। जब तक भय नहीं होगा, शिकार का सिलसिला चलता रहेगा। वन्यप्राणियों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता के मामले में भी विभाग फिसड्डी है। वन विहार व सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के निदेशक रह चुके सेवानिवृत्त आईएफएस जगदीश चंद्रा कहते हैं कि सरकार बड़े व्यावसायिक घरानों के हितों की पूर्ति कर रही है। उसकी प्राथमिकताओं में पर्यटन है, वन्यप्राणियों की सुरक्षा नहीं। बाघ शिकार के मामलों में सजा का प्रतिशत कम है। वन विभाग के अफसर नियंत्रणहीन हो गए हैं।

वन बल प्रमुख एवं चीफ वाइल्ड लाइफ वॉर्डन डॉ. यू प्रकाश कहते हैं कि देश में मप्र अकेला राज्य है, जो प्रत्येक बाघ, तेंदुआ और भालू की मौत की सूचना तत्काल देता है। दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं होता इसलिए वहां के आंकड़े कम आ रहे हैं। हमने सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किया है। इसी का नतीजा है टाइगर स्टेट का तमगा। देश में इस साल अब तक (11 महीने में) विभिन्न कारणों से 85 बाघों की मौत हो चुकी है। जबकि पिछला साल यानी 2017 बाघों के लिए मौत का साल रहा। देशभर में 116 बाघों की मौत हुई। नेशनल टाइगर कंजरवेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें 99 बाघों के शव और 17 बाघों के अवशेष बरामद किए गए। इन में से 32 मादा और 28 नर बाघों की पहचान हो सकी, बाकी मृत बाघों की पहचान नहीं हो सकी। इसमें 55 फीसदी मौतें ही प्राकृतिक रूप से हुई हैं।

बाघों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश का नाम पहले नंबर पर आता है। वर्ष 2017 में वहां 29 बाघों की मौत हुई, जबकि इस प्रदेश में पिछले सात सालों में बाघों की सुरक्षा, मैनेजमेंट और टाइगर रिजर्व, अभयारण्यों से गांवों की शिफ्टिंग पर 1050 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं, बावजूद इसके यहां बाघों की मौत का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा 2017 में महाराष्ट्र में 21, कर्नाटक में 16, उत्तराखंड में 16 और असम में 16 बाघों की मौत दर्ज की गई। बाघों की मौत के पीछे करंट लगना, शिकार, जहर, आपसी संघर्ष, प्राकृतिक मौत, ट्रेन या सड़क हादसों को कारण बताया गया। वर्ष 2014 से अब तक 490 बाघों की मौत के मामले सामने आए हैं। इनमें वर्ष 2014 में 66, वर्ष 2015 में 91, वर्ष 2016 में 132, वर्ष 2017 में 116 और वर्ष 2018 में नवंबर तक 85 मामले शामिल हैं।

● **धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया**

पानीदार बनेंगी नदियां

सूखे का दंश झेल रहे बुंदेलखंद को पानीदार बनाने के लिए वहां नदी, नीर और नारी के सम्मान का अभियान चलाया जा रहा है। झरनों और प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर होने पर भी बुंदेलखंड को वो पहचान नहीं मिल पा रही जो उसका अधिकार है। बुंदेलखंड में साल दर साल पानी की समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है। जल संरचनाओं का आंकड़ा कम हो रहा है, वहीं सरकार के खर्च का आंकड़ा बढ़ रहा है। सवाल उठ रहा है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी न तो नई जल संरचनाएं आकार ले पा रही हैं और न ही नदियां प्रवाहमान हो पा रही हैं, तो फिर इस रकम से कौन लोग जीवन पा रहे हैं? प्रमुख नदियों को जीवन देने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए मगर हालत साल दर साल बद से बदतर होती गई। अब प्रदेश की कमलनाथ सरकार पूरे प्रदेश की नदियों को पानीदार बनाने जा रही है।

मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी उज्जैन में प्रवाहित होने वाली क्षिप्रा नदी को मोक्षदायनी नदी माना जाता है। इस नदी की दुर्दशा की अपनी कहानी है। साल में कुछ माह या यूं कहें कि बारिश के बाद के कुछ समय में इस नदी में पानी स्नान के लायक होता है। इस नदी के पानी से आचमन तो शायद कुछ दिन भी नहीं किया जा सकता। इन दिनों तो इस नदी का पानी कीचड़ का रूप लिए हुए है।

इस नदी को ही प्रवाहमान बनाने के लिए नर्मदा नदी के पानी को 571 करोड़ रुपए खर्च करके लाया गया। उसके बाद भी यह नदी सदानीरा नहीं बन पाई। इस साल दिसंबर में नदी का पानी कीचड़मय है तो पिछले साल जनवरी में शनिश्चरी अमावस्या के समय नदी के कीचड़मय पानी में श्रद्धालुओं के स्नान करने के मामले को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन संभागायुक्त और कलेक्टर को हटा दिया था। इसी तरह राज्य की दूसरी सबसे प्रमुख नदी नर्मदा को नया स्वरूप देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा समग्र अभियान चलाया। अभियान जोरशोर से चला, तमाम बड़े लोग इसका हिस्सा बने, मगर नदी की दशा पहले से बुरी होती गई।

बीते ढ़ाई दशक के अभियानों पर नजर दौड़ाई जाए तो एक बात साफ हो जाती है कि दिग्विजय सिंह के शासन काल में पानी बचाओ अभियान चला, भाजपा के 15 साल के शासनकाल में जलाभिषेक अभियान और नर्मदा समग्र अभियान ने गति पकड़ी। इन अभियानों पर सैकड़ों करोड़ रुपये बहा दिए गए, मगर हालात नहीं सुधरे। तस्वीर नहीं बदली, पानी की समस्या और गंभीर होती चली गई। प्रदेश के सबसे सूखा ग्रस्त इलाके में पानी के लिए बुंदेलखंड को पानीदार बनाने के लिए विशेष पैकेज के 1,600 करोड़ रुपये दिए गए, मगर यह राशि पानी की तरह बहा दी गई। इस इलाके की प्यास अब भी बरकरार है।

भाजपा के शासनकाल में जन अभियान परिषद ने जल स्त्रोतों को जीवित करने, नदियों को प्रवाहमान बनाने का अभियान चला, मगर एक भी नदी पुनर्जीवित नहीं हो सकी। तब परिषद ने ही इस बात का खुलासा किया था, कि राज्य की 330 से ज्यादा नदियां गुम हो गई हैं। वहीं वर्तमान की कमलनाथ सरकार ने 31 नदियों को पुर्नजीवित करने की मुहिम छेड़ी है। यह नदियां भी पुर्नजीवित होंगी या उनका हश्र पिछले अभियान जैसा ही होगा, यह बड़ा सवाल है।

जिंदगी बचाओ अभियान के सह संयोजक अमूल्य निधि का कहना है, राज्य में नदियों को प्रवाहमान बनाने और जलसंरचनाओं को पुनर्जीवित करने के नाम पर पिछली सरकारों ने खूब पैसा खर्च किया है। उसके बाद भी न तो नदियों में पानी आया और न ही जल संरचनाएं बचीं। वर्तमान सरकार को पूर्व की गलतियों और चुनौतियों के मद्देनजर नई रणनीति पर काम करना चाहिए, न कि फिर ऐसे लोगों को यह काम सौंपा जाना चाहिए जिनकी नीयत में खोट है। जिसे भी इस काम में लगाया जाए, उसके पूर्व के कार्यो का आंकलन भी किया जाए।

● **सिद्धार्थ पांडे**

पानी के लिए सिर्फ बातों के भूत दिखाए जाते है

बुंदेलखंड पैकेज के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता पवन घुवारा का कहना है, पानी के लिए सिर्फ बातों के भूत दिखाए जाते है, सरकारें राशि मंजूर करती है और अधिकारी इससे मौज कर चले जाते है और जनता पानी के लिए तरसती रहती है। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पानी के नाम पर पैसा खर्च हुआ है, मगर स्थितियों यथावत है। सरकार को चाहिए कि वह पानी के नाम पर लूट करने वालों पर लगाम कसे। राज्य की कमलनाथ सरकार हर व्यक्ति को जरूरत का पानी उपलब्ध कराने के लिए पानी का अधिकार कानून बना रही है, वहीं जल संरचनाओं और नदियों को प्रवहमान बनाने की मुहिम जारी है। पानी की पैरवी करने वाला वर्ग यही अपेक्षा कर रहा है कि पानी के नाम पर इस बार वैसा न हो जैसा पहले होता आया है। पानी के लिए मंजूर बजट पानी पर ही खर्च हो न कि जिनके हाथ में कमान आए वे अपना पेट भर लें।

हंगामा क्यों...?

नागरिकता संसोधन कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर देशभर में बवाल मचा हुआ है। कई राज्यों में आगजनी और खून खराबे तक हो चुके हैं। ऐसे-ऐसे लोग शोर मचा रहे हैं, जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं है। हर कोई भीड़ का हिस्सा बनकर हंगामे पर उतरा हुआ है। वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा सीएए की गलत व्याख्या कर जनमानस को उद्वेलित किया जा रहा है।

● राजेंद्र आगाल

भारत जल रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है यह अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है। बिना सोचे-समझे और पढ़े नागरिकता संशोधन कानून पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल, मामला शरणार्थियों से जुड़ा है। शरणार्थियों का मुद्दा फिलवक्त यूरोप, अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्कों में है। स्थानीय लोग हर देश में बाहर से आने वालों का विरोध कर रहे हैं। अपने मुल्क का मसला कुछ अलग है। काफी हद तक जटिल भी। पर एक आसान सी बात है जो सबको समझ आनी चाहिए। जिनके बाप-दादा आजादी के बाद से यहीं रह रहे हैं, उनका कोई भी सरकार कुछ नहीं बिगाड़ सकती। असम व उत्तर-पूर्व के कुछ राज्यों में रहने वालों की कुछ चिंताएं वाजिब हो सकती हैं। पर बाकी देश में क्या दिक्कत है। अगर कानून से दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। पर सड़कों पर बवाल क्यों? शायद इस कानून को प्रचारित ही ऐसे किया गया कि मानो इससे देश के अल्पसंख्यक खतरे में पड़ जाएंगे।

नागरिकता संशोधन कानून 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अप्रवासियों को शामिल करता है। नागरिकता कानून 1955 के अनुसार, एक अवैध अप्रवासी नागरिक को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। अवैध अप्रवासी का अर्थ उस व्यक्ति से है जो भारत में या तो वैध दस्तावेजों के बिना दाखिल हुआ है अथवा निर्धारित समय से अधिक भारत में रह रहा है। सरकार ने 2015 में इन तीन देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत में आने देने के लिए पासपोर्ट और विदेशी एक्ट में संशोधन किया था। यदि उनके पास वैध दस्तावेज नहीं हैं तो भी वह भारत में आ सकते है।

विपक्ष का सवाल

प्रमुख विपक्षी दलों का कहना है कि विधेयक देश के करीब 15 फीसदी मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है, जिन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। हालांकि सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हैं। वहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, ऐसे में उन्हें उत्पीड़न का शिकार अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार दूसरे समुदायों की प्रार्थना पत्रों पर अलग-अलग मामले में गौर करेगी।

विधेयक की पृष्ठभूमि

एनडीए सरकार के चुनावी वादों में से यह एक है। आम चुनावों के ठीक पहले यह विधेयक अपनी शुरुआती अवस्था में जनवरी 2019 में पास हुआ था। इसमें छह गैर मुस्लिम समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए भारतीय नागरिकता मांगी गई। इसमें नागरिकता के लिए बारह साल भारत में निवास करने की आवश्यक शर्त को कम करके सात साल किया गया। यदि नागरिकता चाहने वाले के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है तो भी। इस विधेयक को संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया था, हालांकि यह बिल पास नहीं हो सका क्योंकि यह राज्यसभा में गिर गया था।

विधेयक के विपक्ष में

यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद-14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और माकपा सहित अन्य कुछ प्रमुख राजनीतिक दल विधेयक का मुखर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नागरिकता धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में विधेयक के खिलाफ व्यापक पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं।

इसलिए है विरोध

उत्तरपूर्वी राज्यों में विधेयक का भारी विरोध है। यहां पर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। लोग महसूस करते हैं कि अवैध प्रवासियों के स्थायी रूप से बसने के बाद स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। साथ ही आगामी समय में संसाधनों पर बोझ बढ़ेगा और पहले से यहां रह रहे लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में कमी आएगी। लोगों का एक बड़ा वर्ग और संगठन विधेयक का विरोध इसलिए भी कर रहे हैं कि यह 1985 के असम समझौते को रद्द कर देगा। असम समझौते के अनुसार, 24 मार्च 1971 के बाद असम में आए लोगों की पहचान कर बाहर निकाला जाए। अब नागरिकता संशोधन विधेयक में नई सीमा 2019 तय की गई है। अवैध प्रवासियों के निर्वासन की समय सीमा बढ़ाने से लोग नाराज हैं।

आखिर सीएए क्या है?

नागरिकता संशोधन कानून से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता खुल गया है। सीएए के अनुसार 31 दिसंबर, 2014 या उससे पहले भारत आने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी के अल्पसंख्यकों को घुसपैठिया नहीं माना जाएगा।

अवैध प्रवासी वह है जिसने वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया हो। जो अपने निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय तक भारत में रहता है। इस लाभ को देने के लिए विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के तहत भी छूट देनी होगी। वर्ष 1920 का अधिनियम विदेशियों को अपने साथ पासपोर्ट रखने के लिए बाध्य करता है। 1946 का अधिनियम भारत में विदेशियों के आने-जाने को नियंत्रित करता है।

इन शर्तों को पूरा करना होगा

जिस तारीख से आवेदन करना है, उससे पहले 12 महीनों से भारत में रहना होगा। कम से कम छह साल भारत में बिताना जरूरी। संविधान की छठी अनुसूची में शामिल राज्य व आदिवासी क्षेत्रों में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होगा। ये प्रावधान बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत अधिसूचित 'इनर लाइन' क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होंगे।

पिछले विधेयक से कैसे अलग नया कानून

2016 के विधेयक में 11 वर्ष की शर्त को घटाकर 6 वर्ष किया गया था। नए कानून में इसे घटाकर पांच वर्ष कर दिया गया है। छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों को छूट देने का बिंदु भी पिछले विधेयक में नहीं था। अवैध प्रवास के संबंध में सभी कानूनी कार्यवाही बंद करने का प्रावधान भी नया है।

कानून को लेकर दो तरह के विवाद

विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यह कानून एक धर्म विशेष के खिलाफ है। यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद-14 सभी को समानता की गारंटी देता है। आलोचकों का कहना है कि धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह कानून अवैध प्रवासियों को मुस्लिम और गैर-मुस्लिम में विभाजित करता है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश व पाकिस्तान के अलावा अन्य पड़ोसी देशों का जिक्र क्यों नहीं। 31 दिसंबर, 2014 की तारीख का चुनाव करने के पीछे का उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं।

असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में विरोध का कारण

बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सभी अवैध प्रवासियों को बाहर किया जाए। राज्य में इस कानून को 1985 के असम समझौते से पीछे हटने के रूप में देखा जा रहा है। समझौते के तहत सभी बांग्लादेशियों को यहां से जाना होगा, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम। असम समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों को डर है कि इससे जनांकिकीय परिवर्तन होगा।

कितने लोग जुड़ेंगे

संसदीय समिति के अनुसार, दूसरे देशों के रहने वाले इन अल्पसंख्यक समुदायों के 31 हजार 313 लोग लंबी अवधि के वीसा पर रह रहे हैं। यह लोग धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर शरण मांग रहे हैं। इंटेलीजेंस ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार, इन 31 हजार 313 लोगों में 25 हजार 447 हिंदू, 5 हजार 807 सिख, 55 ईसाई, 2 बौद्ध और 2 पारसी शामिल हैं।

सरकार के तर्क संगतपूर्ण नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बार-बार दोहरा रहे हैं कि नागरिकता कानून का असर किसी भारतीय नागरिक पर नहीं पड़ेगा। तथ्य के तौर पर यह बात सही भी है। जो कानून बनाया गया है, वह तीन देशों-पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन अल्पसंख्यक घुसपैठियों के लिए है जो 2014 से पहले भारत आ गए हैं। इसका कोई वास्ता यहां रहने वाले अल्पसंख्यकों से नहीं है। लेकिन यह मोटी सी बात लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है? प्रधानमंत्री के मुताबिक ये लोग क्यों विपक्ष के बहकावे में आ रहे हैं? क्योंकि इस कानून में और इसके आगे पीछे बने और बदले गए कुछ और कानूनों में कुछ ऐसा है जो एक समुदाय के भीतर सौतेलेपन का एहसास भर रहा है। आखिर पहली बार भारत में नागरिकता देने के प्रावधानों को धार्मिक पहचान से जोड़ा गया है और बाकायदा नाम लेकर एक समुदाय को इससे अलग रखा गया है।

सरकार कानून लेकर क्यों आई?

दरअसल यह बात बिल्कुल समझ से बाहर है कि अगर सरकार का कोई सांप्रदायिक इरादा नहीं था तो वह अभी और ऐसा कानून लेकर क्यों आई? इसकी क्या ज़रूरत थी? सरकार की दलील है कि वह पड़ोसी देशों में धार्मिक आधार पर उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता का रास्ता बना रही है। लेकिन क्या इस कानून के बिना इन लोगों के लिए नागरिकता का रास्ता खुला नहीं है? सच तो यह है कि मौजूदा कानूनों के तहत ही ऐसे अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लगातार प्रदान की जा रही है। बीते हफ्ते राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी कि 2016 से 2018 के बीच कुल 1988 लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इनमें 1595 पाकिस्तान से आए प्रवासी हैं और 391 अफगानिस्तान से। यही नहीं, 2019 में भी 712 पाकिस्तानी और 40 अफगानी लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। यानी ज्यादा से ज्यादा इस प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत थी।

कितनों को होगा लाभ?

हैरानी की बात यह है कि सरकार ने कानून तो बना दिया, लेकिन उसे ठीक से नहीं पता कि इसका लाभ कितने लोगों को मिलेगा। फिलहाल जो टूटे-फूटे आंकड़े सामने आ रहे हैं- सरकार की ओर से जारी दीर्घावधिक वीजा की मार्फत-उससे लगता नहीं कि कुछ लाख लोगों से ज्यादा को इस कानून का फायदा मिलना है। सवा अरब की आबादी के लिहाज से ये एक बहुत मामूली संख्या है। तो अगर सरकार किसी इरादे से संचालित नहीं थी तो उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या इसलिए कि अपने हिंदू प्रेम में उसने तथ्यों से भी आंख मूंद ली? संसद में गृहमंत्री ने कहा कि विभाजन के समय पाकिस्तान में 23 फीसदी से ज्यादा हिंदू थे। वे घटकर तीन फ़ीसदी से नीचे चले आए। क्या यह बात सही है? इस मामले में हिंदी के युवा बौद्धिक और लेखक हिमांशु पंड्या ने विस्तार में लिखा है। उनका कहना है कि 1947 में जनगणना नहीं हुई थी। 1941 में जो जनगणना हुई थी, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 22 फीसदी अल्पसंख्यक थे। लेकिन 1947 में आबादी इस हद तक इधर-उधर हुई कि पुरानी जनगणना बेमानी हो गई। विकिपीडिया के मुताबिक 1951 की जनगणना में पाकिस्तान की आबादी में हिंदू आबादी का अनुपात 12.3 प्रतिशत का है। लेकिन इसका बड़ा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान- यानी मौजूदा बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में 28 फीसदी से ज्यादा गैरमुस्लिम हैं तो पश्चिमी पाकिस्तान में सिर्फ 2.6 प्रतिशत।

कौन है अप्रवासी?

सहज रूप से अप्रवासी का अर्थ उन लोगों से है जो इन छह समूहों या समुदायों में से हो। इन समूहों के अतिरिक्त इन देशों से आने वाले लोग किसी भी तरह से नागरिकता के पात्र नहीं होंगे। यह विधेयक प्राकृतिक रूप से नागरिकता के प्रावधान में भी छूट देता है। साथ ही विधेयक तीन देशों के छह समुदायों के लोगों को 11 साल भारत में रहने की अवधि में भी छूट देता है। विधेयक में इसे घटाकर पांच साल किया गया है।

इंदिरा-राजीव ने भी दी थी नागरिकता

यह कानून सत्तर साल से पीड़ा और अमानवीय जिंदगी जी रहे लोगों के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाने की एक कोशिश है। 1947 में पंडित नेहरू और लियाकत अली खां के बीच हुए समझौते के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान में हिंदू और सिख अगर प्रताड़ित होते हैं, तो वे हिंदुस्तान आ सकते हैं। युगांडा में इदी अमीन के बड़ी तादाद में हिंदुओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिन्हें इंदिरा गांधी ने भारत की नागरिकता दी। 1971 में पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ युद्ध के दौरान भी बहुत सारे लोगों को इंदिरा गांधी ने नागरिकता दी और राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्वकाल में बहुत सारे श्रीलंकायी तमिलों को भारत की नागरिकता दी गई थी। 2003 में मनमोहन सिंह ने नागरिकता संशोधन बिल पर बोलते हुए कहा था कि बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलनी चाहिए। मनमोहन सिंह की सरकार के कार्यकाल में नागरिकता कानून तीन दिसंबर 2004 से लागू हुआ।

सरकार की दलील

1947 में भारत और पाकिस्तान के धार्मिक आधार पर विभाजन का तर्क देते हुए सरकार ने कहा कि अविभाजित भारत में रहने वाले लाखों लोग भिन्न मतों को मानते हुए 1947 से पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे थे। विधेयक में कहा गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का संविधान उन्हें विशिष्ट धार्मिक राज्य बनाता है। परिणामस्वरूप, इन देशों में हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई समुदायों के बहुत से लोग धार्मिक आधार पर उत्पीड़न झेलते हैं। इनमें से बहुत से लोग रोजमर्रा के जीवन में उत्पीड़न से डरते हैं। जहां उनका अपनी धार्मिक पद्धति, उसके पालन और आस्था रखना बाधित और वर्जित है। इनमें से बहुत से लोग भारत में शरण के लिए भाग आए और वे अब यहीं रहना चाहते हैं। यद्यपि उनके यात्रा दस्तावेजों की समय सीमा समाप्त हो चुकी है या वे अपूर्ण हैं अथवा उनके पास दस्तावेज नहीं हैं।

11 राज्य सरकारें विरोध में

नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का तीन दिन पहले तक 5 मुख्यमंत्री विरोध कर रहे थे, लेकिन अब 3 और राज्य सरकारों ने साफ कर दिया है कि वे इसे लागू नहीं होने देंगी। पहले बंगाल, राजस्थान, केरल, पुदुचेरी और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने ऐसे बयान दिए थे। अब मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी कह दिया है कि इस कानून को लागू करने का सवाल नहीं उठता। इन 8 राज्यों में देश की 35 प्रतिशत आबादी रहती है। वहीं, 3 और राज्य सरकारें ऐसी हैं जो सीएए के विरोध में तो हैं, लेकिन इस कानून को लागू होने देंगी या नहीं, इस पर उनका रुख साफ नहीं है। इन राज्यों को भी जोड़ दिया जाए तो 42 प्रतिशत आबादी वाली 11 राज्य सरकारें अब सीएए का विरोध कर रही हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री भी नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये

8 राज्य सरकारों ने कहा- नागरिकता कानून लागू नहीं होने देंगे

राज्य	आबादी	भू-भाग	किसकी सरकार
बंगाल	7.3%	2.8%	तृणमूल
महाराष्ट्र	9.3%	9.3%	शिवसेना
मध्यप्रदेश	6%	9.3%	कांग्रेस
राजस्थान	5.7%	10%	कांग्रेस
केरल	2.6%	1.1%	माकपा
पंजाब	2.2%	1.5%	कांग्रेस
छत्तीसगढ़	2%	4.11%	कांग्रेस
पुदुचेरी	0.1%	0.1%	कांग्रेस
कुल	**35%**	**38%**	

नहीं कहा है कि वे इसे लागू नहीं होने देंगे। मप्र और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारा रुख वही होगा, जो कांग्रेस का होगा। तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस ने संसद में इस बिल का विरोध किया था, लेकिन इसे लागू करने को लेकर उसका रुख साफ नहीं है। इनके अलावा गैर-भाजपा शासन वाले तमिलनाडु, आंध्र और ओडिशा की सरकारों ने नागरिकता संशोधन विधेयक का संसद में समर्थन किया था। दूसरे मुद्दे एनआरसी की बात करें तो इस योजना का खाका तैयार होने से पहले ही 10 मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि वे इसे अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। इन मुख्यमंत्रियों की 51 प्रतिशत आबादी वाले राज्यों में सरकार है।

अन्य राज्यों का रुख

पुदुचेरी में कांग्रेस की सरकार है। यह केंद्र शासित प्रदेश है। यहां की कांग्रेस सरकार ने नागरिकता कानून का विरोध तो किया है, लेकिन एनआरसी आने की स्थिति में उसे लागू होने देंगे या नहीं, इस पर रुख साफ नहीं किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एनआरसी पर सिर्फ यही तंज कसा था कि दिल्ली में इसके लागू होते ही भाजपा नेता मनोज तिवारी को राज्य छोड़कर जाना पड़ जाएगा। तेलंगाना और तमिलनाडु की सरकार ने भी नेशनल रजिस्टर के मुद्दे पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेशनल रजिस्टर का विरोध तो किया है, लेकिन कहा है कि वे इससे जुड़े दस्तावेजों को देखने के बाद ही फैसला लेंगे।

राज्य विरोध पर अड़े रहें तो क्या?

इस बारे में संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद-11 के तहत नागरिकता पर कानून बनाना पूरी तरह से संसद के कार्यक्षेत्र व अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्यों को इस मामले में कोई अधिकार नहीं है। अगर ये इसे अपने यहां लागू नहीं करते हैं तो यह संविधान का उल्लंघन होगा। कश्यप के मुताबिक, राज्यों के पास दो विकल्प हैं। वे इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं या अगले लोकसभा चुनाव में बहुमत मिलने पर कानून बदल सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एनआरसी संविधान का उल्लंघन है तो फिर यह कहीं पर भी लागू नहीं होगा। लेकिन अगर यह संविधान का उल्लंघन नहीं माना गया तो सभी राज्यों को इसे अपने यहां लागू करना होगा। संविधान विशेषज्ञ और राज्यसभा के पूर्व महासचिव योगेंद्र नारायण के अनुसार एनआरसी केंद्रीय सूची में है। केंद्र का फैसला लागू करना राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। कोई राज्य इसे लागू करने से इनकार करे तो केंद्र कह सकता है कि वहां संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई। ऐसे में अनुच्छेद-355 के तहत राज्य को चेतावनी दी जा सकती है और अनुच्छेद-356 के तहत सरकार बर्खास्त भी की जा सकती है। उत्तरप्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं कि केंद्र का कोई भी फैसला, जिस पर अमल राज्य की जिम्मेदारी हो, उसे व्यावहारिक ढंग से तभी लागू कर सकते हैं, जब राज्य सहमत हो। एनआरसी भी जनगणना और आधार जैसी व्यवस्था है। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इसमें केंद्र और राज्यों के बीच 100 प्रतिशत तालमेल जरूरी है।

नेहरू पर सवाल क्यों?

दरअसल, आज देश में जो कुछ भी खामियां नजर आ रही हैं वर्तमान सरकार उसके लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू को दोषी बता देती है। चाहे मामला देश के बंटवारे का ही क्यों न हो। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि बंटवारे के लिए क्या नेहरू जिम्मेदार थे? या सिर्फ नेहरू ने पाकिस्तान बनने की मंजूरी दी? क्या भाजपा के आराध्य सरदार वल्लभ भाई पटेल उस कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे? क्या अगर सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष होते तो देश का बंटवारा नहीं होता? नेहरू की अगुवाई में बनी पहली सरकार में एक तरफ कांग्रेस के भीतर उनके सबसे कड़े

बांग्लादेशी शरणार्थियों के साथ भेदभाव क्यों?

1947 के विभाजन के समय जो लोग पाकिस्तान के पूर्वी या पश्चिमी हिस्से से भारत आए, उनका यहां गर्मजोशी से स्वागत हुआ। उन्हें उन घरों में बसाया गया, जिन घरों को खाली करके मुसलमान परिवार पाकिस्तान चले गए थे। बाकी लोगों को भी घर बनाने के लिए उनके पसंद के शहर में जमीनें दी गईं। आर्थिक मदद दी गई। लेकिन यही सुविधा 1971 में आए रिफ्यूजी को क्यों नहीं दी गई? इसकी वजह भारत-पाकिस्तान के विभाजन के इतिहास में है। 1947 में जब देश के दो टुकड़े हुए तो मोटे तौर पर इसे हिंदू-मुसलमान विभाजन माना गया। लेकिन सब कुछ इतना सीधा-सपाट नहीं था। खासकर पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में दलितों का एक बड़ा हिस्सा बंगाल के विभाजन के खिलाफ था और विभाजन के बाद उनमें से काफी लोग पूर्वी पाकिस्तान में ही रह गए। इनके नेता जोगेंद्र नाथ मंडल अविभाजित पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। भारत ने तीन हिंदू दलित जिलों को पूर्वी पाकिस्तान में जाने दिया। विभाजन के बाद सीमा के दोनों ओर काफी सांप्रदायिक हिंसा हुई और समाज में कड़वाहट काफी बढ़ गई। इसके बावजूद पूर्वी पाकिस्तान के हिंदू दलित वहीं बने रहे। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की फौज ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर भाषा के आधार पर अत्याचार शुरू कर दिया और उनका मुख्य निशाना बने हिंदू दलित। इसके बाद ही उनका बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हुआ। भारत में ये लोग आ तो गए लेकिन सरकार ने कभी इनका स्वागत नहीं किया। इन्हें विभाजन के समय पाकिस्तान में रह जाने का दोषी माना गया, जबकि उनमें से ज्यादातर लोग ग्रामीण और गरीब थे और 1947 के विभाजन के समय वे ये समझने की हालत में भी नहीं थे कि दरअसल उनके साथ हो क्या रहा है। 1971 के रिफ्यूजी के एक समूह ने जब सुंदरवन डेल्टा के एक द्वीप मरीचझांपी में बसने की कोशिश की, तो इस समय की पश्चिम बंगाल की लेफ्ट फ्रंट सरकार ने जबरन वो द्वीप खाली करा दिया। इस दौरान की गई पुलिस फायरिंग में बड़ी संख्या में शरणार्थी मारे गए। जो नागरिकता विहीन लोग भारत में रह रहे हैं, उनको ही अब बीजेपी नागरिकता देने की बात कर रही है। लेकिन बीजेपी के लिए ये किसी ऐतिहासिक गलती को सुधारने का या मानवता भरा कोई कदम नहीं है। इस मुद्दे पर वह सांप्रदायिकता की रोटी सेंकना चाहती है। इसलिए उसने नागरिकता को धर्म से जोड़ दिया है।

60 लाख जनजातीय आबादी की नागरिकता खतरे में

अगर मप्र में एनपीआर और एनआरसी को लागू किया जाता है तो 51 जनजातियों की करीब 60 लाख आबादी की नागरिकता खतरे में पड़ सकती है। क्योंकि इन जनजातियों के पास अपने जन्म को साबित करने के लिए शायद ही कोई दस्तावेज हो। विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग के अनुसार मध्यप्रदेश में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों की 51 जातियां हैं, जिन्हें 2012 में आदिवासी विभाग से अलग कर दिया गया था। इसके अलग होने के सात साल बाद भी, विभाग के पास कोई आधिकारिक डाटा नहीं है कि इन समुदायों की कुल जनसंख्या कितनी है। रेनका समिति 2008 की रिपोर्ट, के अनुसार देशभर में ऐसे 11 करोड़ से अधिक लोग हैं, जो विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों से हैं। विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुम्मक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, राज्य में 50 लाख से अधिक विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां हैं, जबकि भाजपा के विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति प्रकोष्ठ के अनुसार इनकी आबादी लगभग 60 लाख है। चूंकि, इन समुदायों के सदस्य शायद ही किसी एक विशेष स्थान पर रहते हैं, उनके पास निवास, जन्म, शिक्षा, जाति और भूमि का कोई भी आधिकारिक प्रमाण नहीं है।

राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी सरदार पटेल थे तो बीआर आंबेडकर और हिंदू महासभा के श्यामाप्रसाद मुखर्जी भी थे, जिनके कांग्रेस की राजनीति से गहरे मतभेद थे। इनमें से सिर्फ नेहरू पर उंगली उठाना कहां तक न्याय संगत है?

अंग्रेजों के शासन से आजादी की लड़ाई के आखिरी बीस-तीस बरसों में उस राजनीति का उभार धीरे-धीरे चरम पर पहुंचा जिसके चलते हिंदुस्तान आजाद तो हुआ लेकिन दो टुकड़ों में बंटकर। इस राजनीति पर सैकड़ों किताबें, संस्मरण लिखे जा चुके हैं लेकिन मौजूदा समय में एक बार फिर यह मसला अलग से एक विस्तृत विमर्श की मांग करता है। कट्टर हिंदुत्ववादी चर्चाओं से इतर यह निर्विवाद सत्य है कि बंटवारे के दर्द, उसकी विभीषिका, हिंसा, सांप्रदायिक कड़वाहट और सियासत के दरम्यान तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व ने एक लड़खड़ाते आजाद देश को अपने पैरों पर खड़ा करने की हर मुमकिन कोशिश की और यह सब करते हुए अपने बुनियादी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इसके लिए कांग्रेस की तत्कालीन टीम और उसके लीडर के तौर पर बतौर प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की सराहना करनी चाहिए।

कांग्रेस ने बंटवारे के वक्त मुख्य रूप से तीन काम किए। एक तो पाकिस्तान बनाने के लिए खुद को तैयार किया, दूसरा 'हिंदू राष्ट्र' की परियोजना को नाकाम किया और तीसरा विभाजन के बाद ऐसा लोकतांत्रिक-धर्मनिरपेक्ष राजनैतिक ढांचा बनाया जिसके तहत भारत में रह गए मुसलमानों को भी बराबर अधिकार मिले। बंटवारे के वक्त जो हालात थे, उनमें आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे कट्टरपंथी हिंदू संगठन 'हिंदू राष्ट्र' के लिए माहौल बना रहे थे। मुसलमानों का एक अलग मुल्क बन जाने के बाद विभाजित हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच एक 'हिंदू राष्ट्र' के लिए प्रबल भावनात्मक आवेग का उमड़ना एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया होती। लेकिन खुद को 'सनातनी हिंदू' कहने वाले महात्मा गांधी की एक कट्टरपंथी हिंदू नाथूराम गोडसे के हाथों हत्या ने हिंदुत्ववादी राजनीति का वह मंसूबा उस वक्त तो मिट्टी में मिला ही दिया था। आम हिंदू जनमानस के बड़े हिस्से के बीच गांधीजी की जो आदरणीय छवि थी, उसकी वजह से गांधी की हत्या ने लोगों को इस कदर स्तब्ध किया कि कट्टर हिंदुत्ववादी राजनीति तिरस्कृत और बहिष्कृत होकर हाशिए पर चली गई। आरएसएस पर उन्हीं सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया जिन्होंने संघ के स्वयंसेवकों को **'भटके हुए देशभक्त'** कहा था।

पोषण का कारोबार

सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मध्यान्ह भोजन योजना सहित भारत की पांच सरकारी योजनाओं के तहत, गरीबों को दिए जाने वाले चावल को सूक्ष्म पोषक तत्वों (माइक्रो न्यूट्रिएंट्स) से भरपूर बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने 15 राज्यों में इस योजना की शुरुआत कर दी है। योजना के मुताबिक, चावल में विटामिन बी 12, आयरन और फोलिक एसिड जैसे पोषक तत्व शामिल किए जाएंगे, जो कुपोषण से लड़ने में मदद करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व शरीर के विकास के लिए आवश्यक एंजाइम और हार्मोन उत्पादन करने में शरीर को सक्षम बनाते हैं।

सरकार का मानना है कि ये सूक्ष्म पोषक तत्व एक ऐसे राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जहां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार, पांच साल से कम उम्र के 38 फीसदी बच्चे अविकसित (नाटे कद के) हैं और 36 फीसदी बच्चे कम वजन के हैं। इस खरीफ सीजन से 15 जिलों में, चावल में सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाने (राइस फोर्टिफिकेशन) का काम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा। इस घोषणा ने एक बहस को जन्म दिया है कि क्या फोर्टिफिकेशन से कुपोषण से निपटने में मदद मिलती है और वास्तव में इस निर्णय से किसे फायदा होगा।

खाद्य पदार्थ में अलग से सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाना एक लाभकारी व्यवसाय है और अगर इसे सरकारी समर्थन मिल जाए तो फिर ये करोड़ों रुपए के बाजार में तब्दील हो जाता है। विश्व स्तर पर, सिर्फ पांच बहुराष्ट्रीय कंपनियां- जर्मनी की बीएएसएफ (बेडन एनीलाइन एंड सोडा फैक्टरी), स्विट्जरलैंड की लोन्जा, फ्रांस की एडिस्सेओ और नीदरलैंड्स की रॉयल डीएसएम एंड एडीएम ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाती हैं और सभी भारतीय कंपनियां इन्हीं से खरीदकर भारत में इसे बेचती हैं। दिल्ली स्थित कृषि व्यवसाय और व्यापार विश्लेषक विजय सरदाना कहते हैं, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादक संघ (कार्टेल) के माध्यम से विश्व बाजार पर शासन करती हैं।

चावल पांचवा खाद्य पदार्थ है, जिसके फोर्टिफिकेशन की बात सरकार ने की है। इससे पहले नमक, खाद्य तेल, दूध और गेहूं का फोर्टिफिकेशन होता रहा है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा दिए गए 2018-19 की मांग और खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के आकड़ों के अनुसार चावल, गेहूं और दूध के फोर्टिफिकेशन का कुल वार्षिक बाजार 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। अकेले फोर्टिफाइड चावल 1,700 करोड़ रुपए का बाजार बनाएगा, क्योंकि इसे बनाने की प्रक्रिया अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में महंगी है। 1980 के बाद, पहली बार जब सरकार ने नमक में आयोडीन मिलाना अनिवार्य बनाया, तब से खाद्य पदार्थों के फोर्टिफिकेशन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित हुआ।

गेहूं के फोर्टिफिकेशन के फैसले की घोषणा पिछले साल की गई थी और इसे भारत के प्रमुख पोषण अभियान के तहत 12 राज्यों में लागू किया जा रहा है। इसका मकसद बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण में सुधार लाना है। 2018 में, एफएसएसएआई ने देशभर में खाद्य तेल का फोर्टिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया था। 2017 में दूध का फोर्टिफिकेशन शुरू किया गया था। इसके तहत, भारतीय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) ने कंपनियों को दूध में विटामिन डी मिलाने को कहा। एनडीडीबी के अनुमान के मुताबिक, 20 राज्यों के 25 दुग्ध संघों ने प्रतिदिन विटामिन डी मिला 55 लाख लीटर दूध की आपूर्ति की है। आश्चर्यजनक रूप से, गुजरात की डेयरी सहकारी संस्था अमूल ने फोर्टिफिकेशन से मना कर दिया। अमूल के प्रबंध निदेशक आरएस सोढ़ी कहते हैं, हम विटामिन की कमी को दूर करने के लिए प्राकृतिक फोर्टिफिकेशन के पक्ष में हैं। मौजूदा फोर्टिफिकेशन सिंथेटिक या कृत्रिम तरीके पर आधारित है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होगा।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

चावल का फोर्टिफिकेशन एक महंगी प्रक्रिया

चावल के फोर्टिफिकेशन की तैयारी टूटे हुए चावल को इकट्ठा करने से शुरू होती है, जिसका कोई बाजार मूल्य नहीं होता है। इसका उपयोग चावल का आटा बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों का पूर्व मिश्रण मिलाया जाता है। इस मिश्रण से बने आटे को एक मशीन से गुजारा जाता है (जिसकी लागत लगभग 2 लाख रुपए होती है)। यह मशीन आटे को चावल की आकार के दाने में काटता है। फिर इन दानों को चावल के साथ मिलाया जाता है। फोर्टिफाइंग गेहूं के आटे को मिलाने के लिए भी एक ब्लेंडर की आवश्यकता होती है, जिसकी लागत लगभग 1.5 लाख रुपए है। फोर्टिफाइड चावल और गेहूं के पोषण को बरकरार रखने के लिए विशेष पैकेजिंग की आवश्यकता होती है। फोर्टिफाइंग दूध, तेल या नमक बनाना आसान होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ खाद्य पदार्थ में प्री-मिक्स (सूक्ष्म पोषक तत्व) को मिलाने की जरूरत भर होती है।

नायकों पर राजनीति

विकास के बड़े-बड़े दावे करके सत्ता में आने के बाद पार्टियां अपनी विचारधारा को मजबूत करने में जुट जाती हैं। अपनी विचारधारा को मजबूत करने के लिए वे अपनी विचारधारा के नायकों को राजनीतिक मोहरा बनाने लगती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कई बार राज्यों में टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। यही नहीं एक सरकार के जाने के बाद दूसरी सरकार योजनाओं का नाम बदलने की कवायद करती है। इस प्रक्रिया में विकास कहीं न कहीं पिछड़ जाता है।

राजनीतिक महानायकों की स्मृतियों का प्रभावी होना इस बात पर निर्भर करता है कि उनके विचारों को आगे बढ़ाने वाली राजनीतिक धारा की शक्ति कितनी प्रभावी है। साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि उक्त राजनीतिक धारा को उस नायक की स्मृति एवं विरासत की उस वक्त कितनी जरूरत है। अक्सर यह देखने को भी मिलता है कि कोई राजनीतिक नायक अपने जीवनकाल में जितना महत्वपूर्ण नहीं होता, वह बाद में कई गुना प्रभावी हो जाता है। बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के मामले में ऐसा ही हुआ है। अपने जीवन काल में वह एक यथार्थ बने रहे और उसके उपरांत एक मिथक में तब्दील हो गए जो उनके यथार्थ वाले प्रभाव को बढ़ाता गया।

जीवनपर्यंत किए कार्यों के कारण ही कालांतर में वह दलित मुक्ति के प्रतीक में परिवर्तित होते गए। ऐसा इसलिए भी हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में उनके जीवनकाल में ही लामबंद समर्थकों एवं अनुयायियों का एक वर्ग तो तैयार हो ही गया था। उनके निधन के पश्चात भी दलित समर्थक राजनीतिक दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई उनके विचारों को आगे बढ़ाती रही। हालांकि इस दौरान आरपीआई का आधार खिसकता गया। इसकी भरपाई आजादी के बाद उभरे दलितों के शिक्षित वर्ग से हुई जो लोग शिक्षा प्राप्ति एवं अपने अधिकारों के लिए आंबेडकर के प्रतीक से अपने संघर्ष की प्रेरणा पाने लगे।

इस प्रकार आंबेडकर के प्रतीक को नई ऊर्जा, नई शक्ति एवं नया जीवन मिला। उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश में कांशीराम के नेतृत्व में उभरे बहुजन दलित आंदोलन, जिसने आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा का रूप अख्तियार किया, ने आंबेडकर के प्रतीक को और शक्तिशाली बनाया। कांशीराम और मायावती के नेतृत्व में पिछली सदी के नौवें दशक में उभरे बहुजन दलित आंदोलन के तहत दलितों की राजनीतिक गोलबंदी की गति तेज हुई। फलतः उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश में आंबेडकर का प्रतीक और ताकतवर बनकर उभरा।

इस व्यापक उभार में इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि उत्तर भारत खासतौर से उत्तर प्रदेश में बहुजन सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन ने भी इसे धार देने का काम किया। इस जुगलबंदी से आंबेडकर दलितों के निर्विवाद महानायक के रूप में स्थापित होते गए। इससे यही आशय है कि राजनीतिक नायकों के नायकत्व का विकास उनकी विचारधारा के प्रतिनिधियों की राजनीतिक शक्ति एवं संबंधित विमर्श में उन्हें दी जाने वाली जगह पर निर्भर करता है।

डॉ. राममनोहर लोहिया, पंडित नेहरू के बाद दूसरे राजनीतिक नायक थे। उनका नायकत्व तो उभरा, किंतु भारतीय समाज में पिछड़े वर्ग के समूहों के राजनीतिक सशक्तीकरण, भागीदारी और विकास के लिए किए गए अनेक कार्यों के बावजूद वह आंबेडकर जैसा मुकाम हासिल नहीं कर पाए। इसका मूल कारण यह है कि समाजवादी आंदोलन से उभरे सामाजिक समूहों एवं राजनीतिक दलों ने अपने विमर्श को इस प्रकार आकार नहीं दिया जिसमें लोहिया का नायकत्व विकसित हो पाए। यह ठीक है समाजवादी सरकारों ने तमाम संस्थाओं-स्थानों को लोहिया का नाम दिया,

भाजपा ने मालवीय और पटेल को अपनाया

चूंकि भाजपा के पास अपने ज्यादा प्रतीक नहीं थे, लिहाजा उसने अपने हिसाब से आजादी की लड़ाई के कुछ कांग्रेसी नायकों को अपनाया। हालांकि इसमें भी उसने यह खयाल जरूर रखा कि ये प्रतीक उसकी वैचारिकी के खांचे में भी फिट हो सकें। मिसाल के तौर पर मालवीय को ही लें। वह कांग्रेस में हिंदू पक्षधर राजनीति के समर्थक थे। इसी तरह सरदार पटेल और नेहरू के प्रतीकों में कई ऐसे अंतर्विरोध थे जिन्हें आगे लाकर भाजपा ने अपना राजनीतिक विमर्श गढ़ा। कांग्रेस अपने ही प्रतीकों के भाजपा के पाले में जाने से रोकने के लिए कोई प्रतिरोधी विमर्श खड़ा करने में नाकाम रही। परिणामस्वरूप कांग्रेस अपनी प्रतीक शक्ति के कई तत्वों को गंवाती गई। इस तरह सत्ता के साथ-साथ ये प्रतीक भी उसके हाथ से फिसलते रहे।

परंतु उन्होंने इस प्रतीक को और शक्तिशाली बनाने के पर्याप्त प्रयास नहीं किए। कहने का अर्थ है कि समाजवादी विचारधारा से उभरे दलों ने सत्ता और ताकत हासिल करने के बावजूद अपने विमर्श को इस प्रकार नियोजित नहीं किया जिससे समाजवादी विचारधारा का महिमामंडन होने के साथ ही लोहिया का नायकत्व भी उभर सके।

अगर तुलना करें तो आंबेडकर ने दलितों के लिए जो किया, बिल्कुल वही काम लोहिया ने पिछड़ों को सशक्त बनाने के लिए किया। कुछ ऐसा ही जयप्रकाश नारायण के साथ हुआ। जेपी आंदोलन से निकलकर तमाम नेता राजनीति के आकाश पर तो खूब चमके, लेकिन उन्होंने जेपी को वैचारिक स्मृति का प्रेरक तत्व बनाकर अपना कोई विशिष्ट राजनीतिक विमर्श विकसित नहीं किया। वर्ष 2014 के बाद भाजपा के शक्तिशाली होने के बाद डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जैसे राजनीतिक प्रतीकों का महत्व बढ़ा है। इसके पूर्व इन प्रतीकों के बारे में शायद लोग ज्यादा नहीं जानते थे। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि भाजपा ने अपने राजनीतिक विमर्श के मूल तत्वों में इनके विचारों को शामिल किया। इसी तरह मदनमोहन मालवीय की गिनती आजादी के पहले दिग्गज कांग्रेस नेताओं में हुआ करती थी, किंतु वर्ष 2014 में भाजपा के सत्ता में आने एवं नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मालवीय और सरदार वल्लभभाई पटेल का नायकत्व ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ऐसा इसलिए भी हुआ, क्योंकि भाजपा ने कांग्रेस के ही उन प्रतीकों को अपनाया जिनकी कांग्रेस की पहली पांत के प्रतीकों के आगे अमूमन अनदेखी की गई। भाजपा ने पटेल और मालवीय जैसे कांग्रेसी प्रतीकों को कांग्रेस के शीर्ष प्रतीकों के समानांतर खड़ा करने का प्रयास कर राजनीतिक प्रतीकवाद के मोर्चे पर अपनी शक्ति का दायरा बढ़ा लिया।

हम यह उदाहरण देते थकते नहीं कि श्रीराम ने समाज में समता और समरसता स्थापित की, किसी से भेदभाव नहीं किया, शबरी के जूठे बेर खाये, जटायु राज से प्रेम किया, हनुमान को गले लगाया। लेकिन, श्रीराम के उपासक यह भूल जाते हैं कि आज अगर हिंदुओं को सबसे बड़ा खतरा और श्रीराम के नाम का सबसे बड़ा उल्लंघन यदि

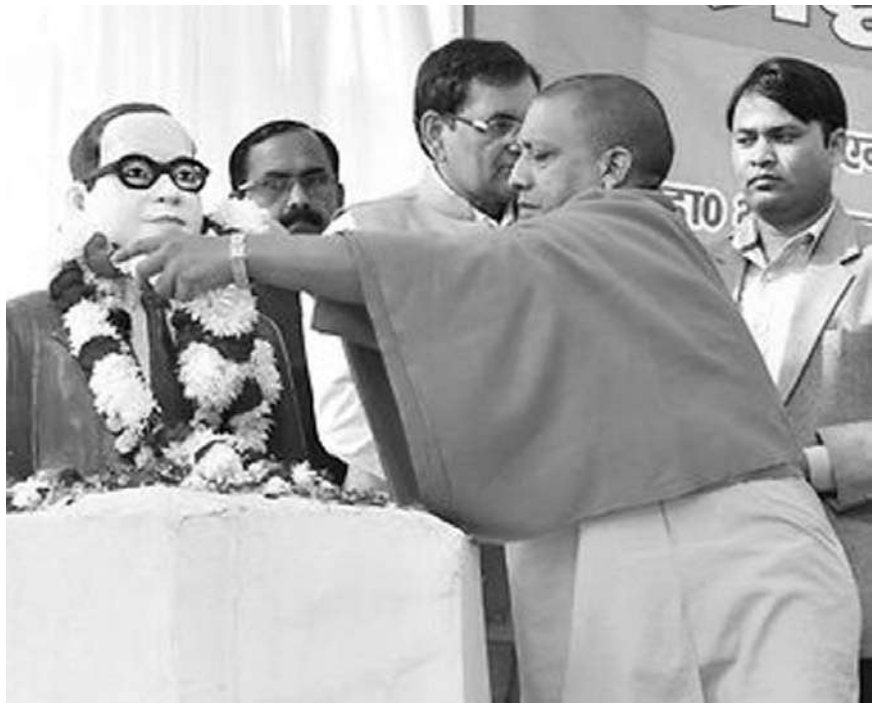

किसी रूप में हो रहा है, तो वह है हिंदू समाज के ही अभिन्न अंग-जिन्हें दलित और अनुसूचित जाति का भी कहते हैं- के साथ भयानक अमानुषिक अन्याय और उन पर अत्याचार। एक समय था, जब गुरु तेग बहादुर साहब ने कश्मीरी हिंदुओं के उत्पीड़न पर मुगल सल्तनत को चुनौती दी थी, पर आज दुखी दलित, पीड़ित समाज सरकारी विभागों और नेताओं के बेरहम घड़ियाली आंसुओं के भरोसे तड़पता रहता है, लेकिन उनके अथाह दुख का कोई अंत नहीं दिखता।

विरासत की सियासत के नाम पर देश में राजनीति हमेशा फलती-फूलती रही है। हर पार्टी के पास महापुरुषों की अपनी तथाकथित विरासत है। नेहरू और गांधी कांग्रेस का संबल बनकर उभरे तो दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के नायक बने। राम मनोहर लोहिया को समाजवादी पार्टी ने अपना सियासी संबल बनाया, तो संविधान निर्माण में अहम योगदान देने वाले बाबा साहेब अंबेडकर को बीएसपी ने दलितों के मसीहा के रूप में दिखाया। सत्ता परिवर्तन के साथ विचारों का परिवर्तन अकाट्य सत्य है। लेकिन एक सत्य ये भी है कि सत्ता परिवर्तन के साथ उन तमाम महापुरुषों और उनसे जुड़ी यादों की मिटाने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं, जो सत्ताधारी दल को सूट नहीं करतीं। पार्टियां अपनी सुविधानुसार तय करती हैं कि, उनके दौर में कौन-सा नेता या कौन-सा महापुरुष सर्वमान्य होना चाहिए।

कांग्रेस पर आरोप लगता रहा है, कि उसने नेहरू परिवार और गांधी को छोड़कर किसी और विचारधारा को पनपने नहीं दिया तो वहीं बीजेपी पर दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कद बढ़ाने और नेहरू परिवार की यादों को मिटाने का आरोप लगता रहा है। कमोवेश यही हालत उन छोटी-छोटी पार्टियों की भी है जो अपने-अपने राज्यों में सत्ता में आती-जाती रहती हैं। राजनीति में आज इस कदर परिवर्तन हो गया है कि, रंग, धर्म और जाति तक का बंटवारा हो गया है। आखिर लेनिन, अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गांधी की मूर्ति तोड़ने से क्या हासिल होगा। क्या एक मूर्ति तोड़ देने से उन विचारों का खात्मा हो जाएगा, जो लोगों के दिलों में मूर्त रूप ले चुकी हैं। मूर्तियों को तोड़ना दरअसल, मानसिक खोखलेपन की निशानी है, इसके अलावा कुछ नहीं।

● **दिल्ली से रेणु आगाल**

भाजपा ने प्रतीकों को जोड़कर बड़ी शक्ति अर्जित की

इस तरह यह स्पष्ट है कि राजनीतिक नायकों की प्रतीकात्मक शक्ति का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उनके वैचारिक प्रतिनिधि भविष्य में उन्हें किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। उनके विचारों से प्रभावित राजनीतिक पक्ष अपने विमर्श में उन्हें कैसे, कहां और किस तरह स्थान देते हैं। भाजपा ने हाल में तमाम ऐसे प्रतीकों को अपने खेमे से जोड़कर बड़ी शक्ति अर्जित कर ली है। इस प्रकार वह आंबेडकर, मालवीय, सरदार पटेल और विवेकानंद को अपने पक्ष में भुना सकती है। यही नहीं, लोहिया को कांग्रेस विरोध से जोड़कर वह उन्हें भी अपने पाले में लाने के प्रयास करती रही है। अगर इन नायकों की विरासत पर दावा करने वाले दलों के पास ऐसे प्रभावी विमर्श की सही काट नहीं है तो देर-सबेर उन्हें ये प्रतीक भी गंवाने ही पड़ेंगे।

वर्ष 2019 बदलाव और बवाल के लिए चर्चा का विषय बना रहा। इस दौरान केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक ने अपने यहां कई तरह के बदलाव किए। इन बदलावों के कारण खूब बवाल भी मचे। खासकर केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलावों के कारण देशभर में बवाल के कई मामले सामने आए। जहां कुछ बदलावों को देश की जनता ने सहर्ष स्वीकार किया, वहीं कुछ बदलाव आंदोलन का कारण बने। इससे आने वाला समय देश के लिए चुनौती भरा होने की संभावना है।

बदलाव और बवाल भरा साल!

2019 में कई कानून बने और कई कानून खत्म किए गए। जैसे नागरिकता संशोधन बिल अब नागरिकता संशोधन कानून बन चुका है, वहीं धारा 370 को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। इन्हें लेकर विरोध भी खूब हुआ। आखिरकार 2019 भी खत्म हो गया। 2020 ने दस्तक दे दिया है। लेकिन 2019 वो साल रहा है, जिसे भुलाए नहीं भूला जा सकेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस साल कई अहम बिल संसद के पटल पर रखे गए। नागरिकता संशोधन कानून बन चुका है, वहीं धारा 370 को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर को विशेषाधिकार मिला हुआ था। इतना ही नहीं, जम्मू-कश्मीर के दो टुकड़े करके उन्हें केंद्र शासित प्रदेश में भी बदल दिया। मोदी सरकार के इन फैसलों से जहां एक ओर बहुत से लोग खुश हुए, तो वहीं दूसरी ओर नाराजगी जाहिर करने वालों की भी कमी नहीं थी। चलिए एक नजर डालते हैं 2019 में लाए गए विधेयकों पर, जिनके संसद में पहुंचते ही सड़कों पर या सोशल मीडिया पर विरोध के स्वर बुलंद होने लगे थे।

हाल ही में नागरिकता संशोधन बिल 2019 संसद में पारित किया गया था। पहले इसे लोकसभा में मंजूरी मिली और फिर राज्यसभा में ये बिल बहुमत से मंजूर कर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति ने बिल पर मुहर लगा दी और अब ये कानून की शक्ल ले चुका है। इस कानून के तहत अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान का कोई हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी अल्संख्यक शख्स, जिसे धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया गया हो तो वह भारत की नागरिकता आसानी से ले सकेगा। इन दिनों इसी कानून का पूरे देश में जगह-जगह विरोध हो रहा है। असम से लेकर बंगाल तक तो विरोध हो ही रहा था, अब जामिया यूनिवर्सिटी, लखनऊ का नदवा कॉलेज और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी इसका विरोध होने लगा है।

कांग्रेस भी इसके खिलाफ है और तर्क दे रही है कि इस बिल में बाकी धर्मों के साथ-साथ मुस्लिमों को भी शामिल किया जाना चाहिए था, भेदभाव नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर, भाजपा का तर्क है कि जिन देशों के अल्पसंख्यकों को देश की नागरिकता दी जा रही है वह इस्लामिक देश हैं, ऐसे में वहां के लोगों का धार्मिक आधार पर उत्पीड़न नहीं हो सकता, इसलिए मुस्लिमों को बिल में शामिल नहीं किया गया है।

5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने धारा 370 को खत्म करने का बिल पारित करवा लिया और इसी के साथ जम्मू-कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया। बता दें कि इसी धारा के तहत जम्मू-कश्मीर को

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक

लोकसभा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक 2019 पारित तो हो चुका है, लेकिन जब इस पर चर्चा हो रही थी तो अमित शाह और असदुद्दीन ओवैसी के बीच तीखी बहस हुई। तर्क-वितर्क के बीच ओवैसी ने शाह से ये भी कह दिया था कि उंगली मत दिखाइए, मैं डरूंगा नहीं। ओवैसी कहते रहे कि ये बिल कारगर नहीं होगा, क्योंकि बाकी के देश इसकी इजाजत नहीं देंगे। आपको बता दें कि एनआईए संशोधन बिल के तहत एनआईए की जांच का दायरा बढ़ाया गया था। इसके तहत अब एनआईए विदेशों तक जाकर जांच कर सकेगी और यहां तक कि विदेश में किसी भारतीय के खिलाफ हुई घटना की भी जांच कर सकेगी। साथ ही एनआईए मानव तस्करी और साइबर अपराध से जुड़े विषयों पर भी जांच कर सकेगी। वहीं कांग्रेस के मनीष तिवारी ने भी इस बिल का विरोध करते हुए कहा था कि मोदी सरकार कानूनों में संशोधन कर के भारत को पुलिस स्टेट में बदलना चाहती है। वह बोले कि एनआईए का राजनीतिक बदले के लिए दुरुपयोग किया जाता है।

विशेषाधिकार मिले हुए थे, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर का संविधान तक अलग था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे खत्म कर के अब जम्मू-कश्मीर को भी भारत के संविधान के दायरे में ला दिया है। सड़कों पर विरोध ना हो इसके लिए पहले ही मोदी सरकार ने पूरे जम्मू-कश्मीर को छावनी में तब्दील कर दिया था। चप्पे-चप्पे पर कड़ी सुरक्षा थी। जहां जरूरत पड़ी वहां तो कर्फ्यू तक लगा दिया गया। अभी भी भारी मात्रा में सेना की तैनाती जम्मू-कश्मीर में है।

मोदी सरकार के इस कदम का विरोध जम्मू-कश्मीर में ये कहकर हो रहा है कि उनके अधिकार छीने गए हैं और संविधान का उल्लंघन हुआ है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां ये कहकर विरोध कर रही हैं कि बंदूक की नोक पर मोदी सरकार ने धारा 370 को हटाया है। उनका कहना है कि इसके लिए पहले जनता को भरोसे में लेना चाहिए था। बता दें कि किसी तरह की अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं समेत बहुत सारे अलगाववादियों को भी नजरबंद किया हुआ था।

मोदी सरकार ने न सिर्फ जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाया, बल्कि जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का बिल भी पारित कर दिया। इसके तहत जम्मू-कश्मीर के दो हिस्से किए गए। एक बना लेह-लद्दाख और दूसरा जम्मू-कश्मीर। दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और जम्मू-कश्मीर से राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया। बता दें कि मोदी सरकार के इस एक्शन का सिर्फ कश्मीर से ही अधिक विरोध हो रहा है। जम्मू के लोग तो मोदी सरकार के फैसले से खुश हैं ही, लेह-लद्दाख के लोग भी काफी खुश हैं, जो पहले से ही इसकी मांग कर रहे थे।

जब मोदी सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया, तो पूरे देश में जगह-जगह प्रदर्शन हुए। नए नियमों में भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया। ऐसा करने की वजह सिर्फ ये थी कि लोगों में नियमों का उल्लंघन ना करने को लेकर एक डर पैदा हो, जिससे सड़क हादसों में कमी आए। किसी का 23 हजार का चालान कटा, तो किसी के ट्रक का 2 लाख तक का चालान काट दिया गया। देखते ही देखते विरोध और गुस्से की आग और अधिक बढ़ गई। विपक्षी पार्टियों की सरकारों वाले राज्यों ने तो नए कानून को अपने राज्यों में लागू भी करने से मना कर दिया। धीरे-धीरे तमाम बदलावों के साथ राज्यों ने इसे लागू किया। यहां तक कि भाजपा शासित राज्यों ने भी मोदी सरकार के नए कानून के नियमों में कई बदलाव करके उसे लागू किया। महाराष्ट्र और हरियाणा में तो भाजपा को इसका फायदा भी मिला।

एक बिल और है, जो तीन तलाक के नाम से काफी चर्चित है। इस बिल में मुस्लिम महिलाओं की शादी और तलाक से जुड़े अधिकारों को ही लिस्ट किया गया है। मुस्लिम महिलाएं सबसे अधिक परेशान थीं तीन तलाक से। आपको बता दें कि मुस्लिम धर्म में पति अपनी पत्नी अगर सिर्फ तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कह भर देता था तो उसका तलाक हो जाता था। मुस्लिम महिलाएं भी इसके खिलाफ थीं, लेकिन बहुत से पुरुषों ने महिलाओं को ताकत देने वाले इस बिल का विरोध किया। विरोध करने वालों में एआईएमआईएम, जेडीयू और कांग्रेस शामिल थीं। तर्क ये था कि बिल में तीन साल की जेल और पुरुष को पत्नी को भरण-पोषण के लिए मुआवजा देने का प्रावधान है। उन्होंने बोला कि इस बिल का इस्तेमाल मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ हो सकता है। हालांकि, विपक्ष के इन तर्कों को खारिज करते हुए मोदी सरकार ने कहा कि इस बिल से महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। वहीं मुस्लिम समाज का एक अलग ही तर्क था कि सरकार उनके शरिया कानून में दखल दे रही है। उनका कहना था कि सरकार का कानून अपनी जगह है, लेकिन मुस्लिम समाज शरिया कानून के तहत चलता है, जिसे मोदी सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया और तीन तलाक बिल पारित हो गया। केंद्रीय सूचना आयोग को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने वाला बिल भी इसी साल पेश किया गया था। हालांकि, इस बिल पर हल्का विरोध देखने को मिला। एक आरटीआई एप्लीकेशन से ही ये बात सामने आई कि सूचना का अधिकार अधिनियम में बदलाव करने से पहले केंद्रीय सूचना आयोग से बातचीत नहीं की गई थी। जुलाई में सरकार पर ये सवाल भी उठा था कि इस संशोधन से पहले पब्लिक कंसल्टेशन क्यों नहीं दिया गया, तो सरकार ने राज्यसभा में कहा था कि बदलाव सरकार और अधिकारियों के बीच थे, ना कि पब्लिक के बीच। जब ये बात सामने आई कि केंद्रीय सूचना आयोग से भी बात नहीं की गई थी तो भी सरकार पर सवालिया निशान लगे।

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक

मोदी सरकार ने 2019 में ही गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक भी पारित किया, जिसके तहत किसी एक शख्स को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। अपने तर्कों में अमित शाह ने संसद में कहा था कि आतंकवाद कोई व्यक्ति करता है, ना कि संगठन। अगर सिर्फ संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर दें तो उसके सदस्य फिर से कोई नया संगठन खड़ा कर देते हैं। ऐसे में व्यक्ति को आतंकी घोषित करना जरूरी है। अगर पूछताछ का इंतजार करेंगे तो दाउद इब्राहिम और हाफिज सईद जैसों से तो कभी पूछताछ हो ही नहीं सकेगी, तो फिर उन्हें आतंकी कैसे घोषित करेंगे? कांग्रेस इस बिल का विरोध ये कहते हुए कह रही थी कि बिल में ये साफ नहीं है कि किस स्थिति में किसी को आतंकवादी घोषित किया जाएगा, इसके नियम स्पष्ट नहीं हैं। खैर, तमाम विरोध के बीच ये बिल भी भाजपा पारित करवाने में सफल हो गई थी।

2019 में ही एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन को लेकर भी खूब बवाल हुआ। जुलाई में जब असम एनआरसी की फाइनल लिस्ट सामने आई तो उसमें 19 लाख लोग लिस्ट से बाहर थे। इनमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी। बहुत सारी खामियां भी सामने आईं। विपक्ष तो इसे लेकर मोदी सरकार पर हमलावर था ही, मोदी सरकार भी कुछ खास संतुष्ट नहीं दिखी। यही वजह थी कि मोदी सरकार ने एनआरसी को पूरे देश में लागू करने से पहले से नागरिकता कानून में संशोधन का मन बनाया और उसमें सफलता भी पा ली।

● इन्द्र कुमार

विकास की जीत

नगरीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरताज बनकर उभरी है। वोटरों ने विधानसभा चुनाव की तर्ज पर कांग्रेस के पक्ष में जमकर मतदान की। प्रदेश के 151 निकायों के दो हजार 840 पार्षद पद के चुनाव में कांग्रेस ने एक हजार 283 वार्डों में जीत दर्ज की है। वहीं, भाजपा को एक हजार 131 वार्डों में जीत मिली है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश में 36 पार्षद जकांछ और 364 पार्षद निर्दलीय जीतकर पहुंचे हैं। प्रदेश के 10 निगम में कांग्रेस ने बड़ी छलांग लगाई है और सात में अपना महापौर पक्का कर लिया है। राजनांदगांव, धमतरी और कोरबा में पेंच फंसा है। यहां निर्दलीय पार्षद निर्णायक भूमिका में रहेंगे। प्रदेश की सत्ता से बाहर होने के बाद हुए पहले नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है।

नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस को मिली जीत को पार्टी विकास की जीत मान रही है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम कहते हैं कि शहरी क्षेत्र में अक्सर भाजपा को बढ़त मिलती रही है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है। कांग्रेस ने सरकार के एक साल की उपलब्धियों और कामों की ब्रांडिंग करके चुनाव लड़ा। जनता ने जिस तरह से कांग्रेस पर भरोसा जताया है, उससे साफ है कि वह सरकार के काम से संतुष्ट है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने 17 दिसंबर को एक साल पूरा किया। सरकार ने पहले ही साल में आक्रामक पारी खेली और खूब चौके-छक्के भी लगाए। सरकार बनने के चंद घंटे के भीतर किसानों का कर्जा माफ करने और किसानों का धान 2,500 रुपए क्विंटल में खरीदने का ऐलान किया गया और उस पर अमल भी हुआ। सरकार ने सभी को 35 किलो चावल देने का वादा पूरा किया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तवज्जो दी। पहली बार मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल की राजनैतिक अहमियत में भी इजाफा हुआ। वे राज्य की राजनीति से उभरकर राष्ट्रीय परिदृश्य में आ गए। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव और अलग-अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर उन्हें भेजकर उनका कद बढ़ाया। प्रधानमंत्री के खिलाफ आक्रामक बयानों के चलते भी वे सुर्खियों में रहे।

कांग्रेस की राज्य की सत्ता में 15 साल बाद वापसी हुई, तो मुख्यमंत्री बघेल ने पिछली सरकार के कामकाज और फैसलों की परतें खोलने के साथ तब के ताकतवर अफसरों पर कार्रवाई कर आक्रामकता का परिचय दिया, लेकिन कोर्ट में सरकार की मजबूती नहीं दिखी। यही वजह रही कि झीरम घाटी कांड की दोबारा जांच लटक गई। नान घोटाला और डीके सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल में गड़बड़ी के जिम्मेदारों पर शिकंजा कस नहीं पाए। पिछली सरकार के कामकाज की जांच और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के परिजनों को निशाने पर लेने को भाजपा ने बदलापुर की राजनीति करार दिया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक साल में छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति को स्थापित करने के प्रयास के साथ गांधीजी और भगवान राम को उभारने के लिए भी कदम बढ़ाए। गांधीजी की 150वीं जयंती पर पदयात्रा और राम वन गमन पथ पर काम की शुरुआत इसके उदाहरण हैं। बघेल ने अन्य पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन 14 से बढ़ाकर 27 कर दिया और एससी वर्ग का आरक्षण भी एक फीसदी बढ़ाया। राज्य में आरक्षण 85 फीसदी को पार कर जाने से मामला कोर्ट में अटक गया, लेकिन बघेल पिछड़े वर्ग के हितैषी बनकर उभरे। बिजली बिल आधा करने का वादा भी निभाया। छत्तीसगढ़ पत्रकारों की सुरक्षा के साथ उनके हित में कई कदम उठाने वाला राज्य भी बन गया है। राज्य में सरकारी नौकरियों के द्वार खुले हैं, लेकिन वादे के मुताबिक सरकार को अभी और काम करने होंगे।

बघेल सरकार ने वादे के मुताबिक उद्योग न लगने पर किसानों की जमीन लौटाकर नई पहल की। नक्सल प्रभावित इलाकों में आदिवासियों के स्वास्थ्य बेहतर करने की रणनीति और कुपोषण के खिलाफ अभियान सरकार की नई सोच को दर्शाता है। इसके सकारात्मक नतीजे भी दिखाई पड़े हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त भाजपा विधायक की हत्या को छोड़ दें तो, राज्य में एक साल के भीतर कोई बड़ा नक्सली हमला नहीं हुआ और कांग्रेस को नक्सली क्षेत्र के दो विधानसभा उपचुनाव में सफलता भी मिली। धान 2,500 रुपए क्विंटल में खरीदने से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और राज्य में मंदी का असर दिखाई नहीं पड़ा। हालांकि समर्थन मूल्य से अधिक दाम के मुद्दे ने बघेल सरकार के चेहरे पर पसीना ला दिया है। केंद्र सरकार के अधिक मात्रा में चावल खरीदने से हाथ झटकने से मामला गड़बड़ा गया है। सरकार अपने फंड से किसानों को 2,500 रुपए देने का वादा कर रही है, पर किसान कब तक सब्र करते हैं, यह बड़ा सवाल है। चुनाव के समय किए शराबबंदी समेत और कुछ वादों पर भी अमल बाकी है। एक साल में बघेल की राजनैतिक चतुराई भी दिखाई पड़ी, लेकिन प्रशासनिक अनुभव की कमी भी दिखी। खासतौर पर जिले और शीर्ष स्तर पर कुछ अधिकारियों की पोस्टिंग से विपक्ष को उन पर हमले का मौका मिल गया।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

अपने दम पर महापौर नहीं बना पाएगी भाजपा

एक भी नगर निगम में भाजपा अपने दम पर महापौर बनाने की स्थिति में नहीं है। रायपुर और बिलासपुर नगर निगम में भाजपा के बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। यहां कांग्रेस की बहुमत नहीं होने के बाद भी भाजपा अपना महापौर सिर्फ एक पार्षद कम होने के कारण नहीं बना सकती है। राजनांदगांव में कांग्रेस को चार और भाजपा को पांच निर्दलीय के समर्थन की जरूरत है। कोरबा में कांग्रेस को दस और भाजपा को आठ पार्षद और धमतरी में कांग्रेस को दो और भाजपा को तीन पार्षद की जरूरत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पाटन में कांग्रेस को एकतरफा जीत मिली है। नगर पंचायत में कांग्रेस को 15 में 12, भाजपा को दो और एक सीट पर निर्दलीय जीते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के गृह जिले कवर्धा में भी कांग्रेस को जीत मिली है।

बीजेपी में बगावती सुर

ढाई साल पहले प्रचंड बहुमत के साथ यूपी की गद्दी पर काबिज हुई बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। गत दिनों यूपी विधानसभा में हुए ड्रामे और सदन में ऐतिहासिक धरने के बाद साफ हो गया है कि खुद बीजेपी के घर में सबकुछ ठीक नहीं है। ऊपर से दिखती चमक-दमक के पीछे बहुत कुछ स्याह है। अधिकारियों की बेअंदाजी, आलाकमान की बेपरवाही और मुख्यमंत्री का अड़ियल रवैया यूपी में बीजेपी विधायकों को इस कदर अखरने लगा है कि वे अनुशासन के लिए जानी जाने वाली पार्टी की रीति-नीति शायद भूल गए हैं।

17 दिसंबर को गाजियाबाद जिले की लोनी सीट से विधायक नंदकिशोर गुर्जर सुर्खियों में थे तो 18 दिसंबर को इलाहाबाद के बीजेपी विधायक हर्ष वाजपेयी का गुस्सा सार्वजनिक रूप से फूट पड़ा। विधायक वाजपेयी ने विधानसभा के बाहर कहा कि अधिकारियों की पिछली सरकारों से चली आ रही विधायक निधि में 18 फीसदी की कमीशन खोरी की आदत अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, उन्होंने सफल कुम्भ का आयोजन भी कराया पर अफसर खुद को नेता और जनता से ऊपर मानते हैं। हर्ष ने सवाल उठाया कि ढाई साल से ज्यादा का समय हो गया है लेकिन अभी तक अफसरशाही पर कोई कंट्रोल क्यों नहीं हो पाया।

विधायक वाजपेयी ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार हैं और करीब 8 हजार करोड़ रुपए कुम्भ में खर्च हुए लेकिन मुख्यमंत्री पर 1 रुपए के घोटाले का दाग नहीं है। उन्होंने कहा, 'अफसरशाही का यह दर्द केवल इसी सरकार का नहीं, हर सरकार का है। अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने की आदत पड़ गई है, उन्हें लगता है कि सरकारें आती-जाती रहती हैं, पर उनकी नौकरी पक्की है, इस नाते वे भ्रष्टाचार करते हैं, कल सभी दलों के विधायक हमारे साथ थे, सब हमारे समर्थन में बैठे थे।' उन्होंने कहा, 'हमने मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखी है, इस पार्टी में लोकतंत्र है कि हम धरने पर बैठे।'

17 दिसंबर को सदन में हुए ड्रामे के बाद विधायकों का गुस्सा शांत करने बैठे मुख्यमंत्री और संगठन के नेताओं को इसका अहसास हो गया है। इसी दिन मुख्यमंत्री ने पीड़ित विधायकों को मिलने के लिए बुलाया और साथ में अधिकारियों से अलग से बात की। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद विधायकों के तेवर जरूर ढीले पड़े पर उन्होंने साफ कहा कि चंद आला अधिकारी जिसमें डीजीपी, मुख्यमंत्री सचिवालय के बड़े अधिकारी और गृह विभाग शामिल है, उनकी एक नहीं सुनते और मनमानी करते हैं।

अचानक शुरू हुई इस बगावत पर बीजेपी में मंथन शुरू हो गया है। विधायक धरना कांड पर पार्टी अलर्ट है, विधायकों से मुख्यमंत्री योगी और संगठन मंत्री सुनील बंसल मिल रहे हैं। बैठक के लिए 40-40 के ग्रुप में विधायक बुलाए गए और रात 9 बजे तक ये बैठकें चली हैं। विधायकों के धरने को पार्टी ने गंभीरता से लिया है और अब आलाकमान के निर्देश पर मीटिंग हो रही हैं।

बगावत की शुरुआत करने वाले विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि अधिकारी खुलकर कमीशन ले रहे हैं और उन्होंने कमीशन खोरी को जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। 18 दिसंबर को भी विधायक का दर्द विधानसभा में फूटा और उन्होंने कहा कि आधिकारियों में से एक या दो प्रतिशत ही ईमानदारी दिखा रहे हैं। विधायक ने कहा कि अधिकारी नहीं सुनते, सभी अधिकारियों की पत्नी के एनजीओ की जांच करवा लें तो सारा सच सामने आ जाएगा। विधायक गुर्जर ने कहा, 'मेरी संपत्ति की जांच करवा लें, जब मैं आवाज उठाता हूं तो मेरे ऊपर मुकदमे लाद दिए जाते हैं, ऐसे में कैसे मुख्यमंत्री के जीरो प्रतिशत टॉलरेंस का सपना सच होगा, इससे मैं काफी व्यथित हूं।' हालांकि गुर्जर ने 17 दिसंबर की घटना को लेकर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके इलाके में सपा-बसपा में जो अपराधी थे, वे उनकी हत्या करवाना चाहते थे। मुख्यमंत्री से माफी मांगने के सवाल पर गुर्जर ने कहा, 'मुख्यमंत्री सन्त हैं, माफी क्या मैं उनके पैर भी पकड़ सकता हूं।' इस पूरे घटनाक्रम पर सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने कहा, 'राज्य की कानून-व्यवस्था चौपट है, न्यायालय सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, बीजेपी विधायक खुद सरकार के खिलाफ हैं, रेप के मामलों में ज्यादातर आरोपी बीजेपी के हैं।'

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

'सीएम योगी खुद अपराधी हैं'

उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सीधा मुख्यमंत्री योगी पर हमला बोला है। लल्लू का कहना है कि मुख्यमंत्री खुद अपराधी हैं और वह कुशीनगर में गरीबों की झोपड़ी जलाने, एक मुस्लिम महिला को प्रताड़ित करने व 307 जैसे गंभीर अपराधों में लंबित रहे हैं, इन मामलों को खुद मुख्यमंत्री द्वारा वापस लिया जा रहा है और यह अपने आप में एक इतिहास है।' लल्लू ने कहा कि जब इनसे इनके अपने विधायक संतुष्ट नहीं हैं तो आम जनता का क्या होगा। इनसे प्रदेश नहीं संभल रहा इनको गोरखपुर वापस चले जाना चाहिए।

सरकार में तीन फाड़!

महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी के मुद्दे पर चले सियासी घमासान के बाद कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने वाली शिवसेना का यह फैसला राजनीतिक विश्लेषकों के साथ ही आम लोगों को काफी अख़रा था। कारण साफ था कि शिवसेना और कांग्रेस की विचारधारा कहीं से भी मेल नहीं खाती। दूसरी ओर, कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए एकदम विपरीत विचारधारा वाली शिवसेना के साथ सरकार बनाने का फैसला करना उसके लिए कतई आसान नहीं था। इसलिए, कांग्रेस ने शिवसेना के साथ जाने से उसे क्या सियासी नफा-नुकसान हो सकता है, इस पर काफी समय तक विचार भी किया।

मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरूपम सहित कई नेताओं ने पार्टी आलाकमान से कहा कि वह शिवसेना के साथ गठबंधन न करें। शिवसेना की ओर से भरोसा दिलाया गया कि गठबंधन सरकार में हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर कोई टकराव नहीं होगा। बात आगे बढ़ी और हिचकोले खाती हुई नाव को आखिरकार किनारा मिला और यह तय हुआ कि महाराष्ट्र में तीनों दल मिलकर सरकार बनाएंगे। लेकिन 30 नवंबर को सदन में विश्वास मत हासिल करने वाली इस सरकार को अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे कि विचारधारा का टकराव खुलकर सामने आ गया और यह टकराव हुआ हिंदू महासभा के नेता वीडी सावरकर को लेकर। वहीं सावरकर जिन्हें लेकर अक्सर कांग्रेस और हिंदुत्व विचारधारा के समर्थकों में भिड़ंत होती रहती है। शिवसेना और कांग्रेस के बीच एक नहीं कई मुद्दे ऐसे हैं, जिन्हें लेकर जोरदार टकराव है। इन मुद्दों को लेकर बारी-बारी से बात करते हैं।

महाराष्ट्र और विशेषकर मुंबई की राजनीति में बड़ा मुद्दा रहा है 'बाहरियों' का नौकरी के लिए राज्य में आना। इन 'बाहरियों' में विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर भारत के अन्य राज्यों से नौकरी के लिए मुंबई जाने वाले लोग शामिल हैं। मुंबई में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें 'बाहरियों' के साथ शिवसैनिकों ने मारपीट की है। शिवसेना का मानना है कि ये 'बाहरी' लोग महाराष्ट्र के लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में ऐसी घटनाएं कम हुई हैं लेकिन कांग्रेस के लिए शिवसेना के साथ सरकार बनाने को लेकर यूपी-बिहार में जवाब देना मुश्किल होगा क्योंकि उसे इन दोनों राज्यों में राजनीति करनी है, जबकि शिवसेना का इन राज्यों में कोई आधार नहीं है। ऐसे में आने वाले समय में इस मुद्दे पर टकराव नहीं होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नागरिकता संशोधन कानून के मसले पर भी शिवसेना और कांग्रेस का वैचारिक टकराव स्पष्ट दिखाई दिया था। क्योंकि कांग्रेस इस कानून का जोरदार विरोध कर रही है जबकि शिवसेना ने लोकसभा में इसका समर्थन किया और राज्यसभा में वोटिंग के दौरान वॉक आउट कर दिया।

सावरकर को लेकर यह विवाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले तब शुरू हुआ था जब बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की बात कही थी। उस समय कांग्रेस ने इसका जोरदार विरोध किया था लेकिन शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। सावरकर को लेकर शिवसेना के विचार बीजेपी से मिलते हैं, इसलिए उसने इसका समर्थन किया था। तब इसे लेकर देशभर में खासा विवाद भी हुआ था। विधानसभा चुनाव के बाद सियासी समीकरण बदले और महाराष्ट्र में कांग्रेस-शिवसेना-एनसीपी की सरकार बनी। लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान के बाद यह विवाद फिर जिंदा हो गया है।

राहुल गांधी के यह बयान कि उनका नाम राहुल सावरकर नहीं राहुल गांधी है और वह माफी नहीं मांगेंगे, इस पर शिवसेना ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि उनकी पार्टी गांधी, नेहरू का सम्मान करती है लेकिन कांग्रेस भी सावरकर का अपमान न करे। बीजेपी, संघ और शिवसेना जहां सावरकर को वीर, देशभक्त और क्रांतिकारी बताते हैं, वहीं कांग्रेस का कहना है कि सावरकर ने अंग्रेजों से रिहाई की भीख मांगी थी और जेल से आजादी के बदले अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार की थी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे तो यहां तक कह चुके हैं कि सावरकर पर भरोसा न करने वालों को जनता के बीच में पीटा जाना चाहिए? ठाकरे ने कहा था कि ऐसे लोगों को इसलिए पीटा जाना चाहिए क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर के संघर्ष और इसकी अहमियत का अंदाजा ही नहीं है।

● **बिन्दु माथुर**

सेक्युलर बनाम हिंदुत्व की लड़ाई

शिवसेना स्पष्ट रूप से कट्टर छवि वाली हिंदूवादी पार्टी है और कांग्रेस की छवि सेक्युलर है। भारतीय राजनीति में इन दोनों विचारधाराओं का टकराव देश की आज़ादी के बाद से ही चल रहा है और कहा जा सकता है कि आगे भी जारी रहेगा। ऐसे में सावरकर के अलावा मुसलमानों को लेकर शिवसेना का रुख क्या बदल जाएगा? यह भी अहम बात है। हालांकि शिवसेना कहती है कि वह मुसलमानों की विरोधी नहीं है लेकिन शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे को इस तरह से प्रचारित किया जाता है कि वह उग्र हिंदुत्व के समर्थक थे और मुसलमानों के विरोधी थे। शिवसेना पर यह आरोप लगता रहा है कि वह मुसलमानों से उनकी देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगती रही है, ऐसे में इसे लेकर इन दोनों दलों के बीच कैसे बात बनेगी, यह एक बड़ा सवाल है। इससे पहले भी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर, तीन तलाक कानून को लेकर और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर कांग्रेस और शिवसेना का स्टैंड पूरी तरह अलग रहा है।

मजबूत हुई किलेबंदी

राजस्थान में कांग्रेस सरकार का एक साल कभी भीतर, तो कभी बाहर विरोध और विवादों की धूप-छांव में गुजर गया, लेकिन साल पूरा होते-होते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सियासी मौसम को अपने लिए मुफीद बना लिया। सियासी फलक पर यह एक ऐसे नेता का अवतरण भी है जो केंद्र की भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार आक्रामक होकर उभरा है। उधर, भाजपा ने गहलोत सरकार के एक साल के कार्यकाल पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कांग्रेस सरकार के प्रदर्शन को बेहद निराशाजनक मानते हैं, तो विश्लेषक कहते हैं कानून-व्यवस्था की कुछ घटनाओं से सरकार की छवि बिगड़ी है। पहला साल पूरा होने पर गहलोत ने कहा, 'हमने घोषणा-पत्र सामने रख कर चुनाव लड़ा था। सत्ता में आते ही हमने घोषणा-पत्र को सरकारी दस्तावेज बना दिया, ताकि वादे पूरे किए जा सकें। कांग्रेस सरकार ने 503 वादों में से 119 पूरे कर दिए हैं। बाकी पर काम चल रहा है।' लेकिन पूनिया इस दावे पर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं, 'इनका एक साल आपसी लड़ाई में ही निकल गया। मुख्यमंत्री गहलोत और उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट की आपसी खींचतान सबके सामने है। यही वजह है कि पायलट सरकारी जश्न में गैर-हाजिर रहे।' पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट कर कांग्रेस सरकार पर हमले किए और कहा राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है।

एक साल पहले जब गहलोत मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुए, तो पार्टी के अंदर और बाहर बहुत अनिश्चितता थी। पायलट ने उनकी ताजपोशी को कड़ी चुनौती दी थी। बेशक, पार्टी के भीतर चली इस लड़ाई में गहलोत कामयाब होकर उभरे, मगर यह भी साफ हो गया कि उनकी राह आसान नहीं है। संगठन पर उनके प्रतिस्पर्धी पायलट का कब्जा है और पार्टी के पास विधानसभा में बहुमत लायक कामचलाऊ सीटें हैं। कांग्रेस को राज्य में 200 सीटों में से 99 पर जीत हासिल हुई थी। एक सीट पर कांग्रेस के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के सुभाष गर्ग विजयी हुए थे। मगर इसके तुरंत बाद अलवर जिले के रामगढ़ में उपचुनाव हुआ तो सफिया खान की जीत से कांग्रेस को राहत मिल गई। यह उस समय हुआ जब कहा जा रहा था कि कांग्रेस की अल्पमत सरकार कभी भी सत्ता से बाहर हो सकती है। भाजपा की उस पर नजर है। विपक्ष के नेता इस तरह के बयान देते रहे कि कांग्रेस सरकार कभी भी गिर सकती है। पर गहलोत ने धीरे-धीरे करीब दस निर्दलीय विधायकों को भी अपने पक्ष में खड़ा कर लिया।

तीन माह पहले बहुजन समाज पार्टी के छह विधायकों ने अपनी पार्टी को अलविदा कहकर कांग्रेस का दामन थाम लिया, तो गहलोत सरकार को और मजबूती मिल गई। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पर काफी नाराजगी व्यक्ति की। भाजपा ने भी गहलोत पर सौदेबाजी का आरोप लगाया और राजनैतिक शुचिता का सवाल खड़ा किया। कांग्रेस के भीतर भी एक धड़ा इस पर खुश नहीं था। मगर इन सबको दरकिनार कर गहलोत ने अपनी सरकार की मजबूत किलेबंदी कर ली। समझा जाता है, जल्द ही इन विधायकों को पाला बदलने का इनाम मिलेगा। दो माह पहले दो विधानसभा सीटों खींवसर (नागौर) और झुंझुनू जिले की मंडावा सीट पर उपचुनाव हुए तो मंडावा सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। पहले दोनों सीटें भाजपा के पास थीं।

एक साल के दौरान कांग्रेस सरकार का ज्यादा वक्त चुनावों से ही निपटने में लग गया। विधानसभा के बाद लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था। मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत को गृहक्षेत्र जोधपुर में करारी हार का सामना करना पड़ा। तब पार्टी के भीतर गहलोत की आलोचना भी हुई। इसके बाद नगरीय चुनावों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन कर नुकसान की भरपाई की। राज्य के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल कहते हैं, 49 शहरी निकायों में से 36 पर कांग्रेस के प्रमुख चुने गए हैं। यह कांग्रेस सरकार के बेहतर कामकाज पर मुहर है। इन सबके बीच महिलाओं के खिलाफ अपराध की कुछ घटनाओं से सरकार की छवि पर बुरा असर पड़ा। अलवर जिले के थानागाजी में एक दलित महिला के साथ ज्यादती की घटना ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

संतुलित कार्यकाल

कांग्रेस के एक साल के कार्यकल को संतुलित ही कहा जाना चाहिए। ऐसा कुछ नकारात्मक नहीं हुआ जिसे शिद्दत से रेखांकित किया जा सके। कोई बड़ा विरोध भी नहीं दिखा। हमें यह भी समझना होगा कि सरकार को लगातार चुनावी जंग से जूझना पड़ा है। कामकाज का वक्त कम मिला है। अभी नकारात्मक टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। हालांकि विपक्ष में बैठी भाजपा ने सरकार के एक साल के कार्यकाल पर चार्जशीट जारी की है। उसका आरोप है कि कांग्रेस किसानों की कर्जमाफी का वादा कर सत्ता में आई थी, पर इसने किसानों के साथ धोखा किया है। जवाब में मुख्यमंत्री गहलोत कहते हैं, 'हमने सहकारी बैंकों के कर्ज माफ कर दिए। राष्ट्रीयकृत बैंक केंद्र सरकार के अधीन हैं। केंद्र को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।' गहलोत कहते हैं कि जब केंद्र की मोदी सरकार उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर सकती है तो उसे किसानों की कर्जमाफी से गुरेज आखिर क्यों है? कुछ विश्लेषक कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने कुछ माह पहले ही काम शुरू किया है। गहलोत अपनी योजनाओं में अवाम को केंद्र में रखते हैं। इसलिए मुफ्त दवा जैसी योजनाओं पर जोर है। भाजपा सरकार ने पहले की कांग्रेस सरकार की निःशुल्क दवा योजना का रूप बदलकर उसे 'भामाशाह' योजना नाम से चलाया था। अब कांग्रेस सरकार ने उसे बदल दिया है।

आर्सेनिक का जहर

बिहार के 18 जिलों के भूगर्भ जल में आर्सेनिक का जहर फैला हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक बिहार के करीब 1 करोड़ लोग आर्सेनिक युक्त पानी पी रहे हैं। कई इलाकों में तो पानी में आर्सेनिक की मात्रा 1000 पीपीबी से ज्यादा है, जो सामान्य से 20 गुना अधिक है। दिलचस्प बात ये है कि कई क्षेत्रों में अब तक भूगर्भ पानी की जांच नहीं हुई है। सारण जिले के नवरसिया के भूजल में सामान्य से ज्यादा आर्सेनिक के बारे में तब पता चला जब कई मौतें हुईं।

बिहार में भूजल में आर्सेनिक की मौजूदगी का सबूत सबसे पहले वर्ष 2002 में अक्टूबर में भोजपुर जिले की सिमरिया ओझापट्टी में मिला था। इसके बाद बिहार के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने गंगा नदी के आसपास 10 किलोमीटर क्षेत्रफल के भूगर्भ जल की जांच कराई। जांच में सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार के 50 ब्लॉक में सामान्य से ज्यादा आर्सेनिक मिला। जानकारों का कहना है कि महज 80 हजार जलस्त्रोतों की जांच में ये परिणाम आया था। इसका मतलब है कि जिन स्त्रोतों की जांच नहीं हुई, वहां भी आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा हो सकती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह सभी जलस्त्रोतों की जांच कराए।

गौरतलब हो कि बेगूसराय के ज्ञानटोली गांव के पानी की जांच पहले नहीं हुई थी, इसलिए सरकार को इस गांव की जानकारी भी नहीं थी। पिछले साल एएन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ सैलफोर्ड और महावीर कैंसर संस्थान ने इस गांव के के पानी की जांच की, तो वहां आर्सेनिक की मात्रा 500 माइक्रोग्राम प्रति किलो मिली थी, जो सामान्य से काफी ज्यादा थी। महावीर कैंसर संस्थान की तरफ से जांच में शामिल डॉक्टर अशोक घोष ने उस वक्त कहा था कि इस गांव के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। इस गांव में कैंसर के कई मरीज भी मिले। आर्सेनिक को लेकर काम करने वाले महावीर कैंसर संस्थान के चिकित्सक डॉ. अरुण कुमार कहते हैं, 'अभी भी बिहार के बहुत सारे हिस्सों में आर्सेनिक का प्रभाव है, लेकिन उनकी शिनाख्त नहीं हुई है। लेकिन, अफसोस की बात है कि आर्सेनिक की गंभीर स्थिति के बावजूद इस बड़ी आबादी तक सरकार साफ पानी मुहैया नहीं करा रही है। सिर्फ भोजपुर में एक प्लांट है, जिसमें गंगा का पानी साफ कर आर्सेनिक प्रभावित 48 गांवों की तीन लाख आबादी तक साफ पानी की आपूर्ति की जा रही है।

केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय की मानें तो आर्सेनिक का कहर कानपुर से शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर से बनारस और फिर बिहार में पटना, भोजपुर, आरा, मुंगेर के बाद पश्चिमी बंगाल के कई जिलों में यह अपना कहर बरपाता है। मंत्रालय के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार में आर्सेनिक की भयावहता पश्चिम बंगाल की तुलना में काफी कम है। पश्चिम बंगाल में करीब 70 लाख लोग आर्सेनिक जनित बीमारियों की चपेट में हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि अगर समय रहते उत्तर प्रदेश में आर्सेनिक की रोकथाम के प्रभावी उपाय नहीं किए गए तो उत्तर प्रदेश की अधिकांश आबादी असमय ही बूढ़ी होकर तमाम जानलेवा बीमारियों का शिकार होगी।

कोलकाता के वैज्ञानिकों ने वर्ष 2003 से 2006 के बीच पूर्वांचल में एक दर्जन गांवों के पानी की जांच की थी। जांच के नमूनों में आर्सेनिक की मात्रा तीन सौ माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक पाई गई थी। इस टीम ने गांव वालों के स्वास्थ्य की जांच की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच टीम ने अधिकांश ग्रामीणों की मांसपेशियों में आवश्यकता से अधिक सूजन पाई। उंगुलियों में टेढ़ापन, हाथ-पैर में थक्के बनना, फफोले व दाग पड़ने संबंधी तमाम बीमारियों से ग्रामीण त्रस्त पाए गए। आर्सेनिक के जहर वाला पानी पीकर कई लोग असमय ही मौत का शिकार भी हो चुके हैं, लेकिन जागरूकता न होने के कारण लोग असमय होने वाली इन मौतों का असली कारण समझ नहीं पाते हैं। आर्सेनिक के जहर से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने भी राज्य को अपना सहयोग देने की बात तो कही है, लेकिन इसमें भी राजनीति आड़े आने से खामियाजा आम जनमानस भुगत रही है। आर्सेनिक की बहुलता वाले जिलों में ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात कही गई, इस पर अमल होना बाकी है। वहीं आर्सेनिक का जहर चावल में भी पहुंच चुका है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विकास परिषद (सीएसआईआर) के एक शोध में जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के हिस्सों के जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने से वहां पैदा होने वाले धान (चावल) में भी आर्सेनिक पहुंच रहा है।

● **विनोद बक्सरी**

पहली बार बिहार में लगेगा सेरामिक फिल्टर

बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व एनजीओ वाटरएड की ओर से प्रायोगिक तौर पर बिहार के दो स्थानों पर सेरामिक फिल्टर लगाने की योजना बनाई गई है। ये फिल्डर कोलकाता के सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से मंगवाए जाएंगे। सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिट्टी की मदद से ये फिल्टर बनाया है। पश्चिम बंगाल के आर्सेनिक प्रभावित इलाकों में 100 सेरामिक फिल्टर लगाए गए हैं, जहां से किफायती कीमत पर आमलोगों को साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। इस फिल्टर की तकनीक के बारे में सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉ. स्वच्छ मजुमदार कहते हैं, 'इसमें मिट्टी से बने फिल्टर में बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इस तकनीक में किया ये जाता है कि पानी में एक केमिकल डाला जाता है, जो आर्सेनिक के बेहद छोटे पार्टिकल को बड़ा कर देता है। ये पार्टिकल फिल्टर के छिद्र व वाटर मॉलिकुल से काफी बड़े हो जाते हैं जिस कारण फिल्टर के छिद्रों से निकल नहीं पाते हैं। इस तरह पानी तो छिद्रों से होकर निकल जाता है, लेकिन आर्सेनिक के पार्टिकल चेंबर में जमा हो जाते हैं।' डॉ. अरुण कुमार ने बताया कि दोनों प्लांट से 250-250 घरों को साफ पानी मुहैया कराया जाएगा।

मुशर्रफ को सजा

सेना और अदालत आमने-सामने

पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की मौत की सजा के बाद सेना और अदालत आमने-सामने हैं। सेना ने अदालत के फैसले पर सवाल उठाए हैं। अगर यह विवाद गहराया तो पाकिस्तान में एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। सेना के भारी विरोध के बीच पाकिस्तान इमरान सरकार बैकफुट पर आ गई है। इमरान सरकार की सूचना मंत्री डॉ. फिरदौस अवान ने मीडिया के समक्ष कहा कि सरकार मुशर्रफ की मौत की सजा की खुद विस्तार से समीक्षा करेगी। हालांकि, प्रधानमंत्री इमरान ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। उधर, इमरान सरकार के मंत्री मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि सेना के इस कदम से टकराव बढ़ेगा। व्यवस्था के दो अंगों में श्रेष्ठता की प्रवृत्ति खतरनाक है। इससे संवैधानिक संकट उत्पन्न होगा। दरअसल, यह विवाद सेना के एक पत्र से उत्पन्न हुआ है, जो इस समय वायरल हो रहा है। पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की मौत की सजा के बाद पाकिस्तान सेना में इस फैसले के खिलाफ नाराजगी है। सोशल मीडिया पर इन दिनों यह बहस तेज हो गई है। उधर, सेना ने मुशर्रफ की वीरता की तारीफ की है।

लंबे समय से देशद्रोह के मुकदमे का सामना कर रहे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाकर विशेष अदालत ने यह संदेश दिया है कि पाकिस्तान में न्याय अभी जिंदा है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। अदालत का यह फैसला बता रहा है कि तमाम दबावों और संकटों के बावजूद पाकिस्तान की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करती है। फांसी की सजा तो दूर, मुशर्रफ को सजा मिलेगी भी या नहीं, इसे लेकर ही पाकिस्तान में संशय बना हुआ था। मुशर्रफ सिर्फ देश के राष्ट्रपति ही नहीं रहे, वे पाकिस्तान के सैन्य शासक, देश के सेना प्रमुख, करगिल युद्ध के नायक जैसे रूपों में मील के पत्थर गाड़ते रहे। इसलिए मुशर्रफ को मौत की सजा की खबर चौंकाने वाली है।

पाकिस्तान के इतिहास में वे पहले ऐसे सैन्य शासक और राष्ट्रपति हैं, जिसे मौत की सुनाई गई हो। जिस मुल्क में राजनीति से लेकर हर जगह सेना का दबदबा रहता हो और बिना सेना की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता हो, वहां एक पूर्व सैन्य शासक और राष्ट्रपति को फांसी की सजा दिया जाना स्पष्ट रूप से इस बात का संदेश है कि सेना भी न्यायपालिका से ऊपर नहीं है। यह उन पूर्व और मौजूदा सैन्य अधिकारियों और राजनीतिकों के लिए भी कड़ा संदेश है कि जो अपने को कानून से ऊपर मान कर चलते हैं। मुशर्रफ चाहे सेना में रहे हों या राजनीति में, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वे हमेशा ही चतुराई से भरी चालें चलते रहे। 1998 में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सत्ता का तख्तापलट कर देश का सैन्य बनना इस दिशा में पहला कदम था। इसके बाद उन्होंने अपने को पाकिस्तान का सीईओ घोषित कर डाला था। जैसे-जैसे मुशर्रफ की ताकत बढ़ती गई, वे देश के निर्वाचित राष्ट्रपति तक हो गए। 2001 से 2008 तक के राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल में उन्होंने न्यायपालिका, कानून, संविधान को कुछ नहीं समझा।

हद तो तब हो गई जब 3 नवंबर 2007 में अपनी शक्तियों के अहंकार में उन्होंने देश के संविधान को निलंबित कर देश में आपातकाल लगा दिया था और पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश सहित 60 से ज्यादा जजों को नजरबंद कर दिया था। यह पाकिस्तान की न्यायपालिका पर सबसे बड़ा संकट था। तब शायद ही उन्हें इस बात का अंदाजा रहा होगा कि सत्ता के दंभ में जो फैसला उन्होंने किया है, वहीं किसी दिन उनकी मौत का फरमान भी बन सकता है। आज मुशर्रफ को इसी किए की सजा मिली है। मुशर्रफ के खिलाफ पाकिस्तान की अदालतों में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या, पद के दुरुपयोग जैसे मामले भी चल रहे हैं। वे लंबे समय से दुबई में रह रहे हैं और इन दिनों गंभीर रूप से बीमार हैं। जब 2013 में नवाज शरीफ फिर से सत्ता में लौटे तो 2014 में मुशर्रफ के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा शुरू हुआ। मुशर्रफ खुद इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके थे कि वे अब बच नहीं पाएंगे, इसीलिए उन्होंने लंबे समय तक कानूनी-दांवपेचों का सहारा लिया और विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। हालांकि विशेष अदालत का यह फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के बावजूद आया है जिसमें विशेष अदालत को फैसला देने से रोक दिया गया था, जबकि उसने 19 नवंबर को यह फैसला सुरक्षित रख लिया था और 28 नवंबर को फैसला सुनाया जाना था। आज मुशर्रफ और नवाज शरीफ दोनों ही एक जैसी हालत में हैं, बीमार और सजायाफ्ता। मुशर्रफ को सजा और वह भी फांसी की सजा, देश के सैन्य प्रतिष्ठान को कहीं न कहीं विचलित तो जरूर कर रही होगी।

मुशर्रफ की सजा के साथ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा सुर्खियों में हैं। खोसा के हाल में लिए गए उनके फैसलों को सेना के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। चीफ जस्टिस खोसा की वजह से इसे पाकिस्तानी न्याय व्यवस्था की ओर से सेना को चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान के इतिहास में इसे न्यायिक सक्रियता के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान के 72 साल के इतिहास में पहली बार एक पूर्व तानाशाह को देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। खोसा ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के कार्यकाल पर सवाल खड़ा करते हुए इसे तीन साल से घटाकर छह महीने कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सेवा विस्तार का नोटिफिकेशन राष्ट्रपति जारी करता है, तो सरकार ने बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला कैसे कर लिया? इस फैसले से पाकिस्तानी सेना खासी नाराज थी। रिटायर्ड जनरल अमजद शोएब ने इसे पूरी फौज की बेइज्जती करार दिया था।

● **बिन्दु माथुर**

बोरिस की चुनौतियां

ब्रिटेन के आम चुनाव में सत्ताधारी कंजरवेटिव पार्टी को जोरदार बहुमत मिला है और तीन सौ चौंसठ सीटें जीत कर बोरिस जॉनसन ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। कश्मीर को लेकर भारत को परेशान करने वाली लेबर पार्टी को इस बार संसदीय चुनाव में भारी झटका लगा है और उसे पिछले चुनाव से उनसठ सीटें कम मिलीं। ब्रेग्जिट को लेकर बोरिस जॉनसन के स्पष्ट रवैये ने उन्हें अच्छी जीत दिलाई, जबकि लेबर पार्टी का नजरिया इस मुद्दे पर ढुलमुल शुरू से ही ढुलमुल रहा है। यही कारण रहा कि लेबर पार्टी अपनी कई पारंपरिक सीटें भी गवां बैठी। हालांकि शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर उनकी नीति स्पष्ट थी। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें इस कारण कुछ बढ़त मिलती दिखी, लेकिन ब्रिटेन में सक्रिय मजबूत दक्षिणपंथी लॉबी उनकी सफलता में बाधा बन गई। लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन पर आरोप लगे कि वे यहूदी विरोधी हैं, उनकी पार्टी में यहूदियों के खिलाफ ब्यानबाजी होती रही और उन्होंने चुप्पी साध ली। लेबर पार्टी की कश्मीर नीति को लेकर भारतीय मूल के मतदाताओं में भी कुछ नाराजगी थी।

कंजरवेटिव पार्टी की भारी जीत का बड़ा कारण ब्रेग्जिट मुद्दे पर पार्टी का स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है। इसलिए अब उम्मीद की जा रही है कि इस जोरदार जीत के बाद ब्रिटेन अब आराम से यूरोपीय संघ से बाहर हो जाएगा। दरअसल, ब्रिटेन यूरोपीय संघ छोड़ेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था तो प्रभावित होगी ही, यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था भी सिकुड़ेगी। इस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था में यूरोपीय संघ की भागीदारी बाईस फीसद है। इससे अगर ब्रिटेन इससे बाहर हो गया तो विश्व अर्थव्यवस्था में यूरोपीय संघ की भागीदारी घट कर अठारह प्रतिशत रह जाएगी।

यही नहीं, यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था में जनसंख्या के लिहाज से भी गिरावट आएगी। यूरोपीय संघ की कुल जनसंख्या में से ब्रिटेन की आबादी बाहर हो जाने से यूरोपीय संघ की कुल आबादी में तेरह प्रतिशत की गिरावट आएगी। इस समय यूरोपीय संघ की जनसंख्या पचास करोड़ है, जिसमें ब्रिटेन की जनसंख्या की भागीदारी साढ़े छह करोड़ है। दरअसल, ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद सबसे ज्यादा लाभ जर्मनी और फ्रांस को होगा।

यूरोपीय संघ की जीडीपी में जर्मनी की भागीदारी बीस से बढ़कर पच्चीस प्रतिशत हो जाएगी, जबकि फ्रांस की यूरोपीय संघ की जीडीपी में भागीदारी पंद्रह से बढ़ कर अठारह प्रतिशत हो जाएगी। इस समय ब्रिटेन यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था में लगभग उन्नीस अरब यूरो का योगदान करता है। यूरोपीय संघ के निकलने के बाद ब्रिटेन के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी। नए व्यापारिक सहयोगी तलाशने होंगे। हालांकि अमेरिका ने ब्रिटेन से मजबूत व्यापारिक रिश्ते कायम करने का वादा किया है। ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के लोगों को उम्मीद है कि भारत और ब्रिटेन के बीच भी द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध ब्रेग्जिट के बाद मजबूत होंगे।

हालांकि बोरिस जॉनसन और उनकी कंजरवेटिव पार्टी की जीत से ब्रिटेन में मौजूद अल्पसंख्यक मुसलमानों में भय है। बोरिस अपने मुस्लिम विरोध के लिए माने जाते हैं। उनकी जीत पर ब्रिटेन में मौजूद मुस्लिम संगठनों ने खासी निराशा जताई है। कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने जॉनसन की जीत को ब्रिटेन के अल्पसंख्यकों के लिए काला दिन बताया। जॉनसन की जीत से मुसलमान इस कदर निराश हैं कि खुद कंजरवेटिव पार्टी से जुड़ी पाकिस्तानी मूल की पूर्व ब्रिटिश मंत्री सईदा वारसी ने कहा कि उनकी पार्टी को ब्रिटिश मुसलमानों के जख्मों को भरने की शुरुआत तुरंत करनी चाहिए। दरअसल, पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन में हुए आतंकी हमलों ने वहां के सामाजिक तानेबाने को भारी नुकसान पहुंचाया है। ब्रिटेन में बड़ी संख्या में भारतीय और पाकिस्तान मूल के मुसलमान हैं। ये दशकों पहले ब्रिटेन पहुंचे थे।

आज ब्रिटेन की राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक में इनका योगदान है। लेकिन पिछले कुछ सालो में ब्रिटेन में घटी घटनाओं ने ब्रिटिश मुसलमानों को परेशान किया है। पिछले तीन-चार साल मे इस्लामिक स्टेट (आईएस) जैसे आतंकी संगठनों के हुए हमलों के कारण ब्रिटेन में सामाजिक दुराव बढ़ा है। इन सबकी तरफ बोरिस को ध्यान देना होगा।

● **अक्स ब्यूरो**

भारतीयों का दिखा दम

इस चुनाव में भारतीय मूल के लोगों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ा है। इस बार कंजरवेटिव पार्टी के जीतकर आए भारतीय मूल के सांसदों की संख्या पांच से बढ़ कर सात हो गई है। लेबर पार्टी से भी भारतीय मूल के सात लोग जीते हैं। निश्चित तौर पर ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोगों की वहां की राजनीति में अहमियत बढ़ी है। लेकिन यह कहना गलत होगा कि भारतीय मूल के लोगों ने कंजरवेटिव पार्टी और बोरिस जॉनसन को एकतरफा समर्थन दिया। दरअसल जिन इलाकों में भारतीय लोगों का जमावड़ा था, वहां पर लेबर पार्टी को खास नुकसान नहीं हुआ। ज्यादातर भारतीय मूल के लोग ब्रेडफोर्ड, लिस्टर, लंदन, बर्मिंघम जैसे शहरों में रहते हैं। इन सभी जगहों पर लेबर पार्टी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हां, यह सच्चाई है कि लेबर पार्टी ने कश्मीर को लेकर एक अलग रुख अख्तियार कर रखा था, इससे भारतीय मूल के लोगों में नाराजगी थी। कई चुनावी क्षेत्रों में भारत और पाकिस्तानी मूल के मतदाता कश्मीर को लेकर स्पष्ट रूप से विभाजित थे। पाकिस्तानी मूल के मतदाताओं की राय थी कि कश्मीर में भारत ने अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को हटा कर गलत किया था, जबकि भारतीय मूल के मतदाताओं ने इसे सही कदम करार दिया। ब्रिटेन में मौजूद गुजराती समाज लेबर पार्टी से नाराज था। उन्होंने जरूर अपना समर्थन लेबर पार्टी के बजाय कंजरवेटिव पार्टी को दिया। कंजरवेटिव पार्टी की जीत के बाद भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंध पहले की तरह ही रहने की संभावना है।

फंड है, मंशा नहीं!

अगर सरकारें ठान लें तो महिला अपराधों में कमी आ सकती है। यह साबित कर दिखाया है मप्र सरकार ने। मप्र में विगत 11 महीने की अवधि में दुष्कर्म की घटनाओं में आंकड़ों के हिसाब से बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। एक जनवरी से 20 नवंबर की अवधि के दौरान दुष्कर्म की घटनाएं पिछले साल से करीब 400 कम घटित हुईं। दूसरी तरफ दस साल में सोशल मीडिया पर महिलाओं और बच्चियों को ब्लैकमेल करने की 133 शिकायतें सामने आईं। प्रदेश की यह आपराधिक स्थिति विधानसभा में लिखित प्रश्नों से सामने आई है। जानकारों का कहना है कि ये आंकड़ें और सुधर सकते हैं। अगर सरकार निर्भया फंड का पूरी तरह उपयोग करे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के मद्देनजर हर राज्य को निर्भया फंड दिया जाता है। लेकिन राज्य सरकारों की रूचि फंड के इस्तेमाल में नहीं दिख रही है।

निर्भया हादसे को हुए 16 दिसंबर को 7 साल हो जाएंगे। लेकिन तब से लेकर अब तक न जाने कितने मामले घट चुके। तेलंगाना में सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला अभी लोग भूले नहीं हैं। उन्नाव में बलात्कार पीड़िता को जलाकर मार दिया गया तो छत्तीसगढ़ में भी उन्नाव की तरह जमानत पर रिहा हुए बलात्कार के आरोपियों ने पीड़िता की चाकू गोदकर हत्या कर दी। यानी अगर आंकड़े निकाले जाएं तो रोजाना पूरे देश में ऐसी घटनाओं की भरमार रहती है। दिसंबर, 2012 में निर्भया मामले के बाद महिला सुरक्षा को लेकर सख्त दिशा-निर्देश दिए गए। निर्भया फंड के जरिए महिला सुरक्षा के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी के विकास, राज्यों में इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरी करने के निर्देश दिए गए। लेकिन क्या सरकारें चौकस हुईं? निर्भया फंड से महिलाएं निर्भय बन सकीं? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की यह रिपोर्ट दर्शाती है कि राज्य सरकारों के पास फंड की नहीं मंशा की कमी है।

निर्भया कांड क्योंकि दिल्ली में ही हुआ था, इसलिए इस फंड की पड़ताल दिल्ली से ही की जानी चाहिए। केंद्र से मिले 39090.12 रुपए में से 1941.57 फंड ही राज्य सरकार खर्च कर पाई। क्यों? दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गत दिनों एक ट्वीट कर सूचना दी, 'दिल्ली के सभी स्कूलों और कॉलेजों में अब लड़कों को लड़कियों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार न करने की शपथ दिलाई जाएगी। लड़कियां अपने भाइयों से शपथ लेंगी। हर क्लास में एक घंटे महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ और उसके समाधान पर खुलकर चर्चा होगी।' लेकिन क्या अगर निर्भया फंड के इस्तेमाल के जरिए राज्य की लड़कियों को महिला सुरक्षा से जुड़े प्रशिक्षण देना जरूरी नहीं था। दिल्ली के कई इलाके बिना स्ट्रीट लाइट रात में भयावह हो जाते हैं क्या वहां लाइट लगवाना जरूरी नहीं थी? क्योंकि तेलंगाना का मामला गरम है इसलिए इस राज्य के फंड की पड़ताल जरूरी है। 10351.88 रुपए में से 419.00 ही खर्च हो पाए। हालांकि यहां तो महिला आयोग का अध्यक्ष पद ही 17 महीनों से नियुक्ति की बांट जोह रहा है। उत्तर प्रदेश की हालत तो इससे भी खराब है। कुल फंड 11939.85 रुपए में से 393.00 रुपए ही खर्च हो पाए। कुल मिलाकर पूरे देश में महिला सुरक्षा के नाम पर नूरा-कुश्ती ही जारी है। कारण सबको पता हैं लेकिन निवारण के लिए वक्त किसी सरकार के पास नहीं है।

2017-18 में आठ शहरों दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुम्बई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ और अहमदाबाद में महिलाओं के लिए सुरक्षित-शहर परियोजनाओं की खातिर 2919.55 करोड़ रुपए आवंटित किए और इस धन का क्या उपयोग किया गया, उसके अभी आधिकारिक आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष (सीवीसीएफ) के लिए 200 करोड़ रुपए के निर्भया फंड की व्यवस्था की गई, जिसे महिलाओं पर तेजाब हमले, दुष्कर्म पीड़िताओं, तस्करी आदि के मामले में अनुदान के तौर पर देना था, इस पर किए गए खर्च का भी कोई हिसाब नहीं है। कोई नहीं जानता कि आवंटित राशि कैसे खर्च की गई है। संसदीय समिति की रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि निर्भया फंड को महिलाओं की वास्तविक सुरक्षा के बजाय इसके मकसद को लेकर उलझाने में ही फंसा दिया। इस तरह के आवंटन का वह मकसद में असफल हो जाता है, जिसके लिए निर्भया फंड बनाया गया था।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

निर्भया फंड के खर्च की स्थिति

राज्य	फंड सेंक्शन (लाखों में)	उपयोग (लाखों में)
आंध्रप्रदेश	2085.00	814.01
अरुणाचल प्रदेश	768.86	224.03
पं. बंगाल	7570.80	392.73
असम	2072.63	305.06
तमिलनाडु	19068.36	600.00
बिहार	2258.60	702.00
उत्तराखंड	953.27	679.41
छत्तीसगढ़	1687.41	745.31
गोवा	776.59	221.00
गुजरात	7004.31	118.50
हरियाणा	1671.87	606.00
यूपी	11939.85	393.00
हिमाचल प्रदेश	1147.37	291.54
राजस्थान	3373.02	1011.00
जम्मू-कश्मीर	1256.02	324.53
झारखंड	1569.81	405.33
कर्नाटक	19122.09	1362.00
केरल	1971.77	472.00
मप्र	4316.96	639.50
दिल्ली	39090.12	1941.57
महाराष्ट्र	14940.06	0
ओडिसा	2270.53	58
पंजाब	2047.08	300

आखिर गीता में क्या खास है?

हर कोई चाहता है कि वह अपने जीवन में हर तरह की तरक्की को हासिल कर सके। लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने के बावजूद भी व्यक्ति को वे सारी शोहरत हासिल नहीं हो पाती जिसका वह हकदार होता है। ऐसे में अगर इंसान अपने अंदर कुछ खास गुणों को पैदा कर ले तो वह जीवन में आनी वाली हर मुश्किल का सामना कर सकता है। आज हम आपको भगवान कृष्ण द्वारा बताई गई कुछ बातों का जिक्र करने जा रहे हैं। जिन्हें व्यक्ति अपने जीवन में अपनाकर सफलता को पा सकता है। श्रीमद्भगवद्गीता में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं, जो आज के समय में बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को गीता में बताई इन बातों को जरूर अपना लेना चाहिए। कहते हैं कि जीवन में मिलने वाली हर सीख व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखाकर जाती है।

गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम-नियम और धर्म-कर्म के बारे में भी बताया गया है। गीता ही कहती है कि ब्रह्म (ईश्वर) एक ही है। गीता को बार-बार पढ़ेंगे तो आपके समक्ष इसके ज्ञान का रहस्य खुलता जाएगा। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। इसका कोई सा भी अध्याय अन्य अध्याय का रिपिटेशन नहीं है। विषय भले ही एक हो लेकिन प्रत्येक अध्याय में अलग ही तरह का ज्ञान है। गीता में सृष्टि उत्पत्ति, जीव विकास क्रम, हिन्दू संदेशवाहक क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म-कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी-देवता, उपासना, प्रार्थना, यम-नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वंश, कुल, नीति, अर्थ, पूर्वजन्म, प्रारब्ध, जीवन प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्मसिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्रीभाव आदि सभी की जानकारी है। गीता का मुख्य ज्ञान है कैसे स्थितप्रज्ञ पुरुष बनना, ईश्वर को जानना या मोक्ष प्राप्त करना।

श्रीमद्भगवद्गीता योगेश्वर श्रीकृष्ण की वाणी है। इसके प्रत्येक श्लोक में ज्ञानरूपी प्रकाश है जिसके प्रस्फुटित होते ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान-भक्ति-कर्म योग मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चित ही परम पद का अधिकारी बन जाता है। महाभारत के 18 अध्यायों में से 1 भीष्म पर्व का हिस्सा है भगवत गीता। गीता में भी कुल 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों की कुल श्लोक संख्या 700 है। वेदों का सार अर्थात संक्षिप्त रूप है उपनिषद्ध और उपनिषदों का सार है गीता। गीता सभी हिन्दू ग्रंथों का निचोड़ और सारतत्व है इसीलिए यह सर्वमान्य हिन्दू धर्मग्रंथ है। इसे वेद और उपनिषदों का पॉकेट संस्करण भी कह सकते हैं।

गीता को अर्जुन के अलावा संजय ने सुना और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया। गीता में श्रीकृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब यह ज्ञान दिया गया तब तिथि एकादशी थी। संभवत: उस दिन रविवार था। कहते हैं कि उन्होंने यह ज्ञान लगभग 45 मिनट तक दिया था।

कलयुग के प्रारंभ होने के मात्र तीस वर्ष पहले, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन, कुरुक्षेत्र के मैदान में, अर्जुन के नन्दिघोष नामक रथ पर सारथी के स्थान पर बैठ कर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया था। इसी तिथि को प्रतिवर्ष गीता जयंती का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं प्रथम दिन का उपदेश प्रात: 8 से 9 बजे के बीच हुआ था।

लोगों का मानना है कि गीता में लिखे श्लोक किसी के जीवन में कई अहम बदलाव ला सकते हैं। खासतौर पर अगर आप करियर, नौकरी या किसी भी व्यवसाय में मिल रही विफलता को लेकर चिंतित हैं तो आपकी यह चिंता श्रीमद् भगवद गीता दूर कर सकती है। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता में कही बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी। आइए जानते हैं भगवद् गीता में लिखे उन 5 उपदेशों के बारे में जो आपको करियर में जरूर सक्सेस दिलाएंगे...

- जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, उसी का नजरिया सही है।
- जीवन में कोई भी काम करने से पहले खुद का आकलन करना बहुत जरूरी होता है। साथ ही अगर किसी काम को करते समय अनुशासित नहीं रहते हो तो कोई काम ठीक से नहीं होता है।
- जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है।
- कोई भी काम करने से पहले खुद पर विश्वास करो। व्यक्ति अपने विश्वास से निर्मित होता है। जो जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है।
- व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे।

● ओम

दहलीज

मैं आराम से एक कुशन गोदी में रखे हुए, मम्मी जी को मशीन पर काम करते हुए देख रही थी। चश्मे के अंदर से झांकती दो अनुभवी आंखें, बड़े ही मनोयोग से एकदम सीधा टांका लेती हुई मशीन की धड़-धड़ करती हुई आवाज के साथ ही कपड़े को सुंदर आकर देती जा रहीं थी।

अचानक पापाजी कमरे से निकलकर हॉल में आकर मम्मी जी से मुखातिब होते हुए बोले, मैं थोड़ा घूम आता हूं व सब्जी भी ले आऊंगा —तुम साथ चलोगी क्या मेरे?

मम्मी जी पूरे मनोयोग से सिलाई में व्यस्त, बोलीं नहीं जी, आप ही ले आइए, मुझे आज कुशन के लिए नई डिजाइन के कवर सिलने हैं।

मशीन का टांका न इधर न उधर, नई डिजाइन बनाता हुआ एम्ब्रॉइडरी का काम भी अद्‌भुत कला के साथ निखरकर आ रहा था।

मेरी शादी हुए 6 महीने हो चुके थे— मैं हमेशा देखती कि पापाजी का हर वक्त बाहर जाते हुए पूछना और मम्मी जी का मना कर देना, मुझे आश्चर्य से भर देता। घर या समाज से संबंधित, छोटी-मोटी बातें हों, पापाजी पूछकर ही करते थे।

चाय पीते हुए मेरी जिज्ञासा के कुलबुलाते कीड़े को शांत करने के उद्देश्य से मैंने पापाजी से पूछ ही लिया।

पापाजी ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तुम्हारी मां ने इस 'दहलीज' (घर की दहलीज की तरफ इशारा करते हुए) में चावल से भरे कलश को घर में बिखेरते हुए पहला कदम रखा था, उसी दिन से मानो मेरा जीवन खुशियों से भर गया था। तब से लेकर आज तक तेरी मां ने अपनी जिंदगी हवन कर दी इस दहलीज के अंदर रहने वालों की खुशियों के लिए।

मैं तो ऑफिस, यार-दोस्तों के साथ गाहे-बगाहे मस्ती मार ही लेता हूं। इसीलिए मैंने नियम बना रखा है कि जिस तरह तुम्हारी मां ने हमारे जीवन में खुशियों के रंग बिखेरें हैं वैसे ही मैं भी उसको वह सब दे सकूं जिसकी वह हकदार है।

एक गहरी सांस लेते हुए पापाजी ने आगे कहा, और मेरा व्यवहार कभी भी स्वच्छंद न हो जाए, इस हेतु तुम्हारी मां से सलाह-मशविरा करके ही मैं हर काम करता हूं।

तब तक मैंने देखा कि मम्मी जी की सुंदर डिजाइन वाला कुशन-कवर मेरे हाथों में आ चुका था, कुशन पर चढ़ाने के लिए। आज मैं भी उस दहलीज का एक हिस्सा थी।

— कुसुम पारीक

कथनी

चरण स्पर्श सर, मैं आपका शुरू से ही प्रशंसक रहा हूं। जब से होश संभाला है और साहित्य में रूचि जागृत हुई है, आपकी कहानियां और उपन्यास पढ़ता आया हूं। शायद ही ऐसी कोई आपकी रचना होगी जो मैंने नहीं पढ़ी होगी। आपने अपनी रचनाओं में गरीबों, शोषितों, पीड़ितों के हक में ही लिखा है। मुझे हमेशा आपकी नई रचनाओं का इंतजार रहता है। मेरे धन्य भाग्य हैं जो आप जैसी हस्ती के दर्शन लाभ हो गए।

अरे भाई हम तो साधारण आदमी हैं। हां, यह बात तुमने ठीक कही कि हम आम आदमी के लिए ही लिखते हैं। मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती है जब मैं किसी के साथ अन्याय होते देखता हूं। गरीबों, शोषितों की आवाज, मैं अपने लेखन के माध्यम से ही तो उठाता आया हूं। तुम बताओ यहां पहुंचने में कोई परेशानी तो नहीं हुई।

नहीं सर ,आपसे पहले ही अपाइंटमेंट ले लिया था इसलिए कोई खास नहीं। बस बाहर गेट पर जरूर थोड़ा इंतजार करना पड़ा। चौकीदार उस व्यक्ति को समझाने में लगा हुआ था जिसे कल आपके यहां से नौकरी से निकाला गया था। वह बता रहा था कि किसी छोटी सी बात पर आपके बेटे ने उसकी पिटाई कर दी थी और नौकरी से निकालने पर उसका एक माह का हिसाब भी नहीं किया था। बाहर वह तो अड़ा ही हुआ था अपना हिसाब करवाने के लिए, लेकिन जैसे तैसे समझा-बुझाकर चौकीदार ने उसको रवाना कर दिया, तब जाकर मुझसे चौकीदार मुखातिब हुआ और मुझे बंगले के अंदर आने दिया।

अरे हां, वह गोविंद बहुत ही मुंहजोर था और लालची भी बहुत था। बार-बार तनख्वाह बढ़ाने की बात करता रहता था और फिर घर पर किसी न किसी की बीमारी का बहाना बनाकर एडवांस भी मांगता रहता था। उसके पूरे घर का ठेका हमने थोड़े ही ले रखा था, तंग आ गए थे हम लोग और इसीलिए निकालना भी पड़ा। छोटे लोग हैं और उनकी मानसिकता भी छोटी ही होती है। चलो छोड़ो, क्या लोगे, चाय या कॉफी!

हृदय चेतना लाएं

नीर झील का हुआ विषैला,
किसको अपनी व्यथा सुनाएं।।
यहां विदेशी सुंदर पक्षी,
आकर सबका मन बहलाएं।
मीठा खारा नीर झील का,
खग वृन्दों को खूब रिझाएं।।
मरें परिन्दें यहां हजारों,
जल ही जीवन को झुठलाएं।
अखबारों में पढ़ीं वेदना,
नयन अश्क सबने छलकाएं।।
राजनीति के गलियारों में,
क्यों सब व्यर्थ विवाद बढ़ाएं।
नीर झील का हुआ विषैला...
गंगा यमुना तक के जल को,
मलिन किया है मानव ने ही।
दूषित जल से कोई कैसे,
प्यास बुझा सकता है देही।।
जीवन का पर्याय यहां पर,
माना जग ने सदा नीर को,
शुद्ध रहे जल स्त्रोत सभी जब,
करें सुरक्षित नदी तीर को।।
जल संरक्षण हो जीवों हित,
सब में हृदय चेतना लाएं।
नीर झील का हुआ विषैला...
ताल-तलैया सूखे सारे,
खूब किया भूजल का दोहन।
चिड़ा रहें नल-कूप गांव में
पनघट खाली हैं हे मोहन।।
छेड़छाड़ भी पनिहारिन से,
कहां करेगा कृष्ण-कन्हैया
वृक्ष उगाकर जल संचय से,
फिर से भरना ताल-तलैया ।।
क्यों आंखों को मूंदें मानव,
आओ कल को आज बचाएं।
नीर झील का हुआ विषैला...

— लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला

नेशनल स्पोर्ट्स हब बनने की ओर अग्रसर मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश में पिछले एक साल में खेलों के लिए विश्व-स्तरीय अधोसंरचना विकास को वांछित गति मिली है। साथ ही, विभिन्न खेलों की पदक तालिका में लगातार पहले और दूसरे स्थान पर अपनी उपस्थिति कायम रखने में भी प्रदेश सफल है। प्रदेश की राज्य खेल अकादमियों के मॉडल को अंडमान-निकोबार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मेघालय, असम, गोवा और उड़ीसा आदि राज्यों ने सराहा है। ये सभी राज्य आंशिक अथवा पूर्ण रूप से मध्यप्रदेश अकादमी के मॉडल को लागू करने का प्रयास भी कर रहे हैं। अब राज्य सरकार ने प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति और खेलों का महत्व स्थापित करने के लिए स्पोर्ट्स कोर्स को कंपलसरी करने की योजना लागू करने का निर्णय लिया है।

प्रदेश के खिलाड़ियों को अब चिकित्सा एवं दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। मध्यप्रदेश अब खिलाड़ियों का बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रथम चरण में विभिन्न खेल अकादमियों के लगभग 822 खिलाड़ियों को बीमा का लाभ दिया जा रहा है। चिकित्सा बीमा से खिलाड़ी देश के चुनिंदा अस्पतालों में से किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें 2 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार सुविधा उपलब्ध कराई गई है। खिलाड़ियों का 5 लाख रुपए का जीवन बीमा भी कराया गया है। साथ ही, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के खिलाड़ियों के अभिभावकों को भी जीवन बीमा में शामिल किया गया है।

बीमा के माध्यम से खिलाड़ियों को पूरे देश में कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध रहेगी। प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी, जो अधिकृत रूप से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभागिता कर रहे हैं, उन्हें भी चिकित्सा एवं दुर्घटना बीमा की कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए संबंधित खेल संघ को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी की प्रमाणित सूची उपलब्ध करानी होगी। परीक्षण के बाद खिलाड़ी का पंजीयन कर उसे यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रदेश में पहली बार ओलंपिक, विश्व कप, एशियाई गेम्स, राष्ट्र-मंडल खेल और दक्षिण एशियाई खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन राशि निश्चित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक हासिल करने पर 2 करोड़, रजत पदक पर एक करोड़ तथा कांस्य पदक हासिल करने पर 50 लाख की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त कोई भी खिलाड़ी, जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभागिता की है और पदक नहीं भी लिया है, तब भी उसे प्रोत्साहन के तौर पर 10 लाख की राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय खेल एवं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक विजेता खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक जीतने पर 5 लाख, रजत पर 3 लाख 20 हजार और कांस्य पदक जीतने पर 2 लाख 40 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। इसी प्रकार, अधिकृत राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी को एक लाख, रजत पदक पर 75 हजार और कांस्य पदक पर 50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को उपकरण क्रय करने एवं किराए पर लेने के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। राज्य शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रशिक्षक, जिनके देख-रेख में खिलाड़ी अपनी पहचान बनाने में सफल होता है, उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय चैंपियनशिप तथा राष्ट्रीय खेल में पदक प्राप्त करने पर खिलाड़ियों को देय राशि का दस प्रतिशत हिस्सा प्रशिक्षकों को दिया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्तरीय प्रदर्शन करने के लिए स्पोर्ट्स साइंस की भूमिका महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जितने खिलाड़ी ओलंपिक, एशियाई गेम्स एवं कॉमन वेल्थ गेम्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सभी को स्पोर्ट्स साइंस की सपोर्ट टीम मदद करती है। प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं परन्तु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्तरीय प्रदर्शन के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रीशियंस, स्पोर्ट्स फिजिओलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, बायो-मैकेनिकल एक्सपर्ट, वीडियो एनालिस्ट, एक्सरसाइज साइंस एक्सपर्ट, फिटनेस ट्रेनर की बहुत जरूरत होती है। इसलिए राज्य सरकार ने इन पदों पर भी भर्ती करने का निर्णय लिया है।

● आशीष नेमा

पीपीपी मोड से खेल अधोसरंचना निर्माण

प्रदेश में अब पीपीपी मोड से खेल अधोसंरचना के निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंदौर में स्पोर्ट्स काम्पलेक्स बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसकी सफलता के बाद भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाएगा। इसी मोड में ब्यावरा, राजगढ़, खिलचीपुर, सारंगपुर, नरसिंहपुर, विदिशा, शिवपुरी, पोहरी, कोलारस, अशोकनगर, पवई में इंडोर हाल निर्माणाधीन है। छिन्दवाड़ा, आगर-मालवा, कालापीपल, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, गुना और दमोह में इंडोर हाल प्रस्तावित है। टीटी नगर स्टेडियम में तीन मंजिला बहुउददेशीय इंडोर हाल का निर्माण कार्य जारी है। टीटी नगर स्टेडियम में रॉक क्लाइंबिंग वॉल का निर्माण प्रस्तावित है।

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को रविवार को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें यह सम्मान दिया। अमिताभ बच्चन ने पुरस्कार लेने के बाद सभी का शुक्रिया अदा किया और यह भी साफ किया कि वह अभी रिटायर नहीं होने जा रहे हैं, अभी उन्हें काम मिल रहा है।

अमिताभ बच्चन को मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

अमिताभ बच्चन ने कहा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार को देने की शुरुआत करीब 50 साल पहले हुई और मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए भी करीब 50 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा, जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई तो मेरे मन में एक संदेह उठा कि क्या कहीं ये संकेत है मेरे लिए कि भाई साहब आपने बहुत काम कर लिया है, अब घर बैठ के आराम कीजिए। क्योंकि अभी भी थोड़ा काम बाकी है, जिसे मुझे पूरा करना है और आगे भी कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं जहां मुझे काम करने का अवसर मिलेगा, यदि इसकी पुष्टि हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। इस दौरान बैठे सभी लोग हंस पड़े और तालियों की गड़गड़ाट से सभागार गूंज उठा। बता दें कि

अस्वस्थ होने के कारण अमिताभ बच्चन सोमवार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे। बताते चलें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया था कि अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के सम्मान से 29 दिसंबर को नवाजा जाएगा। साल 2018 का दादा साहब फाल्के सम्मान फिल्म उद्योग में उल्लेखनीय योगदान के लिए 77 वर्षीय अमिताभ बच्चन को दिया जाना था लेकिन बच्चन अस्वस्थ होने के कारण समारोह में शिरकत नहीं कर सके। 1969 में शुरू हुए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है।

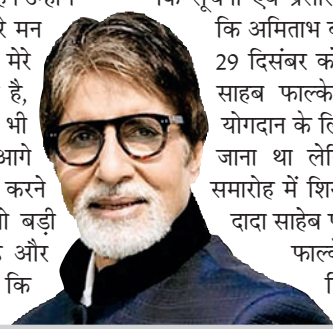

किआरा ने कहा...
फ्लॉप फिल्म के बाद काम नहीं मिलता

कबीर सिंह की सुपर सक्सेज ने किआरा अडवाणी की किस्मत बदल दी। फगली जैसी असफल फिल्म से शुरुआत करने वाली किआरा को यहां तक पहुंचने में कई रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। इन दिनों वह चर्चा में हैं अपनी नई फिल्म गुड न्यूज से। किआरा ने कहा... सच कहूं तो मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूं कि मुझे ऐसे मौके मिल रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ काम करने का अवसर मिल रहा है। बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। जैसे शाहिद से कबीर सिंह में बहुत कुछ सीखने को मिला। अभिनय साझेदारी का काम होता है। आप अकेले नहीं होते सीन में, सह अभिनेता होते हैं, आपका नायक होता है। ऐसे में किसी एक का भी प्रदर्शन ऊपर-नीचे या आगे-पीछे हो जाए, तो पूरे सीन का मजा चला जाता है। सबका एक ही स्तर पर होना बहुत जरूरी हो जाता है। हीरो-हीरोइन दोनों सीन को एक साथ संभालते हैं। शाहिद के साथ तो बहुत मजा आया। गुड न्यूज के सेट पर जब अक्षय और दिलजीत साथ होते थे, तो इतना हंसी- मजाक होता था कि हम हंसते- हंसते आखिर में रो देते थे। बहुत कुछ सीखा अपने साथी कलाकारों से, फिर चाहे कॉमिडी की बात हो या टाइमिंग की, यहां से मैं ये सब आगे ही ले जाऊंगी।

दिल्ली वालों से लगता है डर, पता नहीं कौन सा कानून ले आएंः गुलजार

जानेमाने लेखक, कवि और निर्देशक गुलजार ने नागरिकता संसोधन कानून और प्रस्तावित नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस पर अपना विरोध दर्ज करवाया है। उन्होंने दोनों कानूनों पर तंज भरे अंदाज में कहा कि दिल्लीवालों से डर लगता है, पता नहीं कब कौन सा नया कानून ले आएं। गुलजार ने यह बात मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में कही। उस कार्यक्रम में गुलजार चीफ गेस्ट थे। यह कार्यक्रम नरीमन पॉइंट पर साहित्यिक पुरस्कार देने के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में गुलजार ने कहा, दोस्तों मैं आपको मित्रों कहकर संबोधित करने वाला था, लेकिन फिर मैं रुक गया। इसके बाद उन्होंने सीएए और एनआरसी का नाम लिए बिना कहा कि पिछले दिनों दिल्ली से मेरा दोस्त यशवंत व्यास मुझसे मिलने आया। मैं डर गया था। इन दिनों हर कोई दिल्लीवालों से डरा हुआ है। पता नहीं वे क्या नया लाएं। इसके बाद गुलजार ने कहा कि इन दिनों एक आवाज है जो साफ है, सच बोलती है और वह आवाज लेखक की है।

25 साल बाद फिर 'ओले-ओले' गाना लेकर आएंगे सैफ अली खान

फिल्म इंडस्ट्री के चार्मिंग ऐक्टर सैफ अली खान फिलहाल अपनी आने वाली फिल्म तानाजी: द अनसंग वॉरियर से सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म का ट्रेलर भी थोड़े दिन पहले ही लॉन्च किया गया है, जिसमे सैफ के किरदार और उनके लुक की काफी तारीफ हो रही है। सैफ इस फिल्म में विलन के किरदार में नजर आएंगे। इसी बीच सैफ ने दूसरी फिल्म जवानी जानेमन की रिलीज की तैयारी शुरू कर दी है। जवानी जानेमन का पोस्टर हाल में ही रिलीज किया गया था। फिल्म में सैफ के साथ तब्बू नजर आएंगी और इससे पूजा बेदी की बेटी आलिया फर्नीचरवाला बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। इस फिल्म में नवाब पटौदी सैफ के फैन्स के लिए खुशखबरी है कि इसमें सैफ अपनी फिल्म ये दिल्लगी, का आइकॉनिक गाना ओले ओले, रीक्रिएट करेंगे।

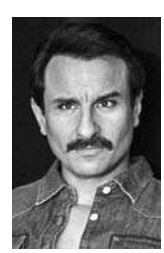

हुजूर! सर्दी के भी कई फायदे हैं

सर्दी का प्रकोप दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है। दिन भी ठंडा है और रात भी ठंडी है। इस ठिठुरन से लोकतंत्र ठिठुर रहा है। नेता ठिठुर रहे हैं, जनता ठिठुर रही है, जानवर ठिठुर रहे हैं। ठिठुरन के मारे रजाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। सुबह उठते ही सीधी दोपहर हो रही है। दोपहर होते ही सीधी रात हो रही है। ठंडी हवाओं से कंपकंपी छूट रही है। काश! ये ठंडी हवाएं मई-जून के महीने में चलती, तो इनके घर का क्या जाता? सबकुछ ठिठुर रहा है। खून का ट्रैफिक जाम हो गया है। माना कि सर्दी का सितम घना है, लेकिन अलाव जलाना कहां मना है। अलाव पर अलाव सुलगा रहे हैं। बिना अलाव के सर्दी जाती भी तो नहीं। वैसे भी सरकारी दफ्तरों में तो बारह मास सर्दी लगी ही रहती है। जब तक अलाव की गर्मी न दे, तब तक काम होता ही नहीं। सभी अलाव के आदी हैं। सारा का सारा माहौल फसादी है। रात को खेत की चौकीदारी करते किसान ठिठुर रहा है। किसान का कुत्ता ठिठुर रहा है। किसान की पत्नी घर में पति के अभाव में ठिठुर रही है। विरह वेदना का पारा चढ़ रहा है। दिन ढल रहा है और देह जल रही है।

सर्दी का सितम कई लोगों की कद्र करवाना सिखा देता है। जिस सूरज से हम गर्मी के महीने में आंखें चुराते हैं, सर्दी में उसी सूरज की तपिश पाने के लिए उतावले रहते हैं। यानी मानव तो मौसम और हालात के हाथ की कठपुतली है। आदमी के वश में कुछ भी तो नहीं है। आदमी पर दो ही चीजों का जोर चलता है एक तो मौसम का और दूसरा पत्नी का। देश की सड़कों पर स्याह शीत रात में कंबल के मोहताज वे लोग ठिठुर है। जिनके दम पर कोई भी लायक व नालायक नेता सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की सीढ़ी चढ़ता है। बच्चे ठिठुर रहे हैं। ठिठुरन के मारे मर रहे हैं। मोदीजी चाय की गर्मी से अपने को गर्म कर रहे हैं। राहुल बाबा मम्मी के पल्लू से लिपटकर अपनी सर्दी भगा रहे हैं। केज्जू भईया का मफलर जिंदाबाद है। मायावती हाथियों की ओट में सर्दी को चकमा दे रही है। लालू जी गर्म राबड़ी के स्वाद से चार्ज हो रहे हैं। सभी के पास सर्दी को भगाने के लिए अपने-अपने हथियार है। जो राजनीति में बड़े ही मददगार है। ऐसे में गरीबी से ठिठुरती जनता की फरियाद कौन सुनें। और उनके लिए स्वेटर भला कौन बुनें। ठंड के कारण नाक से गंगा-जमुना बहने लग गई है। ऐसे में रुमाल हाथ से छूट ही नहीं रहा है। जैसे रुमाल न होकर किसी शराबी के लिए शराब हो और सत्ता की चिलम पीने वाले के लिए चिलम हो। नाक के अंदर का मटेरियल हमें धमका रहा है। धमकियों से डर-डरकर हम रोज मर रहे हैं। लेकिन हम भी तमाशा देखने के शौकीन कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सर्दी तू गरीबों के लिए आती है तो कुछ भी लेकर नहीं आती। सिर्फ हर दिन धूजाती है। तेरा स्नेह अमीरों पर कुछ ज्यादा ही है। जिनके लिए तू लेकर आती है-हल्दी की सब्जी, गाजर का हलवा, बेसन के लड्डू, खजूर, तिल की गजक इत्यादि। यह तेरा कैसा इंसाफ है-हे! सर्दी देवी।

लगता तो यह है कि तंत्र, हालात और माहौल के बाद मौसम भी गरीब का जानी दुश्मन बनता जा रहा है। गरीब गर्मी में तपकर यह सोचता है कि कब बरसात होगी? जब बरसात होने लगती है तो तब सोचता है कि कब सर्दी आएगी? जब सर्दी दस्तक दे देती है तो फिर गर्मी की कल्पना मस्तिष्क में उपजने लगती है। लेकिन, न तो गरीब गर्मी में पसीने के कारण सो पाता है, क्योंकि उसे मच्छर मार खाते हैं। आजादी ने मच्छरों के खानदान को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए मच्छर तो खाएंगे ही खाएंगे। क्योंकि मच्छर तो खाने के लिए ही पैदा होते हैं। ये मच्छर जो खुद को बड़ा जनसेवक बताते हैं, दरअसल ये गरीब के खून के प्यासे हैं। जब तक खून पी नहीं लेते, तब इनका खाना हजम ही नहीं होता। वहीं, बरसात में टपकती छत से गिरता पानी गरीब को कुछ पल के लिए मछली वाली फीलिंग करा जाता है और उसकी नींद की ऐसी की तैसी कर देता है। फिर सर्दी की सीजन में ठंड हड्डियों में उसी तरह अवैध तरीके से घुस आती है। सारा काम बिगाड़ कर रख देती है। संक्षिप्त में कहे तो सर्दी में हर दिन सर्द मिला। इस तरह हमें हर मौसम बेदर्द मिला।

सर्दी के सिर्फ नुकसान ही नहीं है हुजूर! हर चीज के तरह सर्दी के भी दो पहलू हैं। अभी तो हमने नकरात्मक पहलू पर सनसनी नजर घुमाई है। मेहरबानों और कद्रदानों! अब हम आपको सर्दी के कुछ सकारात्मक पहलूओं के बारे में भी बताना चाहेंगे। एक तो यह है कि सर्दी आते ही घर के सारे पंखे, कूलर व फ्रिज आदि पर बंदिशे लग जाती हैं। जिसके कारण बिजली का बिल अधिक आना बंद हो जाता है। फलस्वरूप ऊर्जा का संरक्षण भी हो जाता हैं। गरीब तो यह सोचकर ही सर्दी का सितम हंसते-हंसते सह लेता है और ज्यादा सर्दी पड़ने पर उसकी मार से शहीद भी हो लेता है। दूसरा सर्दी का फायदा यह है कि नहाने पर कर्फ्यू लग जाता है। जिसके कारण जल संरक्षण भी हो जाता हैं। तीसरा फायदा यह है कि सर्दी में दूध भी नहीं फटता है। इस दुर्घटना के होने के डर से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन सर्दी में ऊनी कपड़े पहनना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। इन कपड़े में न तो हाथ सही से बाहर निकल पाते और न ही मफलर के कारण सांस सही से ले पाते हैं। और टोपे में तो आदमी बंदर की तरह नजर आता है। वैसे भी आदमी तो अब बना है बाकी तो आदमी की औकात तो बंदर की ही है ना! सर्दी का एक ही इलाज है वो है गर्मी उत्पन्न की जाये। गर्मी उत्पन्न करने के तीन ही विकल्प है-पैसा, पत्नी और वो! समझ गए ना? अगर इन तीनों में से एक भी विकल्प आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास एक ही विकल्प है-सर्दी की बलिवेदी पर हंसते-हंसते शहीद हो जाए।

● **देवेन्द्रराज सुथार**

वाटर हार्वेस्टिंग कराएं, जल सकंट से मुक्ति पाएं

बादल अमृत-सा जल लाता
अपने घर आंगन बरसाता
आओ करें इसका संग्रहण
बह ने जाए अमृत कलश
नदी नहर नल झील सरोवर
वापी कूप कुंड नद निर्झर
सर्वोत्तम सौन्दर्य प्रकृति का
कल-कल ध्वनि संगीत मनोहर
जल से अन्न पत्र फल पुष्पित सुन्दर उपवन है ।
जल पीकर जीते सब प्राणी जल ही जीवन है ।।

सौजन्य से : राष्ट्रीय पाक्षिक अक्स

खेल और युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश

63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2019 (राइफल-पिस्टल)

7 दिसम्बर, 2019–4 जनवरी, 2020
ग्राम गोरा, भोपाल

कमल नाथ
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

"मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी का नाम आज दक्षिण-एशिया की सर्वश्रेष्ठ खेल अधोसंरचना में शामिल है। आइए, आप भी इस चैंपियनशिप से दर्शक के रूप में जुड़कर विश्व स्तरीय खिलाड़ियों की बेहतरीन शूटिंग के साक्षी बनकर आनंद लें।"

जीतू पटवारी
मंत्री, खेल और युवा कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश

बेहतरीन खिलाड़ी, बेमिसाल रोमांच

मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी, भोपाल के आयोजन में ओलम्पिक-स्तरीय शूटर्स और विश्व स्तरीय रेंजेस को प्रत्यक्ष देखने का यादगार अवसर।

अवश्य आएँ और खेलों का आनंद लें!

एंट्री निःशुल्क

स्थान- ग्राम गोरा, भोपाल । समय- प्रतिदिन प्रातः 7 से सायं 6 बजे तक
इवेंट्स- 50 मी., 25 मी. एवं 10 मी. रेंजेस पर राइफल एवं पिस्टल के सभी इवेंट्स

प्रमुख आकर्षण

मनु भाकर, तेजस्विनी सावंत, अपूर्वी चंदेला, सौरभ चौधरी, राही सरनोबत, अभिषेक वर्मा, चिंकी यादव, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, अंजुम मुद्गिल जैसे ख्याति प्राप्त शूटर्स । कुल 7,472 प्रतिभागी ।

भारत का सबसे बड़ा शूटिंग टूर्नामेंट

खेल और युवा कल्याण विभाग, म.प्र.